सत्यमेव जयते

समन्वय

सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत अभिसरण हेतु केन्द्रीय क्षेत्र, केन्द्र प्रायोजित तथा राज्य योजनाओं का संकलन

गुजरात

ग्रामीण विकास विभाग
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार
एवं
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान
हैदराबाद

सत्यमेव जयते

समन्वय

सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत
अभिसरण हेतु केन्द्रीय क्षेत्र,
केन्द्र प्रायोजित तथा
राज्य योजनाओं का संकलन

गुजरात

ग्रामीण विकास विभाग
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार
एवं
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान
हैदराबाद

बीरेन्द्र सिंह
Birender Singh

ग्रामीण विकास, पंचायती राज और
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री
भारत सरकार
MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT,
PANCHAYATI RAJ AND
DRINKING WATER & SANITATION
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

संदेश

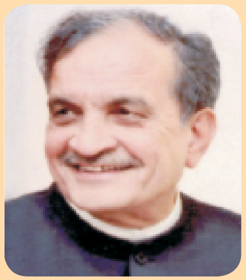

जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 11 अक्तूबर, 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना (एस ए जी वाई) का शुभारंभ हुआ है। इस योजना को केन्द्रीय क्षेत्र, केन्द्र प्रायोजित और राज्य योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से कार्यान्वित किया जाना है। इस योजना के दिशा-निर्देश की कड़ी में इसके अभिसरण को उन सभी संबंधित योजनाओं के बीच इस रुप में सुनिश्चित किया जाना है कि यह कार्यक्रम अभिसरण के एक नवोन्मेषी उदाहरण के रुप में उभरकर सामने आए।

मेरा मंत्रालय इस केन्द्रीय क्षेत्र, केन्द्र प्रायोजित और राज्य योजनाओं के संबंध में विस्तृत योजना कार्य करने के लिए आगे बढ़ा है और इसका संकलन तैयार किया है - **'समन्वय'**

मुझे विश्वास है कि यह संकलन सांसदों, पंचायती राज कार्यान्वयन सदस्यों तथा अन्य विकास व्यावसायियों के लिए ग्राम स्तर पर चलाए जा रहे विभिन्न विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों को समझने में महत्वपूर्ण संसाधन सामग्री के रुप में उपयोगी होगा।

मुझे विश्वास है कि सरकारी योजनाओं से संबंधित सहज उपलब्ध जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आगे बढ़ेगें और अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यक्रमों को अधिक बेहतर ढंग से करेंगे। यह सभी सरकारी सम्बद्ध विभागों, पंचायती राज कार्यान्वयन सदस्यों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा मंत्रियों के लिए विशेषकर बेहतर समन्वय, तालमेल और अभिसरण के लिए उपयोगी होगा।

मैं अपने सभी सहयोगियों को आदर्श ग्राम विकास की दिशा में उनके प्रयासों के लिए सफलता की कामना करता हूँ।

(बीरेन्द्र सिंह)

कमरा नं. 48, (जी-विंग), भू-तल, कृषि भवन, नई दिल्ली-110 001
टेलीफोन: 011-23782373, 23782327, फैक्स: 011-23385876

नोट

सांसद आदर्श ग्राम योजना (एस ए जी वाई) दिशा-निर्देश, संसाधन आवरण की पहचान करने की आवश्यकता पर बल देते हैं। ये संसाधन विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र, केन्द्र प्रायोजित एवं राज्य योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध कोष के विभिन्न समूह स्तर के विशुद्ध रुप से ग्राम पंचायत के उपलब्ध संसाधन जैसे स्वयं के राजस्व, केन्द्रीय तथा राज्य वित्त आयोग के अनुदान इत्यादि हो सकते हैं, ये संसाधन जिनका आबंटन स्थानीय रुप में नकद राशि, सामान और श्रम एवं सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सी एस आर) के कोष के रुप में हो सकता है। यह वांछित है कि इन संसाधनों के विभिन्न श्रेणियों का उपयोग अभिसरण तथा संघटित रीति से अधिकतम तालमेल उत्पन्न करने के लिए हो। इन संसाधनो की रुपरेखा सावधानीपूर्वक तथा समझदारी से ग्राम विकास योजना (वी डी पी) में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार जिला स्तर पर प्रत्याशित परिणाम प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के एस ए जी वाई प्रभाग ने सभी संबंधित केन्द्रीय क्षेत्र, केन्द्र प्रायोजित एवं राज्य योजनाएँ एस ए जी वाई के समानांतर दिशा-निर्देशों को अपनाते हुए योजना कार्य की कवायद की है। यह सम्पूर्ण कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास सदस्यों (पी आर आर डी एफ) की सहायता से विभिन्न राज्यों से तथा जिनका पुनरीक्षण अपने-अपने राज्यों के नोडल अधिकारियों ने किया, निष्पादित किया गया है। जहाँ तक संभव हो, सभी संबंधित योजनाओं को एक साथ लाते हुए कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वालों के लिए संसाधन आवरण की पहचान और उसको अंतिम रुप देने के लिए सहज रुप में प्रयास करना अभिप्रेत है। इस संबंध में मंत्रालय एस ए जी वाई प्रभाग, पी आर आर डी एफ तथा राज्यों से प्राप्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता है।

अस्वीकरण

विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र, केन्द्र प्रायोजित तथा राज्य सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों की रुपरेखा माननीय सांसदों की साधारण जानकारी की आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से एस ए जी वाई के दिशा-निर्देशों के संदर्भ में तैयार की गई है तथापि इन दस्तावेजों का उपयोग एस ए जी वाई के अन्तर्गत समुचित योजनाओं और गतिविधियों के लिए अन्य भी कर सकते है।

सरकारी वेबसाईट, योजनाएँ संबंधी दस्तावेज और राज्य सरकारें सूचना के स्रोत है। राज्य योजनाओं की रुपरेखा इस प्रकार से तैयार की गई है कि प्रत्येक राज्य सरकार मान्यता के लिए अनुरोध करे। दस्तावेजों की रुपरेखा के अधीन जो अनेक योजनाएँ बनाई गई है वे एस ए जी वाई की दिशा-निर्देशों की प्रासंगिकता पर आधारित है। अत: वे व्यापक और पूर्ण नही हो सकती।

हम सूचनाओं को अद्यतन व सही रखने का प्रयास करते है तथापि हमारी ओर से संपूर्णता, उपयुक्तता, यथार्थता, विश्वसनीयता, सामग्री की उपलब्धता, वेबसाईट, सूचना, सेवाएँ या वेबसाईट पर संबंधित ग्राफिक सामग्री या अन्य उद्देश्य के लिए कोई प्रतिनिधित्व या किसी प्रकार की कोई वारंटी अभिव्यक्त नही करते। अत: किसी प्रकार की सूचना की विश्वसनीयता की जिम्मेदारी पूर्णत: आपकी होगी।

इन दस्तावेज के उपयोग के संबंध में किसी प्रकार की कोई हानि अथवा क्षति जिसमें हद से अधिक, परोक्ष या आगे होने वाली हानि या क्षति या किसी प्रकार की अन्य हानि या क्षति या दस्तावेज के उपयोग से किसी भी रुप में डाटा से होने वाली हानि या लाभ शामिल है, हमारा उत्तरदायित्व नही होगा।

इस दस्तावेज के माध्यम से आप अन्य मंत्रालय / राज्य सरकार तथा वेबसाईट जो कि मंत्रालय के नियंत्रणाधीन नही है, सम्पर्क करने के लिए सक्षम होंगे। सामग्री के स्वरुप, मात्रा तथा इसकी उपलब्धता आदि हमारे नियंत्रण से परे है।

एस ए जी वाई सेल, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार स्पष्ट रुप से इस संकलन में दी गई जानकारी तथा सरकारी योजनाओं के स्वरुप के संबंध में किसी प्रकार की कोई त्रुटि के उत्तरदायित्व को अस्वीकार करता है। हम आपसे विभिन्न सरकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों की अद्यतन जानकारी के लिए संबंधित मंत्रालय / राज्य सरकारी अधिकारियों / सरकारी वेबसाईट से सम्पर्क करने का आग्रह करते हैं।

विषयक्रम

व्यक्तिगत विकास	1-4
मानव विकास	5-26
सामाजिक विकास	27-38
आर्थिक विकास	39-60
पर्यावरणात्मक विकास	61-66
बुनियादी सुविधाएँ और सेवाएँ	67-74
सामाजिक सुरक्षा	75-78
सुशासन	79-86

सूची

गुजरात राज्य में सांसद आदर्श ग्राम योजना संबंधी केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्र योजनाएँ				
क्रम सं.	**क्षेत्र**	**केन्द्रीय**	**राज्य**	**योजनाओं की संख्या**
1	व्यक्तिगत विकास	6	1	7
2	मानव विकास	58	21	79
3	सामाजिक विकास	36	6	42
4	आर्थिक विकास	87	14	101
5	पर्यावरणात्मक विकास	13	6	19
6	बुनियादी सुविधाएँ और सेवाएँ	23	8	31
7	सामाजिक सुरक्षा	9	2	11
8	सुशासन	18	7	25
	विशिष्ट योजनाएँ	**223**	**65**	**288**

व्यक्तिगत विकास

क्रम सं.	गतिविधि	योजना / संस्थायें	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य नोडल विभाग	संबंधित घटक / विवरण
1	स्वास्थ्य परक बातों को आचरण में लाने के लिए जागरुकता पैदा करना	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन आर एच एम)	केन्द्रीय	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	इस योजना के अन्तर्गत दिवसीय देख-भाल केन्द्र, वृद्धजन होम, मोबाइल दवाई यूनिट आदि चलाने तथा देख-रेख के लिए परियोजना लागत की 90% तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त वित्तीय सहायता की राशि में वृद्धि करते हुए अनेक नई योजनाएँ जैसे राहत देख-भाल, रखरखाव केन्द्र व प्रवाही देख-भाल केन्द्र, वृद्धजनों के लिए बहुउद्देशीय सेवा केन्द्र, अल्ज़ाईमर रोग / डेमेनशिया रोगियों के लिए दिवसीय देख-भाल केन्द्र चलाने, वृद्धजनों के लिए भौतिक चिकित्सा क्लीनिक, वृद्धजनों के लिए विकलांग व श्रवण सहायता, वृद्धजनों के लिए हेल्पलाईन और काउंसलिंग केन्द्र इन्यादि इस परियोजना में जोड़ी गई है।
2	स्वास्थ्य परक बातों को आचरण में लाने के लिए जागरुकता पैदा करना	स्वच्छ भारत मिशन	केन्द्रीय	पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय	इस अभियान का उद्देश्य "स्वच्छ भारत" विजन को पूरा करना है। स्वास्थ्य परक बातों को आचरण में लाने के लिए जागरुकता पैदा करते हुए स्वच्छ भारत मिशन के निम्नलिखित घटकों को बढ़ाया जा सकता है: i. उन लोगों के लिए जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करते हैं और जहाँ अपेक्षित है, सब्सिडी के आधार पर व्यक्तिगत सैनिटरी शौचालयों (अधिकतर गड्ढे वाले) का निर्माण करना। ii. सूखे शौचालयों को (गड्ढे वाले शौचालयों में बिना पानी के सील वाले) कम लागत वाले सैनिटरी शौचालयों में बदलना। iii. विशेष रुप से ग्रामीण शौचालय कॉम्पलेक्स का निर्माण जिसमें महिलाओं के लिए जहाँ घरों में पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं है, चुनिंदा स्थानों पर नलकूपों, नहाने, शौचालय और धुलाई की सुविधा प्रदान करना। iv. सैनिटरी मार्ट की स्थापना करना । v. नालियों, ठोस व तरल व्यर्थ पदार्थ के निपटान के लिए सोखाई गड्ढ़ों का निर्माण करते हुए गाँव की संपूर्ण स्वच्छता । vi. व्यक्तिगत, घरेलू तथा पर्यावरण की सफाई की सुविधाओं की आवश्यकताओं को महसूस कराने और स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति जागरुकता पैदा करने के लिए गहन अभियान चलाना।
3	स्वास्थ्यकर व्यवहार और आचरणों को मन में बैठाना	खेल महाकुंभ	राज्य	क्रीडा, युवा तथा सांस्कृतिक विभाग	गुजरात का खेल प्राधिकरण खेल महाकुंभ आयोजित करता है, गुजरात का खेल उत्सव एक मंच पर राज्य के दूरतम भागों से प्रतिभा को एकत्र लाता है । यह महीने भर चलनेवाली खेल स्पर्धा है जिसमें सभी आयु के समूहों से गुजरात के सभी ग्रामों, नगरों और शहरों से खेल - प्रतियोगियों का सहभाग शामिल है । पुरस्कार राशि विजेताओं को दी जाती है ।
4	दैनिक व्यायाम तथा खेलों जैसे स्वास्थ्य परक आदतों को बढ़ावा देना	राजीव गाँधी खेल अभियान (आर जी के ए)	केन्द्रीय	खेल तथा युवा मामला मंत्रालय	इस योजना के अन्तर्गत गाँवों तथा पंचायत खंड के स्तर पर बुनियादी खेल सुविधाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त जिला स्तर, राज्य स्तर तथा राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताएँ आयोजित करने और खेल संबंधी उपकरणों की खरीदारी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

क्रम सं.	गतिविधि	योजना / संस्थायें	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य नोडल विभाग	संबंधित घटक / विवरण
5	दैनिक व्यायाम तथा खेलों जैसे स्वास्थ्य परक आदतों को बढ़ावा देना	विकलांगों के लिए	केन्द्रीय	खेल तथा युवा मामला मंत्रालय	इसमें विकलांगों के लिए खेल शिविरों का आयोजन, राष्ट्रीय आयोजन, प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करते हुए खेलों को बढ़ावा देने के प्रावधान किये गये है।
6	दैनिक व्यायाम तथा खेलों जैसे स्वास्थ्य परक आदतों को बढ़ावा देना	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण पर्यावरण गारंटी अधिनियम	केन्द्रीय	ग्रामीण विकास मंत्रालय	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण पर्यावरण गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत खेल मैदानों का निर्माण करना।
7	मादक द्रव्य, शराब, धुम्रपान जैसे घातक आदतें कम करना	शराब व मादक पदार्थों के सेवन के रोकथाम के लिए सहायता प्रदान करना	केन्द्रीय	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	यह योजना स्वायत्त संगठनों के माध्यम से नशाखोरों की पहचान, काउंस्लिंग, उपचार एवं पुनर्वास के लिए चलाई जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत अनुमोदित खर्च की 90% वित्तीय सहायता दी जाती है। पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर को कुल देय खर्च का 95% देना है।

मानव विकास

क्रम सं.	गतिविधि	योजना / संस्थायें	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य नोडल विभाग	संबंधित घटक / विवरण
8	स्वास्थ्य कार्ड, चिकित्सा परीक्षण जैसी बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करते हुए सार्वत्रिक पहुँच स्थापित करना	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन एच आर एम)	केन्द्रीय	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जिन गतिविधियों की शुरुआत की गई, उसकी सूची निम्न प्रकार है : 1. समुदाय तथा स्वास्थ्य प्रणाली के बीच सम्पर्क स्थापित करने के लिए सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को मान्यता प्रदान करना। 2. अस्पताल मामलों की व्यवस्था के लिए रोगी कल्याण समिति (पी.डब्ल्यू.सी.)/अस्पताल प्रबंधन समिति की स्थापना। 3. प्रसूति पूर्व देखरेख व अन्य स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को बेहतर करने के लिए सहायक नर्स / दाई की कार्यकुशलता बढ़ाने की शुरुवात करना। 4. गरीब लोगों व बच्चों की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता तथा पोषण समिति द्वारा अपने स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ाने के लिए उपलब्ध अनुदान का उपयोग करना। 5. संस्थागत सुपुर्दगी, राष्ट्रीय मोबाईल मेडिकल इकाईयों को बढ़ावा देने के लिए सेवाधीन क्षेत्रों, जननी सुरक्षा योजना के लिए स्वास्थ्य देखरेख ठेकेदारों को शामिल करना। 6. राष्ट्रीय ऐमब्यूलेंस सेवाएँ, आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाएँ, रोगी यातायात प्रणाली। 7. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रसूति के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं तथा एक वर्ष तक के बीमार शिशुओं को जन स्वास्थ्य संस्थानो में लाने वालों को मुफ्त आने-जाने की यातायात, मुफ्त दवाईयों, मुफ्त नैदानिक, मुफ्त रक्त, मुफ्त आहार की व्यवस्था। 8. विशेषत: बचपन मे होने वाली बीमारियों की जाँच, विकास में विलंब, विकलांगता, जन्म की खराबी व कमियों के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाना। 9. माँ तथा शिशु स्वास्थ्य स्कंध के अन्तर्गत माँ तथा शिशुओं की उच्चस्तरीय देखभाल के लिए जिला अस्पतालों तथा शिशु स्वास्थ्य केन्द्रों में अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था करना। 10. स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च वहन न करने वालों को बढावा देने के उद्देश्य से मुफ्त दवाई तथा नैदानिक सेवाओ के अन्तर्गत मुफ्त दवाईयों व मुफ्त नैदानिक सेवाएँ प्रदान करना। 11. जिला अस्पताल व जानकारी केन्द्र द्वारा बहु विशिष्ट स्वास्थ्य देखरेख जिसमें डायलसिस देखरेख, कारडियल देखरेख, कैंसर उपचार, मनोविज्ञान रोग, आपातकालीन मेडिकल और दुर्घटना इत्यादी शामिल है, सेवाएँ प्रदान की जाती है। 12. जिला अस्पताल व जानकारी केन्द्र दवारा आयरन रहित एनीमिया जिसमें लाभार्थियों को उनके बिना आयरन/एच.पी. की स्थिति में भी उन्हें आयरन तथा फोलिक दिया जाता है।

क्रम सं.	गतिविधि	योजना / संस्थायें	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य नोडल विभाग	संबंधित घटक / विवरण
9	स्वास्थ्य कार्ड, चिकित्सा परीक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करते हुए सार्वत्रिक पहुँच स्थापित करना	राष्ट्रीय एड्स व एस टी डी नियंत्रण कार्यक्रम	केन्द्रीय	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	(अ) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित गतिविधियाँ की जाती है : 1. निवारण उपाय। 2. अत्यन्त जोखिम भरे समूह में अनुसंधान का लक्ष्य। 3. राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेश में सूचना, शिक्षा संचार की गतिविधियाँ। 4. लैंगिक संचारित संक्रमण का उपचार। 5. रक्त सुरक्षा तथा गुणवता का आश्वासन। 6. अभिभावको से बच्चों में संचरित होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए एकीकृत काउंस्लिंग तथा जाँच की सुविधाएँ। 7. संपर्क श्रमिक योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँच। (आ) एच.आई.वी./एड्स से पीडित लोगो के लिए देखभाल, सहायता तथा उपचार की सुविधा जैसी गतिविधियाँ। (इ) क्षमताओं का निर्माण; एवं (ई) नीतिगत सूचना व्यवस्था।
10	स्वास्थ्य कार्ड, चिकित्सा परीक्षण जैसी बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करते हुए सार्वत्रिक पहुँच स्थापित करना	राष्ट्रीय आयुष मिशन (एन ए एम)	केन्द्रीय	आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, युनानी, सिद्ध तथा होमियोपैथी मंत्रालय (आयुष)	इस मिशन की गतिविधियों का उद्देश्य औषधियुक्त पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य केन्द्रों पर आयुष सेवाएँ प्रदान करना है।
11	स्वास्थ्य कार्ड, चिकित्सा परीक्षण जैसी बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करते हुए सार्वत्रिक पहुँच स्थापित करना	गर्भनिरोधक दवाईयों का वितरण	केन्द्रीय	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	इस योजना के तहत निम्नलिखित गतिविधियों, जैसे उपभोक्ताओ को कॉन्डम का मुफ्त वितरण, कॉन्डम सामाजिक विपणन तथा प्रचार अभियान संचालित किया जा सकता है।
12	स्वास्थ्य कार्ड, चिकित्सा परीक्षण जैसी बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करते हुए सार्वत्रिक पहुँच स्थापित करना	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु स्वायत्त संगठनों को सहायता	केन्द्रीय	सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय	स्वास्थ्य केन्द्र, डिस्पेंसरियों को चलाने जैसी सेवाओ के लिए एन जी ओ/स्वायत्त संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान करना

क्रम सं.	गतिविधि	योजना / संस्थायें	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य नोडल विभाग	संबंधित घटक / विवरण
13	स्वास्थ्य कार्ड, चिकित्सा परीक्षण सहित बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं तक सार्वानिक पहुँच	चिरंजीवी योजना	राज्य	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	कार्यक्रम का उदेश्य शिशु और मातृ मृत्यु संख्या को घटाना है । बी पी एल, ए पी एल या एस टी से संबंधित सभी लाभार्थी जो आय कर का भुगतान नहीं कर रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों, नगर क्षेत्रों, नगर निगत क्षेत्रों और अधिसूचित क्षेत्रों में रहते हैं उन्हें इस योजनाओं को साथ लाभान्वित किया जाता है । निम्नलिखित लाभ इस योजना से उठाए जा सकते हैं : 1. निजी क्षेत्र अस्पताल में मुफ्त प्रसूति देखभाल के लिए हकदारी 2. जरुरत पडने पर आपातकालीन प्रसूति देखभाल की तुरंत पहुँच 3. अपेक्षाकृत कम खर्च में गरीब महिलाओं को कुशल जन्म परिचर्या और आपातकालीन प्रसूति देखभाल प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ बडे पैमाने पर साझेदारी 4. समाज के सभी वर्गो के लिए मुफ्त रोगी गाडी सेवाएँ 5. 1 महीने तक की आयु के बच्चों के लिए निजी बाल रोग विशेषज्ञ का उपचार ।
14	स्वास्थ्य कार्ड, चिकित्सा परीक्षण सहित बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं तक सार्वानिक पहुँच	बाल सखा योजना	राज्य	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	आई एम आर (शिशु मृत्यु संख्या दर) घटाने के लिए पहल, कुपोषण के विरुद्ध सामना करनेवाले मातृ और शिशु के बहुमूल्य जीवन को बचाता है । इस योजना के तहत, बी पी एल परिवारों में जन्म लिए सभी बच्चों को बाल रोग विशेषज्ञों की साझेदारी से, लाभार्थी को बिना मूल्य उनके नवजात शिशु गहन देखभाल इकाई (स्तर 2) में देखभाल सहित नवजात शिशु के देखभाल के लिए कवर किया जाएगा ।
15	स्वास्थ्य कार्ड, चिकित्सा परीक्षण सहित मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं तक सार्वजनिक पहुँच	कुमार राजरत्न भीमराव अंबेडकर मुफ्त चिकित्सा सहायता	राज्य	सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण	पात्रता का मानदंड + ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वार्षिक आय की परिसीमा रु 47,000 + नगरीय क्षेत्रों के लिए वार्षिक आय की परिसीमा रु 68,000 सहायता मानदंड + अनीमिआ बीमारी के लिए प्रति मामला रु 150 + प्रसूति संबंधी बीमारी के लिए प्रति मामला रु 500 + कैंसर बीमारी जब तक ठीक नहीं होती है तब तक मामले के लिए प्रति महीने रु1000 + कुष्ठ बीमारी जब तक ठीक नहीं हो जाती है तब तक मामले के लिए प्रति महीने रु 800 + एच आई व्ही एड्स बीमारी जब तक ठीक नहीं हो जाती है तब तक मामले के लिए प्रति महीने रु 500
16	स्वास्थ्य कार्ड, चिकित्सा परीक्षण सहित मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं तक सार्वजनिक पहुँच	एस टी के परिवारों को मुफ्त चिकित्सा सहायता	राज्य	आदिवासी विकास विभाग	अपेक्षित लाभार्थी : टी बी और कैंसर जैसे चिरकालिक बीमारियों वाले अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं जिन्हें जननी स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता है उनके लिए प्राथमिकता पात्रता मानदंड : परिवार जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 27,000 और नगरीय क्षेत्रों में 36,000 तक है स्कीम के तहत लाभ : रोगियों को महिलाओं में एनीमिया के लिए 150; जटिल प्रसूति के लिए 500; टी बी के लिए 500; कैंसर के लिए 1000; एच आई व्ही/एड्स के लिए 500 मिलते हैं और कुष्ठ के लिए प्रति महीने 400 तब तक रोगी पूर्ण रुप से ठीक हो जाता है ।

क्रम सं.	गतिविधि	योजना / संस्थायें	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य नोडल विभाग	संबंधित घटक / विवरण
17	स्वास्थ्य कार्ड, चिकित्सा परीक्षण सहित मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं तक सार्वजनिक पहुॅच	मुख्यमंत्री अमृतम योजना	राज्य	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	अस्पतालों से जुडे पैनल के जरिए सर्जरी और थेरपी में शामिल लाभार्थियों को भयंकर बीमारियों के लिए नकद रहित चिकित्सा और शल्य चिकित्सा उपचार । तृतीय उपचार रोगियों को प्रदान किया जाता है । यह अस्थायी आधार पर प्रति परिवार । वार्षिक कुल आश्वासित राशि 2,00,000 देता है । 300 रुपये राशि भी परिवहन प्रभारों के रुप में लाभार्थियों को अदा की जाती है, उदाहरणार्थ, प्रति वर्ष ₹ 4500 की सीमा तक पैनल अस्पताल से उपचार का लाभ उठाते है ।
18	संपूर्ण टीकाकरण	एकीकृत शिशु विकास सेवाएँ (आई सी डी एस)	केन्द्रीय	महिला एवं बाल विकास विभाग	बच्चों को अँगनवाडी केन्द्रों को माध्यम से विद्यालय-पूर्व अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना है।
19	लैंगिक अनुपात का संतुलन	बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ	केन्द्रीय	महिला एवं बाल विकास	सरकार की पहल का उद्देश्य बाल लैंगिक अनुपात में हो रही कमी के मुद्दे को सामूहिक अभियान के द्वारा सारे देश में 100 चयनित जिलों में बहु वर्गीय कार्रवाई व हस्तक्षेप के लिए ध्यान केन्द्रित करने के लिए प्रवर्त करना है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का पूर्णत: उद्देश्य बालिका के जन्म व उसकी शिक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में जागरुकता लाना है। इस योजना के विशिष्ट लक्ष्य निम्न प्रकार है: i. लिंग पर आधरित लैंगिक चयन की रोकथाम। ii. बालिका के जीवन को सुनिश्चित करना। iii. बालिका संरक्षण। iv. बालिका की शिक्षा को सुनिश्चित करना। यह कार्यक्रम महिला व बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है।
20	लैगिक अनुपात का संतुलन	बेटी पढ़ाओ अभियान	राज्य	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	गुजरात में बालिका शिशु के संरक्षण के लिए यह एक अभियान है । लैंगिक अनुपात को घटाने और लिंग चयनात्मक गर्भपात की पद्धति को रोकने के लिए गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व तकनीक (लिंग चयन का निषेध) अधिनियम 1994 कार्यान्वित किया गया है और अधिनियम के कठोर कार्यान्वयन के लिए राज्य और जिला स्तर पर पी सी एवं पी एन डी टी प्रकोष्ठ की स्थापना भी की गई है ।
21	100% संस्थागत डिलिवरी	जननी सुरक्षा योजना	केन्द्रीय	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की उन योजनाओ में से एक है जिसमें प्रसूति अस्पताल में होने पर नगद पुरस्कार दिए जाते है। इस योजना में उन राज्यों में जहाँ संस्थागत प्रसूतियों ''न्यून निष्पादित राज्य'' (एलपीएस)के रुप में वर्गीकृत हैं जिनमें उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छतीसगढ़, असम, राजस्थान, ओडिशा व जम्मू-कश्मीर शामिल है, वे राज्य जो ''उच्च निष्पादित राज्य'' के रुप में वर्गीकृत हैं, उन्हें निम्नानुसार लाभ दिए जा सकते है: न्युन निष्पादित राज्य माँ पैकेज (₹ 1400/-) आशा पैकेज (₹ 600/-) कुल: ₹ 200/- उच्च निष्पादित राज्य माँ पैकेज (₹ 700/-) आशा पैकेज (₹ 600/-) कुल: ₹ 1300/- यह लागत केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लागू है ।

क्रम सं.	गतिविधि	योजना / संस्थायें	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य नोडल विभाग	संबंधित घटक / विवरण
22	सभी के लिए पोषण स्थिति में सुधार, किशोरावस्था प्राप्त बालिकाओं, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओ पर विशेष ध्यान केन्द्रित करना	किशोरावस्था प्राप्त बालिकाओं के सशक्तिकरण संबंधी राजीव गाँधी योजना (आर जी एस ई ए जी)- सबला	केन्द्रीय	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	यह योजना 11 वर्ष से 18 वर्ष आयु की किशोरावस्था प्राप्त लड़कियों के लिए विशेषरुप से केन्द्रित है। इस योजना के प्रमुख दो भाग है - पोषणयुक्त आहार तथा पोषण रहित आहार। पोषणयुक्त आहार के रुप में विद्यालय न आने वाली 11 वर्ष से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए घर के लिए राशन या पका हुआ भोजन 14 वर्ष की आयु से 18 वर्ष की आयु की सभी किशोरावस्था प्राप्त लड़कियों के लिए दिया जा रहा है। पोषणसहित आहार के रुप में विद्यालय न जाने वाली 11 वर्ष से 18 वर्ष की किशोरावस्था प्राप्त आयु की लड़कियों के लिए आई.एम.एफ. पूरकता, स्वास्थ्य की जॉच, निर्दिष्ट सेवाएँ पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा, काउस्लिंग, परिवार कल्याम के संबंध में दिशा निर्देश, किशोरावस्था प्रजनन लैंगिक स्वास्थ्य, शिशु देखभाल अभ्यास, जीवन कौशल शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
23	सभी के लिए पोषण स्थिति में सुधार, किशोरावस्था प्राप्त बालिकाओं, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओ पर विशेष ध्यान केन्द्रित करना	एकीकृत शिशु विकास सेवाएँ (आई सी डी एस)	केन्द्रीय	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	इस योजना के तहत महिलाओं तथा शिशुओं के लिए आँगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से छ: विभिन्न प्रकार की सेवाएँ प्रायोजित है: 1. 0-6 वर्ष तक के शिशुओं के लिए टीकाकरण। 2. शिशुओं, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं को प्रतिपूरक पोषण। 3. शिशुओं, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए स्वास्थ्य की जाँच। 4. निर्दिष्ट सेवाएँ 5. शिशुओं के लिए पाठशालापूर्व अनौपचारिक शिक्षा। 6. महिलाओं के लिए पोषण तथा स्वास्थ्य संबंधी जानकारी।
24	सभी के लिए पोषण स्थिति में सुधार, किशोरावस्था प्राप्त बालिकाओं, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओ पर विशेष ध्यान केन्द्रित करना	राष्ट्रीय पोषण मिशन	केन्द्रीय	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत आधरभूत गतिविधियाँ: (I) एकीकृत बाल विकास सेवाओ को मजबूत करना तथा इसका पुनर्गठन करना। (ii) मातृत्व व बाल कुपोषण पर ध्यान देने के लिए 200 चुनिंदा अधिक प्रभावित जिलों में बहु क्षेत्रवार कार्यक्रम की शुरुआत । (iii) कुपोषण के विरुद्ध राष्ट्र व्यापी सूचना, शिक्षा तथा संचार अभियान । (iv) इसी कड़ी के तहत इन कार्यकमों तथा योजनाओ में पोषण पर ध्यान केन्द्रित करना। यह योजना अब एकीकृत बाल विकास के अन्तर्गत एक उप योजना है।

क्रम सं.	गतिविधि	योजना / संस्थायें	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य नोडल विभाग	संबंधित घटक / विवरण
25	सभी के लिए पोषण स्थिति में सुधार, किशोरावस्था प्राप्त बालिकाओं, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओ पर विशेष ध्यान केन्द्रित करना	इन्दिरा गॉधी मातृत्व सहयोग योजना (आई जी एम एस वाई)	केन्द्रीय	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	गर्भवती तथा स्तनपान करवाने वाली महिलाओ के लिए सीधे नकद सहायता प्रदान की जाती है जिसमें गर्भवती महिला को गर्भधारण के दूसरी तिमाही समाप्ति से प्रसूति के छह महीने तक ₹ 6000/- दिए जाते है तथा स्तनपान करवाने वाली महिला को माँ बच्चे के स्वास्थ्य तथा पोषण संबंधी निर्दिष्ट को पूरा करने की शर्ते पर सहायता दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य अल्पकालिक आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए लोगों में व्यावहारिक व रवैयों में दीर्घकालीन बदलाव लाना है। यह योजना गर्भवती व स्तनपान करवाने वाली महिलाओ को प्रसूति के पूर्व व उपरांत उनकी मजदूरी में हुई हानि की आंशिक रुप से क्षतिपूर्ति करती है।
26	सभी के लिए पोषण स्थिति में सुधार, विशेषकर शिशुओं व किशोरावस्था प्राप्त बालिकाओं, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं पर विशेष ध्यान केन्द्रित करना	आजीविका-राष्ट्रीय आजीविका मिशन	केन्द्रीय	ग्रामीण विकास मंत्रालय	राष्ट्रीय ग्रमीण आजीविका मिशन के तहत, एस एच जी/स्वायत्त संगठनों, समूह स्तर के एस एच जी संधी को खाद्य सुरक्षा दायित्व कोष प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त शिक्षा व पोषण संबंधी आई ओ/एस एच जी की बैठकें जैसी आई ई सी गतिविधियाँ चलाई जाती है।
27	बच्चो, किशोरावस्था प्राप्त बालिकाओं, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान करानेवाली माताओं पर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ सभी के लिए पोषण स्थिति में सुधार करना	दूध संजीवन योजना	राज्य	महिला और बाल विकास विभाग	प्राथमिक स्कूल जानेवाले आदिवासी और आश्रम शालाओं के छात्रों के पोषण का स्तर समृद्ध करके, आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों के स्वास्थ्य को सुधारना । छात्रों को प्रतिदिन स्कूल में 200 मि.ली. पुष्ट दूध मिलता है ।
28	बच्चो, किशोरावस्था प्राप्त बालिकाओं, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान करानेवाली माताओं पर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ सभी के लिए पोषण स्थिति में सुधार करना	ममता तरुणी अभियान	राज्य	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	इसका मतलब किशोरों को मूलभूत स्वास्थ्य देखभाल और परामर्श प्रदान करना है । सेवाएँ उप-केंद्र और आंगनवाडियों में ममता दिवस केन्दों द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं । इस योजना के तहत, किशोरावस्था प्राप्त बालिकाओं को पोषण जागरुकता, वैयक्तिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल में भरती किया जाता है और प्रशिक्षित किया जाता है ।

क्रम सं.	गतिविधि	योजना / संस्थायें	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य नोडल विभाग	संबंधित घटक / विवरण
29	विकलांग लोगों विशेषत: महिलाओं व बच्चों की विशेष आवश्यकताओ पर प्रबल रुप से ध्यान केन्द्रित करना	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम	केन्द्रीय	ग्रामीण विकास मंत्रालय	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत विभिन्न प्रकार के विकलांग श्रमिकों के लिए कार्य परिभाषित किए गए है।
30	विकलांग लोगों विशेषत: महिलाओं व बच्चों की विशेष आवश्यकताओ पर प्रबल रुप से ध्यान केन्द्रित करना	राष्ट्रीय दृष्टिहीन बधिर मानसिक विकलांग एवं शारीरिक विकलांग संस्थान	केन्द्रीय	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	कल्याणकारी सेवाओं के बडे पैकेज प्रदान करने की नीति में तालमेल स्थापित करने तथा विकलांग लोगों की बहु आयामी समस्याओं से प्रभावी रुप से निपटने के लिए सात संस्थान इस दिशा में विशेषज्ञता के रुप में कार्यरत है। ये संस्थान विकलांग क्षेत्र में श्रम शक्ति विकसित करने की दृष्टि से व्यवसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा विभिन्न अन्य पुनर्वास कार्यक्रम चला रहे हैं।
31	विकलांग लोगों विशेषत: महिलाओं व बच्चों की विशेष आवश्यकताओं पर प्रबल रुप से ध्यान केन्द्रित करना	राजीव गाँधी राष्ट्रीय विकलांग फैलोशिप	केन्द्रीय	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	इस में विकलांग विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालयों, संस्थानों व वैज्ञानिक संस्थानों में एम.फिल., पी.एच.डी. तथा समतुल्य शोध डिग्री के लिए शोध अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।
32	विकलांग लोगों विशेषत: महिलाओं व बच्चों की विशेष आवश्यकताओं पर प्रबल रुप से ध्यान केन्द्रित करना	वृद्धाश्रम के लिए स्वायत्त संगठनों को	केन्द्रीय	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	इस योजना में दिवसीय देखरेख केन्द्र वृद्धाश्रम, संचार औषधि इकाई आदि चलाने तथा इनके रखरखाव के लिए इन परियोजनाओं की लागत का 90% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा राहत देखभाल आश्रम, सतत देखभाल आश्रम, वृद्धों के लिए बहु उद्देशीय सेवा केन्द्र चलाने अल्जाइमर रोगियों/डेमेनशिया रोगियों, वृद्धों तथा विकलांगों के फीजियोथेरापी क्लीनिक, सुनने के उपकरण, हेल्पलाइन काउंसलिंग केन्द्र को अतिरिक्त वित्तीय सहायता राशि में वृद्धि करने के साथ-साथ कई परियोजनाओं को भी इसमें शामिल किया गया है
33	विकलांग लोगों विशेषत: महिलाओं व बच्चों की विशेष आवश्यकताओं पर प्रबल रुप से ध्यान केन्द्रित करना	विकलांग लोगों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	केन्द्रीय	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	इस योजना का उद्देश्य विकलांग लोगों से संबंधी कानून को पूर्ण वचनबद्ध एवं अक्षरस: लागू करना है। इसमें विकलांग लोगों के लिए छात्रावास, समुदायिक आधारित पुनर्वास कार्यक्रम आदि गतिविधियाँ चलाई जा सकती है ।

क्रम सं.	गतिविधि	योजना / संस्थायें	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य नोडल विभाग	संबंधित घटक / विवरण
34	विकलांग लोगों विशेषत: महिलाओं व बच्चों की विशेष आवश्यकताओं पर प्रबल रुप से ध्यान केन्द्रित करना	विकलांग लोगों को उपकरण सहायता	केन्द्रीय	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	इस योजना का उददेश्य विकलांगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न कार्यन्वयन अभिकरणों को अति आधुनिक, मानक, वैज्ञानिक रुप से उत्पादित उपकरण प्राप्त करवाने के लिए सहायता अनुदान प्रदान करना है ताकि विकलांगों को उपकरण व अनुदान प्राप्त हो सके जिससे उनकी शारीरिक, सामाजिक तथ मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ावा दिया जा सके।
35	विकलांग लोगों विशेषत: महिलाओं व बच्चों की विशेष आवश्यकताओं पर प्रबल रुप से ध्यान केन्द्रित करना	कृत्रिम अंग उत्पादन निगम	केन्द्रीय	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	विकलांगों के लिए अति आधुनिक, वैज्ञानिक रुप से उत्पादित तथा भारतीय मानक गुणवता से युक्त उपकरणों की तैयारी व आपूर्ति की अनुदान सहायता द्वारा उनके सशक्तिकरण एवं उनकी गरिमा का पुनरुद्वार करना है। यह अनुदान सहायता विकलांग लोगों के लिए दी जाती है
36	विकलांग लोगों विशेषत: महिलाओं व बच्चों की विशेष आवश्यकताओं पर प्रबल रुप से ध्यान केन्द्रित करना	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	केन्द्रीय	ग्रामीण विकास मंत्रालय	विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाएँ जिनमें वृद्धायु पेंशन योजना, पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना तथा अन्नपूर्णा योजना जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत है।
37	विकलांग लोगों विशेषत: महिलाओं व बच्चों की विशेष आवश्यकताओं पर प्रबल रुप से ध्यान केन्द्रित करना	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम	केन्द्रीय	ग्रामीण विकास मंत्रालय	विकलांगों के लिए विशेषरुप से परिभाषित कार्यो का प्रशिक्षण निष्पादित करना (प्रासंगिकता के आधार पर 6% तक उपयोगी)
38	विकलांग लोगों विशेषत: महिलाओं व बच्चों की विशेष आवश्यकताओं पर प्रबल रुप से ध्यान केन्द्रित करना	विकलांगों में खेलों को बढ़ावा देना	केन्द्रीय	युवा मामले एवं खेल मंत्रालय	इस योजना के तहत विकलांग लोगों को खेल की सुविधाएँ प्रदान करना है ।

क्रम सं.	गतिविधि	योजना / संस्थायें	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य नोडल विभाग	संबंधित घटक / विवरण
39	विकलांग लोगों विशेषत: महिलाओं व बच्चों की विशेष आवश्यकताओं पर प्रबल रुप से ध्यान केन्द्रित करना	विकलांग छात्रों को छात्रवृत्तियॉं	राज्य	सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग (सामाजिक सुरक्षा निदेशालय)	आर्थिक रुप से कमजोर अभिभावकों के विकलांग बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनकी शिक्षा के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए और उनके बीच शिक्षा को प्रेरित करने के उददेश्य से योजनाओं को कार्यान्वित किया जाता है । विकलांगों को छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड : i. छात्र की विकलांगता का प्रतिशत 40% से कम नही रहना चाहिए । ii. अंतिम वार्षिक परीक्षा कम से कम 40% अंकों के साथ पास होना चाहिए । iii. संबंधित अध्ययनों में नियमित संतोषजनक उपस्थिति आवश्यक है । iv. कक्षा I से VII में पढनेवाले विकलांग छात्र के अभिभावकों परिवार की वार्षिक आय ₹ 50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए । v. कक्षा VIII के परे पढनेवाले विकलांग छात्रों अभिभावकों के परिवार की वार्षिक आय ₹ 50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए और विकलांग पहचान कार्ड, छात्रवृत्ति की रकम का धारक होना चाहिए । vi. कक्षा I से VII में पढनेवाले विकलांग छात्रों को प्रतिवर्ष ₹ 1,000 अदा किया जाता है । vii. कक्षा VIII से परे पढनेवाले विकलांग छात्रों को प्रतिवर्ष ₹ 1,500 या ₹ 5,000 अदा किया जाता है । viii. विकलांग छात्रवृत्ति तालुका विकास अधिकारी द्वारा अपने-अपने प्राथमिक स्कूल को भेजी जाती है । ix. कक्षा VIII से परे छात्रों को विकलांग छात्रवृत्ति स्कूल या महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को भेजी जाती है ।
40	विकलांग लोगों विशेषत: महिलाओं व बच्चों की विशेष आवश्यकताओं पर प्रबल रुप से ध्यान केन्द्रित करना	विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग और उपकरण सहायता के लिए योजना	राज्य	सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग (सामाजिक सुरक्षा निदेशालय)	विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग और उपकरण सहायता के लिए योजना को भिन्न प्रकार से विकलांग व्यक्तियों की विकलांगता को कम करने और रोजगार प्राप्त करने में आसानी लाने और व्यावसायिक सामग्री प्रदान करने के उदेश्य से कार्यान्वित किया जाता है। शामिल लाभार्थी : 40% से अनिम्न विकलांगता होने वाले 5 से 50 वर्षो की आयु के आवेदक, क्रमश: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों ₹ 47,000 और ₹ 68,000 से अनधिक वार्षिक आय । निवासी और विकलांग पहचान कार्ड धारण करना चाहिए । लाभार्थियों को कृत्रिम अंग (घोडी, परकार, तिपहिया, सायकल, पहिएदार कुर्सी), कान की मशीन, अंधों के लिए संगीत वाद्ययंत्र, ₹ 6,000 तक आर्थिक सहायता दी जाती है और स्व-रोजगार, हस्तशिल्प, सिलाई मशीन, जुता बनाने के लिए सामग्री, बढईगिरी उपकरण, इलेक्ट्रिक रिपेरिंग और कंप्यूटर रिपेरिंग उपकरण, कढाई मशीन दी जाती है ।
41	विकलांग लोगों विशेषत: महिलाओं व बच्चों की विशेष आवश्यकताओं पर प्रबल रुप से ध्यान केन्द्रित करना	आवास निर्माण के लिए विकलांग विधवाओं को सहायता	राज्य	सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग (सामाजिक सुरक्षा निदेशालय)	विशेषतया अलग प्रकार से विकलांग विधवाओं को पक्का आवास प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग ने ₹ 40,000 आर्थिक सहायता मंजूर की है । राज्य के अलग प्रकार से विकलांग विधवाओं की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और समाज में सम्मानजनक जीवन जीने के उद्देश्य से, प्रत्येक प्रवर्ग में 40% या उससे अधिक विकलांगता होनेवाले विकलांग विधवाओं को आवास सहायता का लाभ दिया जाता है । 40% या उससे अधिक विकलांगता होनेवाले, 18 से 60 वर्षो की आयु के समूह में प्रत्येक प्रवर्ग की विकलांग महिला इस योजना के तहत केवल एक बार लाभ के लिए हकदार हैं ।

क्रम सं.	गतिविधि	योजना / संस्थायें	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य नोडल विभाग	संबंधित घटक / विवरण
42	विकलांग लोगों विशेषत: महिलाओं व बच्चों की विशेष आवश्यकताओं पर प्रबल रुप से ध्यान केन्द्रित करना	विकलांग छात्रों को उच्चतर शिक्षा सहायता योजना	राज्य	सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग (सामाजिक सुरक्षा निदेशालय)	एस एस सी, एच एस सी और स्नातक के लिए पढनेवाले विकलांग व्यक्ति इस योजना के लाभ के लिए हकदार है । छात्र या प्रशिक्षार्थी को विकलांग और 18-35 वर्षों की आयु के बीच होना चाहिए । वार्षिक आय ₹ 24,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए और पिछले 10 वर्षों में गुजरात स्थायी निवासी होना चाहिए । इस योजना के तहत, पाठ्यक्रम फीस का 50% या ₹ 2,500 जो कोई भी कम हो, उच्चतर शिक्षा, सभी प्रकार के व्यावसायिक, तकनीकी पाठ्यक्रमों जैसे कि कंप्यूटर प्रशिक्षण, एडवांस अकाउंटेंसी, होटल प्रबंधन, ब्युटी पार्लर आदि के लिए भी दिया जाता है ।
43	विकलांग लोगों विशेषत: महिलाओं व बच्चों की विशेष आवश्यकताओं पर प्रबल रुप से ध्यान केन्द्रित करना	विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य सडक परिवहन बसों में मुफ्त यात्रा	राज्य	सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग (सामाजिक सुरक्षा निदेशालय)	बच्चों का चिकित्सा उपचार, सामाजिक कार्य के लिए, शैक्षणिक प्रयोजन के लिए और अन्य कार्यों के लिए विकलांग व्यक्तियों द्वारा बस यात्रा के खर्च में आर्थिक राहत देने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार ने इस योजना को कार्यान्वित किया है । इसके जरिए वे गुजरात राज्य के अधिकार क्षेत्र में जी एस आर टी सी बसों में बिना मूल्य यात्रा कर सकते हैं ।
44	दसवीं कक्षा तथा विद्यालय न जाने वाले छात्रों को शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए सार्वत्रिक पहुँच स्थापित करना	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ	केन्द्रीय	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	इसमें आँगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से पाठशालाओं में प्रवेश पूर्व व अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना है।
45	दसवीं कक्षा तथा विद्यालय न जाने वाले छात्रों को शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए सार्वत्रिक पहुँच स्थापित करना	बाल श्रमिकों तथा बच्चों की सुरक्षा व देखभाल संबंधी कल्याण योजनाएँ	केन्द्रीय	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	इस योजना का उददेश्य बाल श्रमिकों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाना है तथा उनके स्वास्थ्य संबंधी देखभाल व पोषण के अतिरिक्त स्वरोजगार के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान भी करना है।
46	दसवीं कक्षा तथा विद्यालय न जाने वाले छात्रों को शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए सार्वत्रिक पहुँच स्थापित करना	निम्न साक्षरता वर्ग की बालिकाओं को शिक्षा संबंधी बल प्रदान करना	केन्द्रीय	आदिवासी मामला मंत्रालय	आदिवासी क्षेत्रों में निम्न साक्षरता वर्ग की अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की पहचान करते हुए उनमें साक्षरता को बढ़ाने के लिए राज्य आदिवासी विकास सोसायटियों को शैक्षिक संस्थाएँ चलाने के लिए अनुदान सहायता प्रदान करना है तथा इन संस्थाओं में अनुसूचित जनजाति व निम्न साक्षरता वर्ग की पी वी टी जी की बालिकाओं की पहचान कर उन्हें नामित करना है। इन पाठशालाओं में आवासीय शिक्षा सुविधाएँ भी प्रदान की जाती है। यह योजना स्वायत संगठनों, सिविल सोसायटियों संगठनों तथा राज्य आदिवासी शिक्षा सोसायटी द्वारा कार्यान्वित की जाती है।
47	दसवीं कक्षा तथा विद्यालय न जाने वाले छात्रों को शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए सार्वत्रिक पहुँच स्थापित करना	अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा के लिए छत्रछाया योजना: आश्रम पाठशालाओं की स्थापना	केन्द्रीय	आदिवासी मामला मंत्रालय	इस योजना के तहत आदिवासी उप नियोजन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए ढ़ांचागत आवासीय पाठशालाओं के निर्माण के लिए अनुदान प्रदान करना है। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है।

क्रम सं.	गतिविधि	योजना / संस्थायें	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य नोडल विभाग	संबंधित घटक / विवरण
48	दसवीं कक्षा तथा विद्यालय न जाने वाले छात्रों को शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए सार्वत्रिक पहुँच स्थापित करना	एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय: संविधान के अनुच्छेद 275 (1) की धारा के तहत प्रावधान	केन्द्रीय	आदिवासी मामला मंत्रालय	अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए एकलव्य मॉडल आवासी विद्यालय स्थापित करना तथा उनका संचालन करना। ये विद्यालय उच्च गुणवत्ता वाले जे.एन.वी./केन्द्रीय विदयालय के अनुरुप चलाए जाते है। इन विद्यालयों में छात्र छठवीं कक्षा से बारहवीं कक्षा तक की पढ़ाई कर सकते है । ये विद्यालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रथम प्रावधान के तहत आदिवासी उप नियोजन क्षेत्रों में स्थापित किए गए है।
49	दसवीं कक्षा तथा विद्यालय न जाने वाले छात्रों को शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए सार्वत्रिक पहुँच स्थापित करना	अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए समान कार्यक्रम	केन्द्रीय	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	इस योजना में अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को निशुल्क कोचिंग की व्यवस्था है। यह योजना में इस तरह की परिकल्पना की गई है कि अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के उन विद्यार्थियों को जो भावी नौकरियों की तलाश करते है, उन्हें प्रतियोगी परीक्षा पूर्व कोचिंग दिलाया जाए ताकि वे सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के साथ मुकाबला कर सके। इस योजना का कार्यान्वयन प्रख्यात संस्थाओं, केन्द्रों, केन्द्र शासित प्रशासन, विश्वविद्यालयों, निजी क्षेत्र संगठनों के माध्यम से किया जाता है। इस योजना के तहत कोचिंग कार्यक्रम चलाने के लिए 100% सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में केवल उन्हीं अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा समुदाय के विद्यार्थियों को योग्य माना गया है जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹3.00 लाख है।
50	दसवीं कक्षा तथा विद्यालय न जाने वाले छात्रों को शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए सार्वत्रिक पहुँच स्थापित करना	मुफ्त कोचिंग तथा संबंद्ध योजनाएँ	केन्द्रीय	अल्पसंख्यक मामला मंत्रालय	इस योजना का उद्देश्य अल्संख्यक समुदाय के आर्थिक रुप से कमज़ोर वर्ग के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा / चयन प्रक्रिया दवारा सरकारी, गैर-सरकारी क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने के लिए उनके ज्ञान, कौशल तथा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अवसर प्रदान करते हुए प्रमुख संस्थाओं में प्रवेश हेतु सहायता प्रदान करना है।
51	दसवीं कक्षा तथा विद्यालय न जाने वाले छात्रों को शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए सार्वत्रिक पहुँच स्थापित करना	अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु अन्य योजनाएँ	केन्द्रीय	आदिवासी मामला मंत्रालय	आदिवासी विद्यार्थियों के राजीव गाँधी राष्ट्रीय फैलोशिप के अन्तर्गत आदिवासी विद्यार्थियों को एम.फिल / पी.एच.डी. जैसी उच्च शिक्षा के लिए फैलोशिप प्रदान करना है।
52	दसवीं कक्षा तथा विद्यालय न जाने वाले छात्रों को शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए सार्वत्रिक पहुँच स्थापित करना	संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा उतीर्ण करने वाले विद्यार्थियों की सहायाता	केन्द्रीय	अल्पसंख्यक मामला मंत्रालय	इस योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग दवारा आयोजित प्रांरभिक परीक्षा उतीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को कोचिंग व ट्यूटोरियल की सहायता दी जाती है।
53	दसवीं कक्षा तथा विद्यालय न जाने वाले छात्रों को शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए सार्वत्रिक पहुँच स्थापित करना	अन्य पिछड़ा वर्गो के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृति	केन्द्रीय	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	इस योजना के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के उच्च विद्यालय में पढ़ रहे निर्धन विद्यार्थियों को छात्रवृति दी जाती है।

क्रम सं.	गतिविधि	योजना / संस्थायें	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य नोडल विभाग	संबंधित घटक / विवरण
54	दसवीं कक्षा तथा विद्यालय न जाने वाले छात्रों को शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए सार्वत्रिक पहुँच स्थापित करना	अल्पसंख्यक विदयार्थियों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय फैलोशिप	केन्द्रीय	अल्पसंख्यक मामला मंत्रालय	इस योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को उच्चस्तरीय अध्ययन जैसे एम.फिल. / पी. एच. डी. स्तर पर आगे बढ़ने के लिए वित्तीय सहायता के रुप में फैलोशिप प्रदान की जाती है।
55	दसवीं कक्षा तथा विद्यालय न जाने वाले छात्रों को शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए सार्वत्रिक पहुँच स्थापित करना	महाविद्यालय व विश्वविद्यालय के छात्रों को छात्रवृति	केन्द्रीय	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग	इस योजना के तहत विद्यार्थियों को महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों के उच्चस्तरीय पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए छात्रवृतियां दी जाती है । लाभार्थियों को सीधे बैंक के माध्यम से धनराशि आबंटित की जाती है।
56	दसवीं कक्षा तथा विद्यालय न जाने वाले छात्रों को शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए सार्वत्रिक पहुँच स्थापित करना	स्नातक-पूर्व स्नातकोत्तर स्तरीय व्यवसायिक व तकनीकी पाठ्यक्रम के लिए योग्यता सह साधन छात्रवृतियाँ	केन्द्रीय	अल्पसंख्यक मामला मंत्रालय	अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थानों से स्नातक तथा या स्नातकोत्तर स्तरीय तकनीकी व व्यवसायिक पाठ्यक्रम में आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह छात्रवृति अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹ 2.50 लाख है, दी जाती है।
57	दसवीं कक्षा तथा विद्यालय न जाने वाले छात्रों को शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए सार्वत्रिक पहुँच स्थापित करना	अनुसूचित जाति के विदयार्थियों को राजीव गाँधी राष्ट्रीय फैलोशिप	केन्द्रीय	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को उच्चस्तरीय अध्ययन में आगे बढ़ने के लिए एम.फिल./पी.एच.डी. तथा इनके समतुल्य विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों तथा वैज्ञनिक संस्थानों में अध्ययन व शोध डिग्री प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
58	दसवीं कक्षा तथा विद्यालय न जाने वाले छात्रों को शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए सार्वत्रिक पहुँच स्थापित करना	अन्य पिछड़ा वर्ग व आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए राजीव गाँधी राष्ट्रीय फैलोशिप	केन्द्रीय	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	इस योजना के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग व आर्थिक पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उच्चस्तरीय अध्ययन में आगे बढ़ने के लिए एम.फिल. / पी. एच.डी. तथा इनके समतुल्य विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों तथा वैज्ञानिक संस्थानों में अध्ययन व शोध डिग्री प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
59	दसवीं कक्षा तथा विद्यालय न जाने वाले छात्रों को शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए सार्वत्रिक पहुँच स्थापित करना	प्रतिभाशाली विदयार्थियों के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा	केन्द्रीय	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	इस योजना के तहत उत्तम शिक्षा युक्त संस्थानों की सूची को अधिसूचित किया गया है तथा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को इन संस्थानों में से किसी भी संस्थान में प्रवेश पाने पर उनकी आवश्यकताओं के अनुरुप ट्यूशन शुल्क, जीविका व्यय, पुस्तकों, कंप्यूटर के लिए बड़े स्तर पर इन संस्थानों को छात्रवृतियां प्रदान की जाती है।

क्रम सं.	गतिविधि	योजना / संस्थायें	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य नोडल विभाग	संबंधित घटक / विवरण
60	दसवीं कक्षा तथा विद्यालय न जाने वाले छात्रों को शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए सार्वत्रिक पहुँच स्थापित करना	अनुसूचित जाति के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	केन्द्रीय	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को शिक्षा में बढ़ावा देने व मैट्रिकोत्तर या माध्यमिकोत्तर स्तर पर शिक्षा पूरी करने के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृतियों दी जाती है।
61	दसवीं कक्षा तथा विद्यालय न जाने वाले छात्रों को शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए सार्वत्रिक पहुँच स्थापित करना	दूषित व्यवसाय में युक्त बच्चों को मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	केन्द्रीय	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	इस योजना के तहत निम्नलिखिक लक्ष्य समूह के बच्चों को वित्तीय सहायता दी जाती है- (i) मैला ढ़ोने वाले (ii) सफाई वाले (iii) चर्मकार वाले (iv) कसाई वाले (v) मैनहोल व ड्रेनेज सफाई वाले (vi) चूहे पकड़ने वाले
62	दसवीं कक्षा तथा विद्यालय न जाने वाले छात्रों को शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए सार्वत्रिक पहुँच स्थापित करना	अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	केन्द्रीय	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाली घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से विशेषत: प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा में इसे न्यूनतम करने के लिए नवीं तथा दसवीं के छात्रों को छात्रवृतियों प्रदान की जाती है।
63	दसवीं कक्षा तथा विद्यालय न जाने वाले छात्रों को शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए सार्वत्रिक पहुँच स्थापित करना	विकलांग लोगो के राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति	केन्द्रीय	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	इस योजना के तहत उच्च शिक्षा में आगे बढ़ने वाले विकलांग लोगो को छात्रवृतियाँ प्रदान की जाती है।
64	दसवीं कक्षा तथा विद्यालय न जाने वाले छात्रों को शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए सार्वत्रिक पहुँच स्थापित करना	विकलांग के लिए राजीव गाँधी राष्ट्रीय फैलोशिप	केन्द्रीय	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	इस योजना में विकलांग विद्यार्थियों को उच्चस्तरीय अध्ययन में आगे बढ़ने के लिए एम.फिल. / पी.एच.डी. तथा इनके समतुल्य विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों तथा वैज्ञानिक संस्थानों में अध्ययन व शोध डिग्री प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
65	दसवीं कक्षा तथा विद्यालय न जाने वाले छात्रों को शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए सार्वत्रिक पहुँच स्थापित करना	अनुसूचित व पारगमन के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति	केन्द्रीय	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	इस योजना में विदेशों में विशेषरुप से इंजीनियरिंग, तकनीकी, वैज्ञानिक अध्ययन के लिए जिसमें अध्ययन शुल्क इत्यादि शामिल है, तथा अन्य शैक्षिक व्यय जैसे रखरखाव, फुटकर व्यय व यातायात व्यय आदि है, विभिन्न स्नातकोत्तर व पी.एच.डी पाठ्यक्रम है, छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती है। वे प्रत्याशी जिनके पास तकनीकी, इंजीनियरिंग व वैज्ञानिक विषयक स्नातकोतर डिग्री है, पारगमन अनुदान के लिए योग्य पाये गए है, तथा विदेश में स्नातकोत्तर अध्ययन, शोध या प्रशिक्षण के एवज में (जिनमें संगोष्ठियों में, कार्यशालाओं, विदेशी सरकार/संस्थानों के सम्मेलन में भाग लेना या अन्य योजना जिसमें पारगमन का व्यय नहीं दिया जाना शामिल है आदि को छोड़कर) अनुदान प्रदान किया जाता है।

क्रम सं.	गतिविधि	योजना / संस्थायें	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य नोडल विभाग	संबंधित घटक / विवरण
66	दसवीं कक्षा तथा विद्यालय न जाने वाले छात्रों को शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए सार्वत्रिक पहुँच स्थापित करना	विकलांग छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	केन्द्रीय	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	इस योजना के तहत विकलांग छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मैट्रिकोत्तर या माध्यमिकोत्तर अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
67	दसवीं कक्षा तथा विद्यालय न जाने वाले छात्रों को शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए सार्वत्रिक पहुँच स्थापित करना	अल्पसंख्यको के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	केन्द्रीय	अल्पसंख्यक मामला मंत्रालय	अल्पसंख्यक समुदाय के उन छात्रों के लिए जिन्होंने नवी तथा दसवीं कक्षा के स्तर पर अध्ययन के लिए योग्यता व साधन हेतु शर्ते पूरी की है, जिनमें तकनीकी व व्यावसायिक पाठ्यक्रम तथा ऐसे योग्य अल्पसंख्यक छात्रों को स्नातक-पूर्व, स्नातकोत्तर, पी.एच.डी. स्तर तक के सामान्य पाठ्यक्रम के लिए उचित प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों, महाविद्यालयों, संस्थानों, विश्वविद्यालय शामिल है, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति दी जाती है।
68	दसवीं कक्षा तथा विद्यालय न जाने वाले छात्रों को शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए सार्वत्रिक पहुँच स्थापित करना	अनुसूचित जनजाति के बच्चों को मैट्रिक-पूर्व व मैट्रिकोतर छात्रवृत्ति	केन्द्रीय	आदिवासी मामला मंत्रालय	अनुसूचित जनजाति समुदाय के छात्रों को प्रारंभिक, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च विद्यालय, उच्च माध्यमिक, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय स्तर के अध्ययन के लिए मैट्रिक-पूर्व तथा मैट्रिकोतर छात्रवृत्ति दी जाती है
69	दसवीं कक्षा तथा विद्यालय न जाने वाले छात्रों को शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए सार्वत्रिक पहुँच स्थापित करना	अनुसूचित जनजाति के छात्रों को राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना	केन्द्रीय	आदिवासी मामला मंत्रालय	इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के प्रतिभाशाली छात्रों को विदेशी विश्वविद्यालयों में स्नातकोतर स्तर के पाठ्यक्रमों, पी. एच.डी. तथा इंजीनियरिंग, तकनीकी व विज्ञान के क्षेत्र में पी.एच.डी उत्तर शोध कार्यक्रम में बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
70	दसवीं कक्षा तथा विद्यालय न जाने वाले छात्रों को शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए सार्वत्रिक पहुँच स्थापित करना	बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओं	केन्द्रीय	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	पाठशालाओं में बालिकाओं का नामांकन यह कार्यक्रम मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा महिला व बाल विकास मंत्रालय का संयुक्त प्रयास है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, अभियान के तहत निम्नलिखित प्रयास किए गए है: 1. बालिकाओं के सार्वत्रिक नामांकन को सुनिश्चित करने के लिए पाठशाला व्यवस्था समितियों को क्रियाशील बनाना। 2. बालिका मंच के माध्यम से बालिकाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए फोरम की स्थापना करना। 3. बालिकाओं के लिए शौचालयों का निर्माण तथा अनुपयोगी शौचालयों को उपयोगी बनाने का प्रयास करना।
71	दसवीं कक्षा तथा विद्यालय न जाने वाले छात्रों को शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए सार्वत्रिक पहुँच स्थापित करना	सर्वशिक्षा अभियान	केन्द्रीय	मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं विद्यालय शिक्षा तथा साक्षरता विभाग	सर्वशिक्षा अभियान भारत सरकार का एक सार्वत्रिक कार्यक्रम है जो राज्य सरकारों / केन्द्रशासित प्रदेशों की सरकारों की साझेदारी में देश में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रीकरण के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है: सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत निम्नलिखित गतिविधिया निष्पादित की गई है। i. पर्याप्त ढ़ांचागत पाठशाला सहित प्रारंभिक पाठशाला का निर्माण। ii. विद्यार्थियों के लिए मुफ्त पुस्तकों व वर्दियों का प्रावधान। iii. पाठशालाओं को अध्यापन की सहायाता। iv. प्रारंभिक पाठशाला में अध्यापकों की नियुक्ति। v. पाठशालाओं में बच्चों का नामांकन व पाठशालाओं में बच्चों को पढ़ाई छोड़ने न देना। vi. प्रारंभिक शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार।

क्रम सं.	गतिविधि	योजना / संस्थायें	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य नोडल विभाग	संबंधित घटक / विवरण
72	दसवीं कक्षा तथा विद्यालय न जाने वाले छात्रों को शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए सार्वत्रिक पहुँच स्थापित करना	मौलाना आजाद शिक्षा फाउण्डेशन को सहायता अनुदान	केन्द्रीय	अल्पसंख्यक मामला मंत्रालय	मौलाना आजाद शिक्षा फाउंडेशन एक स्वैच्छिक, गैर-राजनैतिक अनर्जित लाभरहित, सामाजिक सेवा संगठन है जिसकी स्थापना शैक्षिक पिछड़े अल्पसंख्यकों में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है।
73	दसवीं कक्षा तथा विद्यालय न जाने वाले छात्रों को शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए सार्वत्रिक पहुँच स्थापित करना	केन्द्रीय विद्यालय	केन्द्रीय	मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं विद्यालय शिक्षा तथा साक्षरता विभाग	नवोदय विद्यालय की स्थापना प्रति जिले में की जाती है इसका संचालन स्वायत्तशासी संगठन नवोदय विद्यालय समिति करती हैं। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के छात्र प्रवेश ले सकते हैं। इसमें छठीवीं कक्षा से प्रवेश मिलता है, इसमें प्रवेश पाने के लिए छात्रों को प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ती है।
74	दसवीं कक्षा तथा विद्यालय न जाने वाले छात्रों को शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए सार्वत्रिक पहुँच स्थापित करना	नवोदय विद्यालय समिति (एन वी एस)	केन्द्रीय	मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं विद्यालय शिक्षा तथा साक्षरता विभाग	नवोदय विद्यालय की स्थापना प्रति जिले में की जाती है इसका संचालन स्वायत्तशासी संगठन नवोदया विद्यालय समिति करती है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र प्रवेश ले सकते हैं। इसमें छठवीं कक्षा से प्रवेश मिलता है, इसमें प्रवेश पाने के लिए छात्रों को प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ती है।
75	दसवीं कक्षा तथा विद्यालय न जाने वाले छात्रों को शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए सार्वत्रिक पहुँच स्थापित करना	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर एम एस ए)	केन्द्रीय	मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं विद्यालय शिक्षा तथा साक्षरता विभाग	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा पर ज़ोर दिया जाता है। इन मॉड्ल विदयालयों की स्थापना शिक्षा संबंधी पिछड़े कस्बों में की जाती है तथा इसमें छठवीं से लेकर बारहवीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है।
76	दसवीं कक्षा तथा विद्यालय न जाने वाले छात्रों को शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए सार्वत्रिक पहुँच स्थापित करना	मदरसों/अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदत् योजना	केन्द्रीय	मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं विद्यालय शिक्षा तथा साक्षरता विभाग	इस योजना के तहत मदरसों की गुणवता में सुधार लाना है ताकि मुस्लिम बच्चे राष्ट्रीय शिक्षा तंत्र के औपचारिक शिक्षा संबंधी विषयों में मानवता हासिल करें। इन विद्यालयों में मुस्लिम समुदाय से जुड़े बच्चे प्रवेश पा सकते है।
77	दसवीं कक्षा तथा विद्यालय न जाने वाले छात्रों को शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए सार्वत्रिक पहुँच स्थापित करना	विद्यालय गुणवत्ता आंकलन कार्यक्रम	केन्द्रीय	मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं विद्यालय शिक्षा तथा साक्षरता विभाग	इसमें विद्यालयों के निष्पादन का आंकलन किया जा सकता हैं तथा शिक्षा का स्तर सुधारने व विद्यालयों के संचालन आदि के लिए सुझाव देना जैसे कार्य किये जाते है।
78	दसवीं कक्षा तथा विद्यालय न जाने वाले छात्रों को शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए सार्वत्रिक पहुँच स्थापित करना	विकलांगों की शिक्षा के लिए उच्च श्रेणी की योजनाएँ	केन्द्रीय	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	इस योजना के तहत लोगों को उच्च शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए उनकी विशेष आवश्यकताओं के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

क्रम सं.	गतिविधि	योजना / संस्थायें	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य नोडल विभाग	संबंधित घटक / विवरण
79	दसवी कक्षा तथा धारण तक शैक्षिक सुविधाओं के लिए सार्वत्रिक पहुॅच	विद्या लक्ष्मी बॉड	राज्य	शिक्षा विभाग	लडकियों की शिक्षा का लक्ष्य पूरा करने के लिए कार्यान्वित, जिसे ग्राम स्तर पर कार्यान्वित किया जाता है जहॉं महिला का साक्षरता स्तर 35% से कम है । इस योजनाा में, 2,000 का नर्मदा निधि का बॉड कक्षा 1 में नामांकित लडकियों को दिया जाता है और कक्षा 8 के समापन के पश्चात् लडकियों को ब्याज के साथ अदा किया जाता है ।
80	दसवी कक्षा तथा धारण तक शैक्षिक सुविधाओं के लिए सार्वत्रिक पहुॅच	गुणोत्सव	राज्य	शिक्षा विभाग	यह कार्यक्रम 2009 में शुरु किया गया था जिसका उद्देश्य क्रमवार के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का परिदृश्य और स्कूलों के ग्रेड का मूल्यांकन करना था । क्रम I में, 100% स्कूलों को कवर करके कक्षा 2-8 के 52 लाख से भी अधिक बच्चों के लिए मूल्यांकन आयोजित किया जाता है और स्वयं मूल्यांकन चरण के रुप में भी जाना जाता है । द्वितीय चरण में, 9000 स्कूलों को कवर करके गुजरात के 3000 वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों द्वारा बाहरी मूल्यांकन किया जाता है । अभ्यास के भाग के रुप में, मंत्रियों के अलावा शीर्ष आई ए एस, आई पी एस, आई एफ एस और अन्य अधिकारी राज्य में शिक्षा की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए पैरामीटरों तक पहुॅचने के लिए और उन्हें ग्रेड देने के लिए स्कूल गए थे ।
81	दसवी कक्षा तथा धारण तक शैक्षिक सुविधाओं के लिए सार्वत्रिक पहुॅच	मुख्यमंत्री कन्या केलवनी निधि	राज्य	शिक्षा विभाग	बालिका छात्राओं को लैपटॉप, टैबलेट्स और आर्थिक सहायता जैसी सहायता देकर सुनहरे भविष्य के लिए बालिकाओं के बीच शिक्षा का प्रसार करना ।
82	दसवी कक्षा तथा धारण तक शैक्षिक सुविधाओं के लिए सार्वत्रिक पहुॅच	शाला प्रवेश महोत्सव	राज्य	शिक्षा विभाग	"शाला प्रवेशोत्सव" यह श्री नरेंद्र मोदी, भारत के माननीय प्रधानमंत्री और गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमंत्री की अद्वितीय पहल है । क्रमश: प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में 6 से 14 वर्षो की बीच की आयु के समूह के बच्चों की 100% भरती के प्रधान उद्देश्य से पिछले दस वर्षों से सफलता से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है ।

क्रम सं.	गतिविधि	योजना / संस्थायें	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य नोडल विभाग	संबंधित घटक / विवरण
83	दसवी कक्षा तथा धारण तक शैक्षिक सुविधाओं के लिए सार्वत्रिक पहुँच	स्वूलों का आधुनिकीकरण	राज्य	शिक्षा विभाग	यह नई योजना 100 सरकारी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कुलों में मूलभूत सुविधाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से आरंभ की गई है । प्रधानाचार्य के कक्ष, कर्मचारी कक्ष, कक्षा में सुविधाएँ और फर्नीचर, कंप्यूटर कक्षा में ग्रिल्स और स्टील के दरवाजे पर सुरक्षा ताले दिए जाते हैं । स्वीपर और गुजरात औद्योगिक सुरक्षा बल (जी आई एस एफ) रक्षक की सुविधा दी जाती है, पिछले दशक में बाल लिंग अनुपात में गिरावट आयी है ।
84	दसवी कक्षा तथा धारण तक शैक्षिक सुविधाओं के लिए सार्वत्रिक पहुँच	विद्या दीप योजना	राज्य	शिक्षा विभाग	विद्या दीप योजना, यह बीमा योजना बच्चों के लिए अपनायी गई है जबकि प्रिमियम अप्रिय घटना के मामले में माता-पिता को आर्थिक सहायता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा अदा किया जाता है । प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के छात्रों को आकस्मिक मृत्यु बीमा कवरेज प्रदान करता है । प्राथमिक और माध्यमिक छात्रों को क्रमश: ₹25,000 और ₹50,000 की राशि दी जाती है ।
85	दसवी कक्षा तथा धारण तक शैक्षिक सुविधाओं के लिए सार्वत्रिक पहुँच	सरस्वती साधना योजना	राज्य	सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग (अनुसूचित जाति कल्याण निदेशालय)	मुफ्त सायकलों की इस योजना को लढकियों की शिक्षा को बढावा देने के लिए कार्यान्वित किया गया है । गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों से संबंधित बालिका छात्रायें मुफ्त सायकल योजना लाभ के लिए पात्र हैं । बालिका छात्रायें उनके निवास से आने वाले स्थानीय स्कुलों से अन्यथा माध्यमिक स्कूल में पढने के लिए अन्य गाँव में यात्रा करते हैं वे इस लाभ के लिए पात्र हैं । कक्षा VIII में पढनेवाली बालिका छात्राओं को मुफ्त में सायकल दिए जाते हैं । परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ₹47,000 और शहरी क्षेत्रों के लिए ₹68,000 होनी चाहिए ।
86	साधारण स्कूल को स्मार्ट स्कूल में परिवर्तित करना-गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता के अनुरुप स्मार्ट कक्षाएँ जिनमें सूचना प्रौद्योगिकी की कक्षाएँ, ई-पुस्तकालय, वेब आधारित अध्यापन, सभी छात्रों को ई-साक्षर बनाना।	आई सी टी के द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक मिशन	केन्द्रीय	उच्चतर शिक्षा का मानव संसाधन विकास विभाग	इस योजना का उद्देश्य देश के मानव संसाधन की प्रतिभा की पहचान तथा उसके परिपोषण तंत्र को विकसित करना है तथा लर्निंग मॉड्यूल के माध्यम से जीवन में लंबे समय तक सीखते रहने की दिशा में छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की ओर प्रवृत होना है। इस योजना में इस बात की भी परिकल्पना की गई है कि बुद्धिजीवियों, संसाधनों, छात्र द्वारा औपचारिक व्यवस्था या अनौपचारिक व्यवस्था के रुप से प्राप्त ज्ञान के प्रमाणन का प्रभावकारी ढंग से उपयोग हो साथ ही योग्यताओं, क्षमताओं तथा देश के मानव संसाधान प्रतिभा के डाटाबेस का व्यवस्थित ढंग से निर्माण हो। विभिन्न भाषाओं के सभी प्रकार के लोगों के लिए ई-लर्निंग मॉड्यूल्स पर विशेष रुप से ध्यान केन्द्रीत किया गया है।

क्रम सं.	गतिविधि	योजना / संस्थायें	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य नोडल विभाग	संबंधित घटक / विवरण
87	साधारण स्कूल को स्मार्ट स्कूल में परिवर्तित करना-गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता के अनुरुप स्मार्ट कक्षाएँ जिनमें सूचना प्रौद्योगिकी की कक्षाएँ, ई-पुस्तकालय, वेब आधारित अध्यापन, सभी छात्रों को ई-साक्षर बनाना।	सर्व शिक्षा अभियान	केन्द्रीय	उच्चतर शिक्षा का मानव संसाधन विकास विभाग	इस योजना के तहत, स्कूल शिक्षा में कंप्यूटर प्रयोगशाला, मल्टीमीडिया सामग्री का उपयोग आदि का प्रावधान किया गया है।
88	साधारण स्कूल को स्मार्ट स्कूल में परिवर्तित करना-गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता के अनुरुप स्मार्ट कक्षाएँ जिनमें सूचना प्रौद्योगिकी की कक्षाएँ, ई-पुस्तकालय, वेब आधारित अध्यापन, सभी छात्रों को ई-साक्षर बनाना।	बहु - क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एम एस डी पी)	केन्द्रीय	अल्पसंख्यक मामला मंत्रालय	यह एक विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम है। इस बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य चुनिंदा अविकसित अल्पसंख्यक आबादी है जो अपेक्षाकृत पिछड़ा हुआ है, के विकास की ओर प्रवृत करना है। नए विद्यालयों का निर्माण, छात्रावास, कंप्यूटर प्रयोगशालाओं की स्थापना, नवीनीकरण व ढ़ाँचागत विद्यालयों को आधुनिक बनना, आई टी सी के एकीकरण जैसी गतिविधियाँ को इस योजना के तहत शुरु की जा सकती है।
89	प्रौढ़ साक्षरता	राजीव गाँधी किशोरावस्था बालिका सशक्तिकरण योजना (आरजीएस ईएजी) - सबला	केन्द्रीय	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	इस योजना में 11 वर्ष की आयु से 18 वर्ष की आयु की किशोरावस्था बालिकाओं की ओर ध्यान विशेषरुप से केन्द्रित किया गया है। पोषण व स्वास्थय शिक्षा, परिवार कल्याण, किशोरावस्था प्रजनन, लैंगिक स्वास्थय शिशु देखभाल व्यवहार, जीवन कौशल तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि विषयों पर काउंसलिंग व दिशा-निर्देश की सुविधा प्रदान की जाती है।
90	प्रौढ़ साक्षरता	राष्ट्रीय एड्स व एस टी डी नियंत्रण कार्यक्रम	केन्द्रीय	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	इस कार्यक्रम के तहत सूचना, शिक्षा, संचार गतिविधियाँ, एकीकृत काउंसलिंग, क्षमता निर्माण आदि कार्य निषादित किए जाते है।
91	प्रौढ़ साक्षरता	अजीविका-राष्ट्रीय जीविका मिशन	केन्द्रीय	उच्चतर शिक्षा का मानव संसाधन विकास विभाग	इस एन आर एल एम कार्यक्रम के तहत एस.एच.जी. लोगों के लिए आधारभूत साक्षरता व वित्तीय साक्षरता संबंधी विषयों पर प्रशिक्षण, तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाते है।

क्रम सं.	गतिविधि	योजना / संस्थायें	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य नोडल विभाग	संबंधित घटक / विवरण
92	प्रौढ़ साक्षरता	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	केन्द्रीय	ग्रामीण विकास मंत्रालय	यह केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य राज्य के उच्चतर व तकनीकी संस्थाओं को योजनाबद्ध तरीके से कोष उपलब्ध करवाना है। कोष राज्य उच्चतर शिक्षा के अकादमिक, प्रशासनिक व वित्तीय सुधार की शर्त पर ही उपलब्ध कराया जाता है।
93	प्रौढ़ साक्षरता	संसाधान	राज्य	शिक्षा विभाग	विशिष्ट ज्ञान के क्षेत्र के सुविज्ञ विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न विषयों पर वास्तविक अध्ययन और विचार-विमर्श को सुकर बनाना और सभी महाविद्यालयों, छात्रों तथा अध्यापकों के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए एक प्लैटफार्म प्रदान करने के साथ ही उच्चतर शिक्षा से संबंधित विचार, जानकारी और प्रशिक्षण का प्रसार करना। प्रौद्योगिकी का बेहतर ढंग से लाभ सभी को एक ही समय देकर राज्य, देशभर से और विदेश से प्रख्यात शिक्षाविदों द्वारा दिए गए व्याख्यानों तक पहुँचने के लिए गुजरात में सभी छात्रों को सक्षम करना।
94	ई-साक्षरता	डिजिटल इंडिया कार्यक्रम एवं सूचना प्रौद्योगिकी कौशल के लिए श्रमशक्ति विकास व जनसमूह के लिए सूचना प्रौद्योगिकी	केन्द्रीय	इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	इसमें "डिजिटल इंडिया" के संबंध में बडे पैमाने पर कार्यक्रम शुरु करने का प्रावधान है जिसमें इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता को सुनिश्चित करना भी शामिल है। इसमें जनसमूह के लिए ‘‘सूचना प्रौद्योगिक की भागीदारी‘‘ का भी प्रावधान है। इसमें अनुदान सहायता का जो प्रावधान किया गया है उसमें "डिजिटल इंडिया" कार्यक्रम के अंग के रुप में ई-पंचायत, साईबर सुरक्षा, ई-गवर्नेंस आदि कार्यक्रम आयोजित करना भी शामिल है। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क तथा अन्य संबंधित कार्यक्रम इसी कार्यक्रम के तहत है।

सामाजिक विकास

क्रम सं.	गतिविधि	योजना / संस्थायें	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य नोडल विभाग	संबंधित घटक / विवरण
95	भारत निर्माण स्वयंसेवकों की तरह स्वैच्छावाद को बढ़ावा देने संबंधी गतिविधियाँ	राष्ट्रीय सेवा योजना (एन एस एस)	केन्द्रीय	युवा मामले वे खेल मंत्रालय	निकटतम विदयालयों, महाविद्यालयों के एन एन एस के स्वयंसेवक छात्रों द्वारा सामुदायिक श्रमदान (स्वार्थ रहित स्वैच्छिक कार्य)
96	भारत निर्माण स्वयंसेवकों की तरह स्वैच्छावाद को बढ़ावा देने संबंधी गतिविधियाँ	आजीविका-राष्ट्रीय आजीविका मिशन	केन्द्रीय	ग्रामीण विकास मंत्रालय	एस एच जी ग्राम संगठनों, समूह स्तर के संगठनों का गठन।
97	भारत निर्माण स्वयंसेवकों की तरह स्वैच्छावाद को बढ़ावा देने संबंधी गतिविधियाँ	राजीव गाँधी किशोरावस्था बालिका सशक्तिकरण योजना (आर जी एसई ए जी)-सबला	केन्द्रीय	महिला व बाल विकास मंत्रालय	किशोरी समूह का गठन। इसमें सखी, सहेली कार्यक्रम होगा जो आँगनवाड़ी केन्द्रों को पाठशाला-पूर्व शिक्षा व पूरक पोषण आदि उपलब्ध करवाने के लिए सहायता करेंगे।
98	भारत निर्माण स्वयंसेवकों की तरह स्वैच्छावाद को बढ़ावा देने संबंधी गतिविधियाँ	कृषियुक्त तकनीकी व्यवस्थापन अभिकरण	केन्द्रीय	कृषि व सहकारिता मंत्रालय	कृषियुक्त तकनीकी व्यवस्थापन अभिकरण के तहत कृषक हित ग्रुपों का गठन करना तथा उन्हें बल प्रदान करना है।
99	भारत निर्माण स्वयंसेवकों की तरह स्वैच्छावाद को बढ़ावा देने संबंधी गतिविधियाँ	नेहरु युवा केन्द्र संगठन	केन्द्रीय	युवा मामले व खेल मंत्रालय	युवा क्लब विकास कार्यक्रम, युवा नेतृत्व तथा सामुदायिक विकास संबंधी प्रशिक्षण
100	भारत निर्माण स्वयंसेवकों की तरह स्वैच्छावाद को बढावा देने संबंधी गतिविधियाँ	मिशन मंगलम	राज्य	गुजरात आजीविका संवर्धन कंपनी	गुजरात आजीविका संवर्धन कंपनी मिशन मंगलम की कार्यकारी शाखा, एन आर एल एम की कार्यान्वयन एजेंसी है । जी एल पी सी विकेन्द्रीकृत लघु-उद्यम उद्यमों के जरिए बडे उद्योगों और सखी मंडलों/स्वयं सहायता समूहों/निर्माता समूहों/सेवा समूहों/गरीबों के समूहों के बीच अनुकूल भागीदारी के जरिए कार्य करती है । प्रचारक कंपनियों/उद्यमकर्ताओं ने प्रक्रिया को नया रुप दिया है जहॉं स्वयं-सहायता गतिविधियों के तौर पर उनके अपने-अपने घरों या ग्रामों में स्वयं-सहायता समूहों द्वारा जॉब-वर्क्स के रुप में प्रगाढ कार्यो को किया जाता है ।
101	स्थानीय विकास तथा इसमें पूर्णत: भागीदारी के लिए लोगों की क्षमता का निर्माण करना	राष्ट्रीय युवा व किशोरावस्था विकास कार्यक्रम	केन्द्रीय	युवा मामले व खेल मंत्रालय	इस योजना का उद्देश्य युवा नेतृत्व व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण पर ध्यान केन्द्रित करना है। जीवन कौशल शिक्षा, काउंसलिंग कैरियर दिशा-निर्देश, आवासीय शिविर लगाना जैसे अन्य गतिविधियाँ, इस योजना के तहत आयोजित की जा सकती
102	स्थानीय विकास तथा इसमें पूर्णत: भागीदारी के लिए लोगों की क्षमता का निर्माण करना	विश्व बैंक सहायता प्राप्त आई सी डी एस तंत्र को बल प्रदान करना व पोषण सुधार परियोजना	केन्द्रीय	महिला व बाल विकास मंत्रालय	इसमें आई सी डी एस के साथ विनियोजन के लिए सी बी ओ की क्षमता का इस उद्देश्य के साथ निर्माण करना है कि तकनीकी व व्यवस्थापन की सहायता प्रदान करते हुए इसे बल प्रदान करना तथा सेवाओं में सुधार करना है।

क्रम सं.	गतिविधि	योजना / संस्थायें	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य नोडल विभाग	संबंधित घटक / विवरण
103	स्थानीय विकास तथा इसमें पूर्णत: भागीदारी के लिए लोगों की क्षमता का निर्माण करना	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के युवाओं को तकनीकी सहायता व क्षमता निर्माण	केन्द्रीय	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	इस योजना में बेहतर परियोजना नियोजन कार्यान्वयन व सुशासन के लिए सरकारी कर्मचारियों, युवाओं की क्षमता का निर्माण करना है।
104	स्थानीय विकास तथा इसमें पूर्णत: भागीदारी के लिए लोगों की क्षमता का निर्माण करना	राजीव गाँधी किशोरावस्था बालिका सशक्तिकरण योजना (आर जी एसई ए जी)-सबला	केन्द्रीय	महिला व बाल विकास मंत्रालय	किशोरियों के लिए-जीवन कौशल शिक्षा तथा जन सेवाओं तक पहुँच, परिवार कल्याण, किशोरावस्था प्रजनन व लैंगिक स्वास्थ्य, शिशु देखभाल व्यवहार व होटल मैनेजमेंट के संबंध में दिशा-निर्देश दिए जाते है।
105	स्थानीय विकास तथा इसमें पूर्णत: भागीदारी के लिए लोगों की क्षमता का निर्माण करना	राष्ट्रीय युवा वाहिनी	केन्द्रीय	युवा मामले एवं खेल मंत्रालय	इस योजना में युवाओं को उनके ऐच्छिक आधार पर राष्ट्रीय निर्माण की गतिविधियों में निर्दिष्ट अवधि के लिए पूर्ण कालिक आधार पर अवसर प्रदान करना है।
106	स्थानीय विकास तथा इसमें पूर्णत: भागीदारी के लिए लोगों की क्षमता का निर्माण करना	सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना व क्षमता निर्माण	केन्द्रीय	आहार एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	इसमें अन्न सामग्री को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दिशा में मोड़ने तथा इसके रिसाव को रोकने संबंधी प्रशिक्षण द्वारा लोगों की क्षमता का निर्माण करने का प्रावधान है।
107	स्थानीय विकास तथा इसमें पूर्णत: भागीदारी के लिए लोगों की क्षमता का निर्माण करना	राष्ट्रीय जल मिशन	केन्द्रीय	जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा कायाकल्प मंत्रालय	इसमें जल संरक्षण की परम्परागत प्रणाली को बढ़ावा देने, जल के उपयोग की क्षमता में सुधार व पारिस्थितिकी सफाई-क्षमता निर्माण तथा भावी-पीढ़ी में जागरुकता जिसमें पंचायती राज संस्थाएँ भी शामिल है, बल प्रदान करने का प्रावधान है।
108	स्थानीय विकास तथा इसमें पूर्णत: भागीदारी के लिए लोगों की क्षमता का निर्माण करना	संबंधित मुद्दों पर क्षेत्र प्रचार	केन्द्रीय	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	जिला स्तरीय क्षेत्र इकाई पारस्परिकता में जुड़े रहना, सिनेमाओं के प्रदर्शनों, मीडिया कार्यक्रमों, फोटो प्रदर्शनियों व संगोष्ठियों के माध्यम से विकासोन्मुखी संचार। (सूचना, शिक्षा व संचार) सामग्री तैयारी, वृतचित्रों का प्रदर्शन आदि जिला क्षेत्र प्रचार ईकाई द्वारा ये सभी कार्य किए जा सकते है।
109	स्थानीय विकास तथा इसमें पूर्णत: भागीदारी के लिए लोगों की क्षमता का निर्माण करना	पर्यावरण शिक्षा प्रशिक्षण योजना	केन्द्रीय	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर प्रदर्शनियों व प्रशिक्षण के माध्यम से सभी आयु वर्ग के लोगों को जानकारी का प्रचार करना

क्रम सं.	गतिविधि	योजना / संस्थायें	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य नोडल विभाग	संबंधित घटक / विवरण
110	स्थानीय विकास तथा इसमें पूर्णत: भागीदारी के लिए लोगों की क्षमता का निर्माण करना	राष्ट्रीय एड्स व एस टी डी नियंत्रण कार्यक्रम	केन्द्रीय	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	सुरक्षित लैंगिक व्यवहार, सेवाएँ उत्पन्न करने की माँग, बदनामी व भेदभाव को कम करने तथा माहौल को सक्रिय करने व सशक्त बनाने के लिए जागरुकता व रवैये में बदलाव हेतु प्रभाव डालना।
111	स्थानीय विकास तथा इसमें पूर्णत: भागीदारी के लिए लोगों की क्षमता का निर्माण करना	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	केन्द्रीय	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	सभी स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर संवेदीकरण। ए एस एच ए तथा ए एन एम के कार्यकर्ता घर-घर पहुँच कर सामुदायिक वार्तालाप आदि के द्वारा स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर संवेदीकरण व जागरुकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
112	स्थानीय विकास तथा इसमें पूर्णत: भागीदारी के लिए लोगों की क्षमता का निर्माण करना	गीत व नाटक प्रभाग	केन्द्रीय	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	इस योजना के तहत गीत व नाटक प्रभाग प्रत्यक्ष मनोरंजन मीडिया का उपयोग समूहों के बीच जागरुकता उत्पन्न करने के लिए विशेषत: ग्रामीण क्षेत्र में इकाईयों के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रीय विकास गतिविधियों सम्पूर्ण देश में चलाई जाती है।
113	स्थानीय विकास तथा इसमें पूर्णत: भागीदारी के लिए लोगों की क्षमता का निर्माण करना	प्रसार भारती - किसान चैनल	केन्द्रीय	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	कृषि संबंधी वृत्तचित्र सिनेमा तथा किसानों के संवेदीकरण पर विषयगत वीडियों/ वृत्तचित्र दिखाये जाते है।
114	स्थानीय विकास तथा इसमें पूर्णत: भागीदारी के लिए लोगों की क्षमता का निर्माण करना	अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास की योजना	केन्द्रीय	अल्पसंख्यक मामला मंत्रालय	इस योजना के तहत यह सुनिश्चित किया जाना है कि जो महिलाएँ विकास की पहुँच से वंचित रहती है, उन्हें नेतृत्व प्रशिक्षण व कौशल विकास की सुविधा प्रदान की जाए ताकि वे अपने घरों व समुदाय की सीमा से बाहर निकलने का हौंसला बढ़ा सके तथा विभिन्न कार्यक्रमों व योजनाओं के तहत उनको प्राप्त सेवाओं, कौशल, व अवसरों तक पहुँचने के लिए नेतृत्व स्वीकार कर लें।
115	स्थानीय विकास तथा इसमें पूर्णत: भागीदारी के लिए लोगों की क्षमता का निर्माण करना	बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ	केन्द्रीय	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	स्थानीय मीडिया अभियान, स्थानीय गतिविधियों तक पहुँच, प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण/जिला अधिकारियों/धार्मिक नेताओं/पीआरआई/न्यायिक सीमांत कार्यकर्ताओं/वीएचएसएनसी के सदस्यों/युवा ग्रुप, एसएचजी, एनजीओं, नवीनीकरण व्यवहार (जैसे बालिका दिवस का मनाया जाना) के संवेदीकरण कार्यक्रम।
116	स्थानीय विकास में पूर्णत: सहभाग और योगदान के लिए लोगों का क्षमता निर्माण	सखी मंडल	राज्य	गुजरात आजीविका संवर्धन कंपनी	यथोचित आजीविका गतिविधियों के साथ सखी मंडलों को जोडना । योजना मूलत: बी पी एल/ए पी एल की महिलाओं को लाभ प्रदान करती है जो सखी मंडल का हिस्सा हैं ।

क्रम सं.	गतिविधि	योजना / संस्थायें	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य नोडल विभाग	संबंधित घटक / विवरण
117	ग्राम प्रमुखों, स्थानीय प्रेरणास्रोतों, विशेषत: महिलाओं, स्वतन्त्रता सेनानियों, शहीदों को सम्मानित करने संबंधी गतिविधियाँ	स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना	केन्द्रीय	गृह मंत्रालय	इस योजना में स्वतन्त्रता सेनानियों तथा उनके आश्रितों को पेंशन देने का प्रावधान है।
118	हिंसा व अपराध रहित ग्रामों को जैसे: क) नागरिक समितियों को गठन ख) विशेषत: युवाओं का संवेदीकरण जैसी गतिविधियाँ	एकीकृत शिशु संरक्षण योजना	केन्द्रीय	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	परिवार तथा सामुदायिक स्तर पर शिशुओं को बल प्रदान करना तथा उनका संरक्षण करना है तथा बच्चों को भेदभाव की स्थितियों, खतरों तथा दुर्व्यवहार से बचाना तथा इनके रोकथाम के उपायों को बढ़ावा देना है व जागरुकता भी उत्पन्न करना है।
119	हिंसा व अपराध रहित ग्रामों को जैसे : क) नागरिक समितियों का गठन ख) विशेषत: युवाओं का संवेदीकरण जैसी गतिविधियाँ	राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, उपभोक्ता संरक्षण कक्ष	केन्द्रीय	उपभोक्ता मामला मंत्रालय	राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, उपभोक्ता संरक्षण कक्ष, इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं बढ़ावा देना तथा उनके अधिकारों का संरक्षण करना है। 1. जान-माल के लिए घातक माल के विपणन तथा सेवाओं से संरक्षण का अधिकार। 2. गुणवत्ता, मात्रा, सामर्थ्य, शुद्धता, मानक व माल की कीमत / सेवाएँ के अनुचित व्यापार व्यवहार जैसे मामले की स्थिति हो, सूचित करने तथा उपभोक्ताओं के संरक्षण का अधिकार। 3. जहाँ कहीं संभव हो, माल की विविधता व सेवाएँ प्रतियोगी कीमतों पर उपलब्ध करवाने के आश्वासन का अधिकार। 4. उपभोक्ताओं के हितों के लिए आए विषय विचार के लिए उचित मंचों पर उन्हें सुनने व आश्वासन का अधिकार। 5. अनुचित व्यापार व्यवहार या प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार या उपभोक्ता के अनुचित रुप से शोषण के विरुद्ध निवारण खोजने का अधिकार। 6. उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। 7. उपभोक्ता शोषण के विरुद्ध अधिकार।
120	हिंसा व अपराध रहित ग्रामों को जैसे : क) नागरिक समितियों का गठन ख) विशेषत: युवाओं का संवेदीकरण जैसी गतिविधियाँ	साहस-महिलाओं की हेल्प-लाईन	केन्द्रीय	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	बैकेंड न्यायिक व काउंसलिंग सहायता सहित पैन-इंडिया टोल-फ्री नंबर।

क्रम सं.	गतिविधि	योजना / संस्थायें	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य नोडल विभाग	संबंधित घटक / विवरण
121	हिंसा व अपराध रहित ग्रामों को जैसे : क) नागरिक समितियों का गठन ख) विशेषत: युवाओं का संवेदीकरण जैसी गतिविधियाँ	स्वाधार गृह	केन्द्रीय	सड़क यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय	कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देने की परियोजना आधारित प्रस्ताव की आवश्यकता को मान्यता देना। इस योजना का उद्देश्य बडे पैमाने पर ट्राफिक पीड़ितों, प्राकृतिक आपदा पीड़ितों मानसिक विकलांगों व निराश्रित महिलाओं का पुनर्वास करना है। इस योजना में महिलाओं के आहार व आश्रम, काउंसलिंग, स्वास्थ्य सुविधाएँ तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण सहायता देना है। स्वाधार व ''शॉर्ट स्टे होम्स" योजनाओं को केन्द्र प्रायोजित अम्ब्रेला योजना के उप अंग के रुप में एक नए ''स्वाधार गृह" के रुप में महिलाओं के संरक्षण व विकास के लिए एक साथ में लाया गया है।
122	हिंसा व अपराध रहित ग्रामों को जैसे : क) नागरिक समितियों का गठन ख) विशेषत: युवाओं का संवेदीकरण जैसी गतिविधियाँ	सार्वजनिक सड़क परिवहन निर्भय कोष महिला सुरक्षा योजना	केन्द्रीय	सड़क यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय	यह निर्भय योजना महिलाओं की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक सड़क परिवहन द्वारा बनाई गई है।
123	हिंसा व अपराध रहित ग्रामों को जैसे : क) नागरिक समितियों का गठन ख) विशेषत: युवाओं का संवेदीकरण जैसी गतिविधियाँ	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग	केन्द्रीय	आदिवासी मामला मंत्रालय	यह आयोग निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियाँ निष्पादित करती है: 1. अनुसूचित जनजाति के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों की जाँच व देखरेख संबंधित के तहत या तत्कालीन रुप में लागू किसी अन्य कानून के तहत या सरकार के किसी अन्य आदेश के तहत तथा इस तरह के काम का मूल्यांकन करना। 2. अनुसूचित जनजाति के अधिकारों व सुरक्षा को किसी प्रकार की हानि के संबंध में किसी निर्दिष्ट शिकायत की जाँच करना 3. अनुसूचित जनजाति के समाजिक व आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भागीदारी व परामर्श तथा केन्द्र व किसी राज्य के अन्तर्गत विकास की गति का मूल्यांकन करना। 4. इनकी सुरक्षा संबंधी कामकाज की संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को वर्ष में या ऐसे समय पर जब कि आयोग उचित समझे प्रस्तुत करेंगे। 5. रिपोर्ट के आधार पर जिन उपायों की सिफारिशें की जाती है, केन्द्र या राज्य द्वारा अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा तथा संरक्षण, कल्याण व सामाजिक आर्थिक विकास के उपायों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जाता है। 6. अनुसूचित जनजाति के संरक्षण, कल्याण व विकास तथा उन्नति संबंधी अन्य कार्यकलापों, जैसे अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति किसी क्रूरता, अन्याय, किसी भी तरह अपने अधिकारों से वंचित होने से पीड़ित होने पर, जिनके उपबंध संसद द्वारा या कानून में किए गए है, आयोग, राष्ट्रपति से पहुँच स्थापित कर सकता है।

क्रम सं.	गतिविधि	योजना / संस्थायें	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य नोडल विभाग	संबंधित घटक / विवरण
124	हिंसा व अपराध रहित ग्रामों को जैसे : क) नागरिक समितियों का गठन ख) विशेषत: युवाओं का संवेदीकरण जैसी गतिविधियाँ	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग	केन्द्रीय	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	आयोग मल-जल व्यवसाय से जुडे परिवारों के लिए बनाई गई निम्नलिखित योजनाओं के कार्यान्वयन की देखरेख व निगरानी करता है : 1. राष्ट्रीय गंदगी ढोने वाले तथा उनके आश्रितों के लिए छुटकारा व पुनर्वास योजना। 2. मैला व्यवसाय से जुड़े लोगो के बच्चों को मैट्रिक-पूर्व दिए जाने वाली केन्द्र प्रायोजित छात्रवृत्ति योजना। 3. एकीकृत कम लागत की सफाई (सैनिटेशन), योजना। 4. वाल्मीकि मलिन बस्ती आवास योजना। इसके आतिरिक्त जो सफाई कर्मचारी किसी क्रूरता का शिकार होता है, वह न्याय के लिए आयोग के समक्ष आ सकता है।
125	हिंसा व अपराध रहित ग्रामों को जैसे : क) नागरिक समितियों का गठन ख) विशेषत: युवाओं का संवेदीकरण जैसी गतिविधियाँ	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग	केन्द्रीय	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	आयोग नौकरी आरक्षण के उद्देश्य से पिछड़ा वर्ग के रुप में अधिसूचित सूची से किसी जाति के शामिल करने या हटाने तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1993 की धारा 9(1) के अनुसार केन्द्र सरकार को आवश्यकतानुसार सलाह दे सकती है, जैसे कि राज्यों ने भी पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग गठित कर रखा है। आयोग व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग दोनों को सिविल कोर्ट की तरह समान शक्तियां प्रदत है। अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय भी न्याय के लिए आयोग से गुहार कर सकता है।
126	हिंसा व अपराध रहित ग्रामों को जैसे : क) नागरिक समितियों का गठन ख) विशेषत: युवाओं का संवेदीकरण जैसी गतिविधियाँ	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग	केन्द्रीय	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	संविधान के तहत या किसी अन्य नियम के तहत जो वर्तमान में लागू हो, या सरकार के किसी अन्य आदेश के तहत अनुसूचित जाति को प्रदान की गई सुरक्षा संबंधी सभी मामलों की जाँच व देखरेख करना तथा ऐसी सुरक्षा के कामकाज का मूल्यांकन करना; 1. अनुसूचित जातियों के अधिकारों व सुरक्षा से वंचित होने के संबंध में निर्दिष्ट शिकायतों की जॉच करना; 2. अनुसूचित जनजाति के सामाजिक व आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भागीदारी व परामर्श तथा केन्द्र व किसी राज्य के अन्तर्गत विकास की गति का मूल्यांकन करना; 3. इनकी सुरक्षा संबंधी कामकाज की संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को वर्ष में या ऐसे समय पर जब कि आयोग उचित समझे प्रस्तुत करेंगे; 4. रिपोर्ट के आधार पर जिन उपायों की सिफारिशें की जाती हैं, केन्द्र या राज्य द्वारा अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा तथा संरक्षण कल्याण व सामाजिक आर्थिक विकास के उपायों अनुसूचित जनजाति के संरक्षण, कल्याण व विकास तथा उन्नति संबंधी अन्य कार्यकलापों, को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जाता है; तथा 5. अनुसूचित जनजाति के संरक्षण, कल्याण व विकास तथा उन्नति संबंधी अन्य कार्यकलापों जिनके उपबंध संसद द्वारा निर्दिष्ट कानून के तहत किए गए है।

क्रम सं.	गतिविधि	योजना / संस्थायें	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य नोडल विभाग	संबंधित घटक / विवरण
127	हिंसा व अपराध रहित ग्रामों को जैसे : क) नागरिक समितियों का गठन ख) विशेषत: युवाओं का संवेदीकरण जैसी गतिविधियाँ	पीसीआर अधिनियम 1955 तथा अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989	केन्द्रीय	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के संरक्षण कक्ष के कामकाज व बल देने के लिए विशेष पुलिस स्टेशन, अनन्य विशेष न्यायालय का गठन व कामकाज, अन्तर्जातीय विवाह के लिए पुरस्कार, अत्याचार पीड़ित के लिए सहायता व पुनर्वास तथा जागरुकता उत्पन्न करना।
128	हिंसा व अपराध रहित ग्रामों को जैसे : क) नागरिक समितियों का गठन ख) विशेषत: युवाओं का संवेदीकरण जैसी गतिविधियाँ	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग	केन्द्रीय	अल्पसंख्यक मामला मंत्रालय	अल्पसंख्यकों के संवैधानिक व न्यायिक अधिकारों की रक्षा करना-टोल फ्री नंबर 1800 11 00 88
129	हिंसा व अपराध रहित ग्रामों को जैसे : क) नागरिक समितियों का गठन ख) विशेषत: युवाओं का संवेदीकरण जैसी गतिविधियाँ	राष्ट्रीय महिला आयोग	केन्द्रीय	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	संविधान व अन्य कानूनों के तहत महिलाओं को प्रदान किए गए संरक्षण संबंधी सभी मामलों का अन्वेषण एवं जाँच करना, महिलाओं के अधिकारों को हानि पहुँचाने वाले संबंधित मामला का स्वत: संज्ञान लेना तथा शिकायतों की जॉच करना आदेशात्मक है।
130	हिंसा व अपराध रहित ग्रामों को जैसे : क) नागरिक समितियों का गठन ख) विशेषत: युवाओं का संवेदीकरण जैसी गतिविधियाँ	अवैध व्यापार के मुकाबले हेतु बृहद योजना (उज्जवला)	केन्द्रीय	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	1. सामुदायिक सतर्कता समूहों का गठन व संचालन 2. बालिका (किशोरावस्था बालिकाएँ) व बालला (किशोरावस्था बच्चों) का गठन व संचालन 3. संवेदीकरण कार्यशालाएँ/संगोष्ठियाँ 4. मास मीडिया के माध्यम से जिसमें कलाजत्था नुक्कड प्रदर्शनी, कठपुतलियों या किसी अन्य कला विशेषत: परम्परागत के माध्यम से पीढ़ी में जागरुकता लाना है 5. पुस्तकों, पत्रिकाओं व पोस्टरों (स्थानीय भाषा में) जैसे पीढ़ी जागरुकता सामग्री की छपाई व विकास
131	हिंसा व अपराध रहित ग्रामों को जैसे : क) नागरिक समितियों का गठन ख) विशेषत: युवाओं का संवेदीकरण जैसी गतिविधियाँ	बेटी बचाओं-बेटी पढ़ाओं	केन्द्रीय	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	लैंगिक अपराधों (पीओसीएसओ) अधिनियम 2012 से बच्चों के संरक्षण का प्रभावी रुप से कार्यान्वयन।

क्रम सं.	गतिविधि	योजना / संस्थायें	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य नोडल विभाग	संबंधित घटक / विवरण
132	हिंसा व अपराध रहित ग्रामों को जैसे : क) नागरिक समितियों का गठन ख) विशेषत: युवाओं का संवेदीकरण जैसी गतिविधियाँ	स्वंय सिद्‌ध योजना	राज्य	गुजरात आजीविका संवर्धन कंपनी	एस एच जी का गठन करके आय उत्पन्न करनेवाली गतिविधियों के जरिए संसाधनों तक प्रत्यक्ष पहुँच पाने के लिए और नियंत्रण रखने के लिए महिला सदस्यों को सुसाध्य बनाना ।
133	हिंसा व अपराध रहित ग्रामों को जैसे : क) नागरिक समितियों का गठन ख) विशेषत: युवाओं का संवेदीकरण जैसी गतिविधियाँ	तीर्थ ग्राम योजना	राज्य	पंचायत एवं ग्रामीण आवास, एवं ग्रामीण विकास	तीर्थ ग्राम योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहनेवाले लोगों के बीच सद्‌भावना को समर्थ बनाने के लिए, एकता और समग्रत: ग्राम विकास को बढावा देने के लिए बनाई गई है । राज्य सरकार ने चयनित तीर्थ ग्राम को प्रोत्साहित करने के लिए 1,00,000 रुपयों का अंशदान किया है ।
134	हिंसा व अपराध रहित ग्रामों को जैसे : क) नागरिक समितियों का गठन ख) विशेषत: युवाओं का संवेदीकरण जैसी गतिविधियाँ	अभियान - 181 (महिला हेल्पलाइन)	राज्य	महिला तथा बाल विकास विभाग और गृह विभाग	जरुरत के मुताबिक महिलाओं की सुरक्षा के लिए मौके पर सहायता करने के लिए महिला हेल्पलाइन सेवा संख्या - 181 के साथ एक वैन सडक पर रखी गई है । प्रत्येक वैन में दो महिला हवालदार, एक परामर्शदाता और वाहन चालक होगा । यह सेवा अहमदाबाद, गांधीनगर और सुरत में है ।
135	हिंसा व अपराध रहित ग्रामों को जैसे : क) नागरिक समितियों का गठन ख) विशेषत: युवाओं का संवेदीकरण जैसी गतिविधियाँ	नारी अदालत	राज्य	महिला तथा बाल विकास विभाग	अंतर्गत आंतरिक संरचना महिलाओं का बना, महिलाओं द्वारा संचालित और महिलाओं के लिए है । यह सुनवाई के लिए गरीब, अशिक्षित महिलाओं के लिए, उनके फैसले का सम्मान करने के लिए वैकल्पिक न्याय व्यवस्था और प्लैटफार्म प्रदान करती है और वहाँ स्थान सृजित करती है जहाँ वैकल्पिक रुप से गरीब के लिए न्याय दिया जा सकेगा । इस योजना के तहत, राज्य सरकार ने नारी अदालत के लिए, महिला सामक्या मॉडेल सृजित किया, जो राज्य भर में कार्य कर रही है ।
136	ग्रामीण खेल व लोक कला त्योहार	कला व संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वितीय सहायता	केन्द्रीय	संस्कृति मंत्रालय	इस योजना के तहत नृत्य, नाटक तथा थियेटर कलाकारों के समूह, राष्ट्रीय स्तरों पर साँस्कृतिक आयोजनों के लिए वित्तीय सहायता, आदिवासी/लोक कला के प्रसारण व बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता, साँस्कृतिक अनुदान योजना तथा हिमालय के साँस्कृतिक धरोहर के संरक्षण व विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
137	'ग्राम दिवस' मनाना	कला तथा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता	केन्द्रीय	सांस्कृतिक मंत्रालय	इस योजना के तहत नृत्य, नाटक तथा थियेटर कलाकारों के समूह, राष्ट्रीय स्तरों पर साँस्कृतिक आयोजनों के लिए वित्तीय सहायता, आदिवासी/लोक कला के प्रसारण व बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता, साँस्कृतिक अनुदान योजना तथा हिमालय के साँस्कृतिक धरोहर के संरक्षण व विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

क्रम सं.	गतिविधि	योजना / संस्थायें	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य नोडल विभाग	संबंधित घटक / विवरण
138	सामाजिक बहिष्कृत समूह विशेषरुप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को जोड़ने व एकीकृत करने के पूर्वोपाय	राष्ट्रीय सेवा योजना	केन्द्रीय	युवा मामले एवं खेल मंत्रालय	राष्ट्रीय एकीकृत शिविर (समाज के सभी वर्ग के शामिल होने की पहल) लगाना।
139	सामाजिक बहिष्कृत समूह विशेषरुप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को जोड़ने व एकीकृत करने के पूर्वोपाय	बच्चों व कामगार माताओं के लिए राजीव गाँधी राष्ट्रीय शिशुसदन	केन्द्रीय	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	इस योजना के तहत समाज के आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के 0 से 5.0 वर्ष के आयु के शिशुओं को दिवसीय देखभाल सेवाएँ संबंधी सुविधाएँ प्रदान की जाती है, जो माताएँ कामगार है तथा जिनके परिवार को मासिक आय ₹1200 से अधिक नहीं है।
140	सामाजिक बहिष्कृत समूह विशेषरुप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को जोड़ने व एकीकृत करने के पूर्वोपाय	राष्ट्रीय युवा व किशोरावस्था विकास कार्यक्रम (एन पी वाई ए डी)	केन्द्रीय	युवा मामले एवं खेल मंत्रालय	राष्ट्रीय एकीकृत शिविर, अन्तर्राज्यीय युवा विनिमय कार्यक्रम।
141	सामाजिक बहिष्कृत समूह विशेषरुप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को जोड़ने व एकीकृत करने के पूर्वोपाय	नेहरु युवा केन्द्र संगठन	केन्द्रीय	युवा मामले एवं खेल मंत्रालय	समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व में युवा क्लब विकास कार्यक्रम।

आर्थिक विकास

क्रम सं.	गतिविधि	योजना / संस्थायें	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य नोडल विभाग	संबंधित घटक / विवरण
142	विविध कृषि व संबध्द आजीविका जिसमें पशु व बागवानी भी शामिल है, बढ़ावा देना।	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम	केन्द्रीय	ग्रामीण विकास मंत्रालय	वैध कार्य जिनमें जल संरक्षण तथ जल संचय, सूखा परीक्षण जिसमें वनीकरण, सिंचाई कार्य, परम्परागत जल निकायों को बहाल करना, भूमि विकास, बाढ़ नियंत्रण ग्रामीण सम्पर्क व सरकार द्वारा अधिसूचित कार्य शामिल है। निजी व सार्वजनिक भूमि में बागवानी विकास किया जा सकता है, तालाब के भूमिगत मत्स्य विकास भी किया जा सकता है।
143	विविध कृषि व संबध्द आजीविका जिसमें पशु व बागवानी भी शामिल है, बढ़ावा देना।	राष्ट्रीय कृषि विस्तार व प्रौद्योगिकी मिशन	केन्द्रीय	कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय	किसानों को उचित तकनीक तथा उन्नत कृषि शास्त्रीय अभ्यासों के वितरण को सक्षम बनाने के लिए कृषि विस्तार की पुनर्संरचना व बल प्रदान करते है। योजना में व्यापक भौतिकीय पहुँच से परे तथा परस्परिक सूचना पद्धति का प्रसार, आई सी टी का प्रयोग, आधुनिक व उचित तकनीक को लोकप्रिय बनाने, क्षमता निर्माण तथा संस्थाओं को मजबूत बनाना, यांत्रिकीकरण को बढ़ावा देने, गुणवत्तायुक्त बीज पौधा सुरक्षा आदि शामिल है। किसानों के हितों का आधार निर्माण हेतु किसान उत्पाद संगठन, आदि भी इस योजना के तहत शुरु किए जा सकते है। इस मिशन (एनएमएईटी) के अन्तर्गत 4 उप-मिशन शामिल है: 1. कृषिकीय विस्तार उप - मिशन (एस एम ए ई) 2. बीज व पौधा सामग्री उप-मिशन (एस एम एस पी) 3. कृषिकीय यांत्रिकरण उप-मिशन (एस एम ए एम) 4. पौधा संरक्षण व पौधा संगरोध उप-मिशन (एस एम पी पी)
144	विविध कृषि व संबध्द आजीविका जिसमें पशु व बागवानी भी शामिल है, बढ़ावा देना।	अनुसूचित जाति उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	केन्द्रीय	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति के आर्थिक विकास के लिए संबंधित विकास कार्यक्रमों को समर्थन देती है। कृषिकीय बागवानी, पशु कार्यक्रम ढ़ाँचागत फुटकर विकास, आय उत्पन्न करने के लिए किसानों के समूहों का गठन, किसानों की निर्माण क्षमता आदि किए गए है। यह योजना अनुसूचित जाति के विकास के लिए ही प्रयोज्य है तथा अधिक प्राथमिकता देने की जगह ढ़ाँचागत घटक का भी उपयोग किया जा सकता है।

क्रम सं.	गतिविधि	योजना / संस्थायें	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य नोडल विभाग	संबंधित घटक / विवरण
145	विविध कृषि व संबध्द आजीविका जिसमें पशु व बागवानी भी शामिल है, बढ़ावा देना।	अनुसूचित जाति उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	केन्द्रीय	आदिवासी मामला मंत्रालय	विशेष केन्द्रीय सहायता का तात्पर्य आय उत्पन्न परिवार आमुखी योजनाएँ तथा उसके ढ़ाँचागत फुटकर युक्त होना है। इस एससीए से टीएसपी के अन्तर्गत आजीविका विकास संबंधी सभी योजनाएँ शुरु की जा सकती है। निम्नलिखित श्रेंणी की परियोजनाएँ एससीए योजना के अन्तर्गत किए जा सकते है। 1. एसएचजी की सहायता के लिए आजीविका विस्तार परियोजनाएँ जिसमें माइक्रो एंटरप्राइज प्रमोशन शामिल है। 2. कौशल विकास प्रशिक्षण जिसमें पीएलईटी शामिल है। 3. भूमि आधारित गतिविधियों जिनमें बागवानी, वाडी, सब्जी को खेती, रबर की खेती, कृषिकीय मध्यस्थता आदि शामिल है। 4. पशुपालन परियोजनाएँ अर्थात् मुर्गी पालन, बकरी पालन, उत्पाद समूह को बढ़ावा। 5. जल संसाधन (गहरे नलकूप) सम्पर्क कार्य का विकास। 6. खेत यांत्रिकीकरण। 7. ग्रामीण बाजार व ढ़ाँचागत विपणन का निर्माण। 8. उत्पाद व प्रोसेसिंग इकाईयों, सूखाने की जगह। 9. ठंडे कक्ष तथा रेफ्रिजरेटेड वैन आदि शामिल है।
146	विविध कृषि व संबध्द आजीविका जिसमें पशु व बागवानी भी शामिल है, बढ़ावा देना।	वातावरण आधारित फसल बीमा योजना	केन्द्रीय	कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय	इसमें वातावरण पर आधारित फसल बीमा योजना का प्रावधान है।
147	विविध कृषि व संबध्द आजीविका जिसमें पशु व बागवानी भी शामिल है, बढ़ावा देना।	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी एम के एस वाई)	केन्द्रीय	कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय	इसमें सिंचाई वितरण कड़ी में एक छोर से दूसरे छोर तक का समाधान करना है अर्थात् जल स्रोत वितरण नेटवर्क व फसल स्तर के आवेदन, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना में तीन घटक अर्थात् प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (हर बूँद अधिक फसल), जल विभाजन व्यवस्थापन (भूमि संसाधनों के भाग के रुप में) तथा (जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास व गंगा कायाकल्प के भाग के रुप में)।
148	विविध कृषि व संबध्द आजीविका जिसमें पशु व बागवानी भी शामिल है, बढ़ावा देना।	कृषिकीय विपणन एकीकृत योजना	केन्द्रीय	कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय	विभिन्न कृषिकीय उत्पादों के विपणन की दिशा में सहायता प्रदान करना।
149	विविध कृषि व संबध्द आजीविका जिसमें पशु व बागवानी भी शामिल है; बढ़ावा देना।	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	केन्द्रीय	कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय	यह कार्यक्रम कृषिकीय क्षेत्र में उच्च विकास की उपलब्धि तथा कृषिकीय विस्तार के माध्यम से आहार सुरक्षा, सतत कृषि, तेल बीज, ताड के तेल का उत्पादन कृषोन्नति योजना के भाग के रुप में ध्यान केन्द्रित करते हुए एकीकृत विकास के लिए डिज़ाइन किया गया है।

क्रम सं.	गतिविधि	योजना / संस्थायें	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य नोडल विभाग	संबंधित घटक / विवरण
150	विविध कृषि व संबंध्द आजीविका जिसमें पशु व बागवानी भी शामिल है, बढ़ावा देना।	एकीकृत बागवानी विकास मंत्रालय	केन्द्रीय	कृषि एवं सहकारिता विकास मंत्रालय	यह योजना वर्तमान में जारी राष्ट्रीय बागवानी मिशन, पूर्वोत्तर राज्य व हिमालय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय बम्बू मिशन राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, नारियल विकास बोर्ड, व केन्द्रीय बागवानी संस्थान, नागालैंड योजनाओं को एकीकृत करना है। निम्नलिखित प्रमुख बागवानी योजनाओं को राष्ट्रीय मिशन के तहत लाना है: 1. राष्ट्रीय बागवानी मिशन: पूर्वोत्तर राज्य व हिमालय बागवानी मिशन, एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एचएमएनईएच) के उप-योजनाओं में से एक है जो पूर्वोत्तर राज्यों व हिमालय राज्यों में राज्य बागवानी मिशन (एसएचएम) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना के अर्न्तगत लाभ और सहायता पाने के लिए किसान/लाभभोगी संबंधित जिला के बागवानी अधिकारी से संर्पक करेंगे। 2. राष्ट्रीय बम्बू मिशन (एनबीएम) एकीकृत बागवानी विकास मिशन के उप-योजनाओं में से एक है वे सभी राज्यों जो केन्द्र शासित प्रदेशों में राज्य बम्बू विकास एजेंसियों / वन विकास एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना के तहत लाभ व सहायता के लिए किसान / लाभार्थी संबंधित जिलों के बीडीए / एफडीए अधिकारी से सम्पर्क कर सकते है। 3. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत विभिन्न राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों में विभिन्न योजनाएँ कार्यान्वित कर रहा है।इस योजना के तहत लाभ व सहायता के लिए किसान /लाभार्थी एनएचबी के क्षेत्रीय कार्यालय / एनएचबी के मुख्यालय से सम्पर्क कर सकते है। 4. नारियल विकास बोर्ड (सीडीबी) एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत देश के सभी नारियल उगाने वाले राज्यों में विभिन्न योजनाएँ कार्यान्वित कर रहा है इस योजना के तहत लाभ व सहायता के लिए किसान / लाभार्थी सीडीबी के क्षेत्रीय कार्यालय/सीडीवी के मुख्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।
151	विविध कृषि व संबंध्द आजीविका जिसमें पशु व बागवानी भी शामिल है, बढ़ावा देना।	राष्ट्रीय गोजातीय प्रजनन व देशी नस्ल कार्यक्रम	केन्द्रीय	पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन विभाग	राष्ट्रीय गोजातीय प्रजनन व देशी नस्ल कार्यक्रम, कृत्रिम गर्भाधान नेटवर्क के विस्तार, कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम की देखरेख, देसी नस्लों के विकास व संरक्षण तथा नस्ल के मिलन तथा सामाजिक मान्यता से देसी नस्लों के विकास व संरक्षण को प्रोत्साहित करना आदि को समर्थन प्रदान करना है।

क्रम सं.	गतिविधि	योजना / संस्थायें	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य नोडल विभाग	संबंधित घटक / विवरण
152	विविध कृषि व संबध्द आजीविका जिसमें पशु व बागवानी भी शामिल है, बढ़ावा देना।	पशु स्वास्थ्य व रोग नियंत्रण कार्यक्रम	केन्द्रीय	पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग	इस योजना में पशु स्वास्थ्य जिसमें पशु रोग, पैर व मुँह के रोग नियंत्रण कार्यक्रम, के तहत वर्तमान पशु अस्पताल व डिस्पेंसरियों, राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना, व्यावसायिक कार्यकुशलता विकास, राष्ट्रीय कीट नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय पशु रोग रिपोर्टिंग सिस्टम तथा पशु स्वास्थ्य निदेशालय जिसमें पशु संगरोध प्रमाणन, केन्द्रीय रोग निवारण प्रयोगशाला, राष्ट्रीय पशुपालन जीव विज्ञान उत्पाद गुणवता नियंत्रण केन्द्र शामिल है क्लासिकल स्वाईन फिवर नियंत्रण कार्यक्रम की योजना के लिए भी बजट प्रावधान किया गया है।
153	विविध कृषि व संबध्द आजीविका जिसमें पशु व बागवानी भी शामिल है, बढ़ावा देना।	राष्ट्रीय पशु मिशन	केन्द्रीय	पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग	राष्ट्रीय पशु मिशन में चारा विकास, पशु बीमा, सूअर विकास, मुर्गी पालन विकास की विभिन्न योजनाएँ शामिल है, समर्थन दिया जाता है
154	विविध कृषि व संबध्द आजीविका जिसमें पशु व बागवानी भी शामिल है, बढ़ावा देना।	राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम	केन्द्रीय	पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग	डेयरी विकास से संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रम का प्रावधान है जिसमें डेयरी विकास कार्यक्रम जिसमें स्वच्छ दूध व सहकारिता सहयोग भी शामिल है, योजना चल रही है।
155	विविध कृषि व संबध्द आजीविका जिसमें पशु व बागवानी भी शामिल है, बढ़ावा देना।	समुद्री मत्स्य पालन ढाँचागत व फसलोत्तर संचालन मत्स्य कारों के कल्याण कार्यक्रम विभाग	केन्द्रीय	पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग	इसमें ढाँचागत समुद्री मत्स्य पालन, फसलोत्तर संचालन व मत्स्य कारों के कल्याण के विकास कार्यक्रम शामिल है।
156	विविध कृषि व संबध्द आजीविका जिसमें पशु व बागवानी भी शामिल है, बढ़ावा देना।	नीली क्रान्ति-भूमिगत मत्स्य पालन	केन्द्रीय	पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग	भूमिगत एक्वाकल्चर व मत्स्य पालन के विकास के लिए प्रावधान किए गए है। नीली क्रान्ति-भूमिगत मत्स्य पालन की एक योजना के तहत डाटाबेस व सूचना नेटवर्किंग को बल प्रदान करना।
157	विविध कृषि व संबध्द आजीविका जिसमें पशु व बागवानी भी शामिल है, बढ़ावा देना।	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	केन्द्रीय	कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय	प्रयोगशाला से प्रयोगशाला की पहल का समर्थन किया गया है।

क्रम सं.	गतिविधि	योजना / संस्थायें	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य नोडल विभाग	संबंधित घटक / विवरण
158	विविध कृषि व संबध्द आजीविका जिसमें पशु व बागवानी भी शामिल है, बढ़ावा देना।	सॉइल हैल्थ कार्ड	केन्द्रीय	कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय	इस योजना के तहत किसानों को सॉइल कार्ड जारी किए जाते है जो पोषण तत्वों व खादी के फसलवार सिफारिशों से युक्त होते हे, जो व्यक्तिगत खेतों के लिए अपेक्षित है, किसानों को इनपुट के विवेकपूर्ण उपयोग के ज़रिए उत्पादकों में सुधार कर सकते है । इन कार्यक्रम के तहत सभी मिट्टी के नमूनों की जाँच देश के विभिन्न सॉइल टेस्टिंग प्रयोगशालाओं में किए जा रहे हैं। तत्पश्चात विशेषज्ञ मिटटी के सामर्थ्य व कमजोरियों (माइक्रो न्यूट्रीएंट्स डेफिशिएन्सी) का आंकलन करते है तथा उपाय करने से संबंधित सुझाव देते है। इनके परिणाम व सुझावों को कार्ड में प्रदर्शित किया जाता है। किसान इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं।
159	विविध कृषि व संबध्द आजीविका जिसमें पशु व बागवानी भी शामिल है, बढ़ावा देना।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	केन्द्रीय	कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चावल, गेहूँ,दालें, मोटे अनाज व वाणिज्यिक फसल की वृद्धि करेगा ताकि देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जा सके।
160	विविध कृषि व संबध्द आजीविका जिसमें पशु व बागवानी भी शामिल है, बढ़ावा देना।	राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन	केन्द्रीय	कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय	वातावरण परिवर्तन, जल संरक्षण जल व्यवस्थापन जल सामर्थ्य, भूमि उपजाऊपन व प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की स्थिरता व बारानी कृषिकीय मुद्दे समग्र रुप में जिसमे माइक्रो सिंचाई योजना के तहत इस समय टपकन व छिड़काव के कार्यक्रम भी शामिल है, इन मुद्दों की ओर ध्यान दिया जा रहा हैं।
161	विविध कृषि व संबध्द आजीविका जिसमें पशु व बागवानी भी शामिल है, बढ़ावा देना।	तिलहन विकास	केन्द्रीय	कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय	खाद्य तिलहनों की खेती, उत्पादन व प्रोसेसिंग की ओर सहायता प्रदान करना।
162	विविध कृषि व संबध्द आजीविका जिसमें पशु व बागवानी भी शामिल है, बढ़ावा देना।	परम्परागत कृषि विकास योजना	केन्द्रीय	कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय	खाद्य सरकार द्वारा कार्बनिक खेती व उससे भूमि स्वास्थ्य सुधार को समर्थन व बढ़ावा देने के लिए परम्परागत कृषि विकास योजना की शुरुआत की है। इससे किसानों को खेती को वातावरण के अनुकूल की कवायद व खाद पर निर्भरता कम करने तथा कृषिकीय रसायनों से खेती में वृदधि जैसे विषयों पर प्रोत्साहन मिलेगा। भमि स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग जैस खेत खाद, मुर्गी पालन खाद, शहरी खाद बायोगैस घोल वे क्षेत्र है जिन पर इस योजना के तहत जोर दिया गया है।

क्रम सं.	गतिविधि	योजना / संस्थायें	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य नोडल विभाग	संबंधित घटक / विवरण
163	विविध कृषि व संबध्द आजीविका जिसमें पशु व बागवानी भी शामिल है, बढ़ावा देना।	राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड	केन्द्रीय	पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग	राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड द्वारा निम्नलिखित गतिविधियाँ निष्पादित की गई है जिन से वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है : 1. तालाबों व टंकियों में गहन कृषि। 2. जलाशयों में मत्स्य पालन विकास। 3. तटीय जलकृषि। 4. समुद्री (मैरिकल्चर) 5. समुद्री सिवार खेती। 6. बुनियादी ढ़ांचे में मछली पकड़ने के बंद्रगाह व लैंडिग केन्द्र। 7. मछली ड्रेसिंग केन्द्र व मछली सौर सुखाव 8. देशीय विपणन। 9. तकनीकी अद्यतन। 10. गहरे समुद्र में मछली पकड़ना एवं टूना प्रोसेसिंग

क्रम सं.	गतिविधि	योजना / संस्थायें	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य नोडल विभाग	संबंधित घटक / विवरण
164	विविध कृषि व संबध्द आजीविका जिसमें पशु व बागवानी भी शामिल है, बढ़ावा देना।	डेयरी उद्यमिता विकास योजना	केन्द्रीय	पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग	इस योजना में- 1. शुदध दूध के उत्पादन के लिए आधुनिक डेरी फॉर्म की स्थापना करना। 2. अच्छे प्रजनन स्टॉक के संरक्षण व विकास के लिए बछिया, बछड़ा पालने प्रोत्साहित करना। 3. असंगठित क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन लाना ताकि ग्राम स्तर पर दूध के प्रोसेसिंग की पहल की जा सके। 4. दूध को वाणिज्यिक पैमाने पर व्यवहारिक बनाने के लिए परम्परागत तकनीकों को आधुनिक बनाना। 5. मुख्य रुप से डेयरी क्षेत्र को आधुनिक बनाने व स्व रोजगार के लिए बुनियादी ढाँचा मुहैया कराना आदि समर्थन शामिल हैं। सहायता पैटर्न (ढ़ांचा) : उद्यमी अंशदान (सीमा) - आय का 10% (न्यूनतम) पिछली-पूँजी समाप्ति सब्सिडी-आय का 25% सामान्य श्रेणी (अनु.जाति-/ अनु.ज.जाति के किसानों के लिए 33.33% प्रभावी बैंक ऋण-शेषा भाग / आय का न्यूनतम 40% भारत सरकार परियोजना की लागत का सामान्य श्रेणी को पिछली-पूँजी समाप्ति संब्सिडी 25% तथा 33.33% अनु.जाति, अनु.ज.जाति के किसानों को घटक वार सीमा जो कि बैंक ऋण के पुनर्भुगतान के पिछले कुछ किश्तों में समायोजन किया जाएगा, मुहैया कराएगी। कार्यान्वयन एजेंसियाँ: राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। वाणिज्यिक बैंक, सहकारिता बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण व शहरी बैंक इस योजना के कार्यान्वयन बैंक है। यह योजना संगठित व असंगठित क्षेत्र दोनों के लिए खुली है। लक्ष्य समूह/लाभभोगी: कृषिकीय किसान, व्यक्तिगत उद्यमी तथा संगठित व असंगठित क्षेत्र के समूह हैं जिनमें स्व-सहायता समूह, डेयरी सहकारिता सोसायटियों, दूध संघ, दूध संगठन आदि शामिल है। यह योजना ग्राम स्तर व डेयरी सहकारिता सोसायटी स्तर पर रोज़गार पैदा करने के लिए भी सहायक है।
165	विविध कृषि व संबध्द आजीविका जिसमें पशु व बागवानी भी शामिल है, बढ़ावा देना।	राष्ट्रीय आयुष मिशन (एन ए एम)	केन्द्रीय	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध एवं होमियोपैथी मंत्रालय	अच्छे कृषिकीय आदतों को अपनाते हुए औषधि पौधों की कृषि को सहायता प्रदान करना, ताकि गुणवत्ता युक्त कच्चे सामग्री का सतत वितरण तथा गुणवत्ता मानकों के प्रमाणन मैकैनिज़न, अच्छे कृषिकीय एकत्रीकरण/भंडारण की आदत, खेती के अभिसरण के माध्यम से समर्थित समूहों की स्थापना, गोदाम, कीमतयुक्त व विपणन तथा उद्यमियों के लिए बुनियादी ढ़ांचे का विकास आदि का इस योजना के तहत सहायता प्रदान करना है।

क्रम सं.	गतिविधि	योजना / संस्थायें	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य नोडल विभाग	संबंधित घटक / विवरण
166	विविध कृषि व संबध्द आजीविका जिसमें पशु व बागवानी भी शामिल है, बढ़ावा देना।	राष्ट्रीय औषधी पौध बोर्ड	केन्द्रीय	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध व होमियोपैथी मंत्रालय	किसानों की भूमि पर पिछले व अग्र कडी के रुप में औषधि पौधों की खेती जो राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत महत्वपूर्ण घटक है, सहायता प्रदान की जाती है।
167	विविध कृषि व संबध्द आजीविका जिसमें पशु व बागवानी भी शामिल है, बढ़ावा देना।	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में जैव कृषि	केन्द्रीय	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में जैव खेती के लिए सहायता प्रदान करना है।
168	विविध कृषि व संबध्द आजीविका जिसमें पशु व बागवानी भी शामिल है, बढ़ावा देना।	आजीविका-राष्ट्रीय आजीविका मिशन	केन्द्रीय	ग्रामीण विकास मंत्रालय	महिलाओं के लिए रसोई बागवानी या मैदानी बागवानी / उत्पादक कंपनियों आदि / नए अच्छे आदतों / प्रशिक्षण का संचालन की स्थापना के लिए सहायता प्रदान हैं।
169	विविध कृषि व संबध्द आजीविका जिसमें पशु व बागवानी भी शामिल है, बढ़ावा देना।	जैव विविधता संरक्षण व ग्रामीण आजीविका सुधार परियोजना	केन्द्रीय	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	चुनिंदा भू-परिदृश्यों में जैव विविधता के संरक्षण के लिए विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना जबकि भागीदारी पहुँच के जरिए ग्रामीण आजीविका में सुधार हो रहा है।
170	विविध कृषि व संबध्द आजीविका जिसमें पशु व बागवानी भी शामिल है, बढ़ावा देना।	बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी)	केन्द्रीय	अल्पसंख्यक मामला मंत्रालय	इस कार्यक्रम के तहत किसानों की क्षमता के निर्माण की शुरुआत की जा सकती है।
171	विविध कृषि व संबध्द आजीविका जिसमें पशु व बागवानी भी शामिल है, बढ़ावा देना।	एनटीईपी व एमएफपी के लिए विपणन सहायता	केन्द्रीय	आदिवासी मामला मंत्रालय	आदिवासी उत्पाद के खुदरा विपणन विकास गतिविधियों, अनुसंधान व विकास, अनूसूचित जनजाति के शिल्पियों व लघु वनोपज संग्राहक व समूह कोष की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
172	विविध कृषि व संबध्द आजीविका जिसमें पशु व बागवानी भी शामिल है, बढ़ावा देना।	किसानों के लिए (बैंक द्वारा) अल्पावधि ऋण पर ब्याज में छूट	केन्द्रीय	वित्त मंत्रालय	इस योजना के तहत किसानों के लिए (बैंकों द्वारा) अल्पावधि ऋण पर ब्याज में छूट दी जाती है।

क्रम सं.	गतिविधि	योजना / संस्थायें	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य नोडल विभाग	संबंधित घटक / विवरण
173	विविध कृषि व संबध्द आजीविका जिसमें पशु व बागवानी भी शामिल है, बढ़ावा देना।	न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) व लघु वनोत्पाद (एमएफपी) के लिए मूल्य श्रृंखला विकास के विपणन तंत्र	केन्द्रीय	आदिवासी मामला मंत्रालय	इस योजना का उद्देश्य एनटीएफपी. समूहों के सामूहिक प्रयासों, प्राथमिक प्रोसेसिंग, भंडारण, पैकेजिग, यातायात आदि के लिए निष्पक्ष मौद्रिक रिटर्न्स को सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली स्थापित करना, साथ ही उन्हें बिक्री आय से राजस्व का हिस्सा भी वांछित है। यह भी उद्देश्य है कि प्रक्रिया की निरन्तरता के लिए अन्य मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाना है।
174	विविध कृषि व संबध्द आजीविका जिसमें पशु व बागवानी भी शामिल हैं, बढावा देना	कृषि महोत्सव	राज्य	कृषि और सहकारिता विभाग	मई-जून के दौरान एक संपूर्ण महीने के लिए हर साल गहन अभिसरण और जन संपर्क रणनीति आयोजित की जाती है, जिसमें कृषि मेला, प्रदर्शन और संगोष्ठियों के जटिल घटक होते हैं । कृषि विश्वविद्यालयों से आये विशेषज्ञों के साथ बातचीत करने के लिए, कृषि वैज्ञानिकों और खेती करनेवाले समुदाय के बीच जागरुकता बढाने और संपर्क बनाए रखने के लिए ग्राम स्तर पर किसानों के लिए यह एक प्लैटफार्म प्रदान करता है ।
175	विविध कृषि व संबध्द आजीविका जिसमें पशु व बागवानी भी शामिल हैं, बढावा देना	मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना	राज्य	कृषि और सहकारिता विभाग	किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण करना।
176	विविध कृषि व संबध्द आजीविका जिसमें पशु व बागवानी भी शामिल हैं, बढावा देना	सुजलाम् सुफलाम् योजना	राज्य	नर्मदा, जल संसाधन, जल आपूर्ति और कल्पसार विभाग	नहर और कदाना जलाशय के बाढ के पानी के प्रबंधन के जरिए सिंचाई सुविधा।
177	विविध कृषि व संबध्द आजीविका जिसमें पशु व बागवानी भी शामिल हैं, बढावा देना	वनबंधु कल्याण योजना	राज्य	आदिवासी विभाग	वनबंधु कल्याण योजना आई टी डी पी क्षेत्रों में समाज-नागरिक संरचना की गुणता सुधारने के लिए और उसके द्वारा इन क्षेत्रों में दुगुनी आय के लिए उददेशियत गुणता और परिणाम अभिमुख कार्यक्रम है । कार्यक्रम की रणनीतियों में वैश्विक अनुबंध, सूचनाा प्रौद्योगिकी और मूल्य वृध्दि के नये युग में आदिवासी समितियों के नेतृत्व के लिए निजी पहल, प्रौद्योगिकी, संरचना प्रशिक्षण और आधुनिक सुविधाओं के काम में लाना शामिल है ।
178	विविध कृषि व संबध्द आजीविका जिसमें पशु व बागवानी भी शामिल हैं, बढावा देना	गोचर विकास योजना	राज्य	कृषि एवं सहकारिता विभाग	गुजरात सरकार ने पशुओं के लिए चारा के घाटे की भरपाई करने के लिए योजना बनाई है । इस योजना के तहत, आर्थिक सहायता दी जाती है । सब्सिडी का दर : (कुल उपगत व्यय की 75% सब्सिडी) 1 हेक्टर भूमि के लिए 1 लाख रुपये । अधिकतम : 20 हेक्टर भूमि के लिए 20 लाख रुपये ।

क्रम सं.	गतिविधि	योजना / संस्थायें	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य नोडल विभाग	संबंधित घटक / विवरण
179	विविध कृषि व संबध्द आजीविका जिसमें पशु व बागवानी भी शामिल हैं, बढावा देना	पशु आरोग्य मेला अभियान	राज्य	कृषि एवं सहकारिता विभाग	यह मेला पशु स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पशुओं के लिए स्वास्थ्य कैंप उपलब्ध कराती है; गहन टीका भी देती है । इस अभियान में प्रति वर्ष पशु स्वास्थ्य कैंप ग्राम स्तर पर आयोजित किए जाते हैं । इस एक मासिक अभियान के दौरान, राज्य के किसानों को विशेषज्ञों से दूर-दराज के स्थानो में भी सभी मूल्यवान और जीवन-बचत पशुपालन सेवाएँ मिलती हैं ।
180	विविध कृषि व संबध्द आजीविका जिसमें पशु व बागवानी भी शामिल हैं, बढावा देना	खरगोश इकाई की स्थापना के लिए कमजोर वर्गो को सहायता	राज्य	कृषि एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन निदेशालय)	संपत्ति के रुप में सहायता, खरगोश (3 मादा +1 नर) और पिंजरा । यह योजना केवल अनुसूचित जनजातियों के लिए लागू है ।
181	विविध कृषि व संबध्द आजीविका जिसमें पशु व बागवानी भी शामिल हैं, बढावा देना	बकरी इकाई (10 मादा + 1 नर) की स्थापना के लिए सहायता	राज्य	कृषि एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन निदेशालय)	₹ 20,000 (50%) सहायता अनुसूचित जाति के किसानों को ₹ 40,000 लागत की इकाई पर दी जाती है ।
182	विविध कृषि व संबध्द आजीविका जिसमें पशु व बागवानी भी शामिल हैं, बढावा देना	25 आर आई आर पक्षी इकाई की स्थापना के लिए सहायता	राज्य	कृषि एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन निदेशालय)	संपत्ति के रुप में 75% सब्सिडी दी जाती है । एस सी/एस टी के किसानों को कुल इकाई लागत ₹ 4,000 एवं सब्सिडी मूल्य ₹ 3,000 ।
183	विविध कृषि व संबध्द आजीविका जिसमें पशु व बागवानी भी शामिल हैं, बढावा देना	दुग्ध पशु के लिए दूध वृध्दि कार्यक्रम	राज्य	कृषि एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन निदेशालय)	अनुसूचित जाति के किसानों के लिए एफ एम डी टीका, डिवार्मिंग, मिनरल मिक्सर, कुल मूल्य ₹ 500 मिलाकर मुफ्त स्वास्थ्य पैकेज आपूर्ति ।
184	विविध कृषि व संबध्द आजीविका जिसमें पशु व बागवानी भी शामिल हैं, बढावा देना	एकीकृत चारा विकास योजनाओं के तहत चारा मिनिकिट्स	राज्य	कृषि एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन निदेशालय)	अनुसूचित जाति के किसानों को सुधारित विभिन्न चारा बीजों की मुफ्त आपूर्ति ।
185	ग्रामीण औद्योगीकरण	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारटी अधिनियम	केन्द्रीय	ग्रामीण विकास मंत्रालय	इस योजना के उपबंधों के तहत पशु शेड, बकरी शेड, पोल्ट्री पक्षियों के रात्रि आश्रय के निर्माण व रखरखाव के लिए सहायता दी जाती है।
186	ग्रामीण औद्योगीकरण	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र आजीविका परियोजना	केन्द्रीय	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में रोजगार, आय व प्राकृतिक संसाधनों की स्थिरता के लिए सहायता दी जाती है।

क्रम सं.	गतिविधि	योजना / संस्थायें	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य नोडल विभाग	संबंधित घटक / विवरण
187	ग्रामीण औद्योगीकरण	विशेष श्रेणी के राज्य जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल के लिए पैकेज	केन्द्रीय	औद्योगिक नीति व प्रोत्साहन विभाग	जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तरांचल राज्यों की औद्योगिक नीति में निहित विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता दी जाती हे।
188	ग्रामीण औद्योगीकरण	औद्योगिक बुनियादी ढ़ाँचा आधुनिकीकरण योजना	केन्द्रीय	औद्योगिक नीति व प्रोत्साहन विभाग	चुनिंदा कार्यात्मक समूहों में औद्योगिक विकास, बुनियाद ढ़ाँचा विकास उद्योगों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के एजेंसियाँ के माध्यम से गुणवता मुहैय्या करवाएँ जाएँगे।
189	ग्रामीण औद्योगीकरण	निवेश को बढ़ावा देने की योजना / मेक इन इंडिया	केन्द्रीय	औद्योगिक नीति व प्रोत्साहन विभाग	वैश्विक प्रचार अभियान के द्वारा भारत को एक निवेश गंतव्य व उत्पादक हब के रुप में प्रक्षिप्त करना है। इसके पहल का उद्देश्य भारत को निवेश गंतव्य के रुप में प्रक्षिप्त करने तथा उत्पादक हब के रुप में स्थापित करना है ताकि वैश्विक निवेशकों को भारत में उनका उत्पादन शुरु करने व भारत को एक बड़े कार्यबल की संभावना बुनियादी ढाँचा, कच्चा माल व अन्य सुविधाओं से युक्त देश के रुप में प्रस्तुत किया जा सके।
190	ग्रामीण औद्योगीकरण	उत्तर-पूर्वी औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2007	केन्द्रीय	औद्योगिक नीति व प्रोत्साहन विभाग	इस नीति के तहत सभी औद्योगिक इकाईयों, नए व वर्तमान इकाईयों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है जो उत्तर-पूर्वी के किसी के भी भाग में अपनी इकाईयों का ठोस विस्तार करते है जैसे: 1. औद्योगिक के उत्पाद शुल्क में छूट 2. 100% आयकर में छूट 3. संयंत्र व मशीनरी पर 30% की दर से पूँजी निवेश सब्सिडी बिना किसी अधिकतम निवेश सीमा के 4. यातायात सब्सिडी योजना: बाहर से आने वाले कच्चे माल पर 90% तथा राज्य में तैयार माल पर 50% 5. उत्पादन शुरु करने की तारीख से अधिकतम 10 वर्ष की अवधि के लिए 3% की दर से कार्यशील पूँजी ऋण पर निवेश सब्सिडी दी जाएगी। 6. बीमा प्रीमियम का 100% बृहत् बीमा प्रतिपूर्ति। 7. सेवा क्षेत्र जैसे होटलों, नर्सिंग हो, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थाओं आदि के लिए प्रोत्साहन राशि भी देय है।

क्रम सं.	गतिविधि	योजना / संस्थायें	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य नोडल विभाग	संबंधित घटक / विवरण
191	ग्रामीण औद्योगीकरण	औद्योगिक इकाईयों को परिवहन सब्सिडी	केन्द्रीय	औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग	दूरवर्ती क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों दूर्गम क्षेत्रों में औदयोगीकरण विकास के लिए औद्योगिक इकाईयों को परिवहन लागत के खर्च पर सब्सिडी दी जाती है ताकि ये औद्योगिक इकाई अन्य औद्योगिक इकाईयों की प्रतिस्पर्धा में टिक सके जो भौगोलिक दृष्टि से बेहतर जगहों पर स्थित हैं। सब्सिडी उन सभी योग्य इकाईयों को भी 50% से 90% तक के रेजिंग तक परिवहन लागत, कच्चा माल, तैयार माल, इकाई से आने जाने, नामित रेल-हेड जो अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए उत्तर-पूर्वी राज्यों, जम्मू व कश्मीर, उत्तरांचल व पश्चिम बंगाल के दार्जीलिंग जिलों के लिए 75% तथा उत्तर-पूर्वी के भीतर माल के आवागमन पर 50% सब्सिडी दी जाती है।
192	ग्रामीण औद्योगीकरण	भारतीय चमडा विकास कार्यक्रम	केन्द्रीय	औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग	इस कार्यक्रम के तहत चमडा इकाईयों के आधुनिकीकरण व तकनीकी अद्यतन करने के लिए समर्थन, पर्यावरण चिंताएँ, मानव संसाधन विकास की ओर ध्यान देना, परम्परागत चमडा शिल्पियों का समर्थन, ढ़ाँचागत बाधाओं और संस्थागत सुविधाओं की स्थापना करने की ओर ध्यान देना शामिल है।
193	ग्रामीण औद्योगीकरण	गोदाम व भंडारण निर्माण	केन्द्रीय	आहार व सार्वजनिक वितरण विभाग	भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से गोदाम, दुकानों आदि के निर्माण के लिए सहायता मुहैय्या करना।
194	ग्रामीण औद्योगीकरण	विकेन्द्रीकृत खाद्यान्न खरीद योजना	केन्द्रीय	आहार एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	विकेन्द्रीकृत खाद्यान्न खरीद योजना के तहत केन्द्रीय पूल के लिए खाद्यान्न की खरीदारी करने वाले राज्यों को सब्सिडी दी जाएगी।
195	ग्रामीण औद्योगीकरण	उत्तर-पूर्वी हस्तशिल्प व हथकरघा विकास निगम	केन्द्रीय	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	उत्तर-पूर्वी हस्तशिल्प व हथकरघा विकास निगम को उनके प्रदर्शनियों आदि में भाग लेने के एवज में होने वाली किसी वित्तीय हानि से उबरने के लिए ऋण मुहैय्या किए जाते है।
196	ग्रामीण औद्योगीकरण	उत्पादन के विज्ञापन व प्रचार, विपणन	केन्द्रीय	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के प्रर्दशन गतिविधियों व उसे देश के अन्य भागों के साथ मुख्यधारा में लाने के लिए व्यापार निकायों व अन्य एजेंसियों के सहायोग से व्यापार प्रदर्शनियों, संगोष्ठियों आदि के माध्यम से क्षेत्र के अपार क्षमता का दोहन करनें हेतु विज्ञापन व प्रचार योजनाओं के माध्यम से कार्य निष्पादित किए जाते है।

क्रम सं.	गतिविधि	योजना / संस्थायें	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य नोडल विभाग	संबंधित घटक / विवरण
197	ग्रामीण औद्योगीकरण	उत्तर-पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड़	केन्द्रीय	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में वित्तीय तथा पर्यावरण के अनुकूल पोषण व वाणिज्यिक व्यवहार्य औद्योगिक बुनियादी ढ़ाँचे व कृषि बागवानी की पहचान करते हुए इस क्षेत्र में दीर्घावधि आसान ऋण दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
198	ग्रामीण औद्योगीकरण	उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम	केन्द्रीय	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम द्वारा व्यापार गतिविधियाँ चलाने के लिए कार्यशील पूँजी।
199	ग्रामीण औद्योगीकरण	बुनियादी ढ़ाँचा विकास व क्षमता निर्माण - लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय समूह विकास कार्यक्रम	केन्द्रीय	लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	समूह विकास कार्यक्रम के तहत महिला उद्यमी संघि को प्रदर्शनी लगाने के लिए मध्यवर्ती जगहों व महिलाओं द्वारा स्वामित्व लघु व मध्यम उद्यमों के उत्पादनों की बिक्री के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
200	ग्रामीण औद्योगीकरण	आजीविका-राष्ट्रीय आजीविका मिशन	केन्द्रीय	ग्रामीण विकास मंत्रालय	ग्रामीण औद्योगिक इकाईयाँ स्थापित करने वाले समूहों की सब्सिडी व प्रशिक्षण तथा अन्य प्रबंधन व संयोजन के लिए समर्थन भी दिया जाता है।
201	ग्रामीण औद्योगीकरण	ग्रामीण उद्यमिता प्रारंभ कार्यक्रम	केन्द्रीय	ग्रामीण विकास मंत्रालय	ग्रामीण उद्यमिताओं की उष्मायन सेवाएँ मुहैय्या करवाना।
202	ग्रामीण औद्योगीकरण	निजी तथा लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय के (प्रिज़्म) की शुरुआत के नवीनीकरण को बढ़ावा	केन्द्रीय	विज्ञान व तकनीकी मंत्रालय	लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय के नवीनीकरण के प्रस्तावों को तथा निजी उद्यमियों प्रारंभ करने वालों को समर्थन।
203	ग्रामीण औद्योगीकरण	भवन औदयोगिक अनुसंधान व विकास तथा सामान्य अनुसंधान सुविधाएँ	केन्द्रीय	विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय	लघु तथा सूक्ष्म (माइक्रो) उद्योगों की सामान्य अनुसंधान सुविधाओं के सृजन के अतिरिक्त उद्योग में अनुसंधान व विकास को प्रोत्साहित व समर्थन करना।

क्रम सं.	गतिविधि	योजना / संस्थायें	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य नोडल विभाग	संबंधित घटक / विवरण
204	ग्रामीण औद्योगीकरण	सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विज्ञान व तकनीकी कार्यक्रम	केन्द्रीय	विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय	अनुसूचित जाति के लोंगों के लिए आजीविका अवसर बढाने के लिए तथा प्रौद्योगिकी पैकेज निरुपण मे सहायता करना, विज्ञान व तकनीकी पर आधारित फील्ड समूहों एवं विज्ञान व तकनीकी संस्थानों के सहयोग से कई क्षेत्र तक फैला देना। इस योजना के तहत केवल अनुसूचित जाति समूदाय ही लाभार्थी होंगे।
205	ग्रामीण औद्योगीकरण	नाबार्ड, ग्रामीण बैंकों द्वारा समर्थित योजनाएँ	केन्द्रीय	वित्त मंत्रालय	नाबार्ड व ग्रामीण बैंकों के लिए वित्तीय समर्थन।
206	ग्रामीण औद्योगीकरण	जम्मू-कश्मीर के लिए उद्योग की विशेष पहल	केन्द्रीय	गृह मंत्रालय	इस में जम्मू-कश्मीर के उद्योग के लिए विशेष पहल किए जाने का प्रावधान किया गया है।
207	ग्रामीण औद्योगीकरण	नवोन्मेषी निधि में भारत का समावेश	केन्द्रीय	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमी मंत्रालय	सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमी क्षेत्र के विकास के लिए नवोन्मेषी योजना के लिए कोष उपलब्ध है।
208	ग्रामीण औद्योगीकरण	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड़ द्वारा विपणन सहायता	केन्द्रीय	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमी मंत्रालय	सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमी मंत्रालय ने अपने उत्पादनों के लिए विभिन्न घरेलू व अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों, व्यापार बैठकों, गहन अभियानों व अन्य बाजार आयोजनों के माध्यम से घरेलू व अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में विपणन करने के लिए समर्थित है।
209	ग्रामीण औद्योगीकरण	भारत नवोन्मेषी उद्यमिता व कृषि उद्योग कोष	केन्द्रीय	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमी मंत्रालय	नवोन्मेषी, उद्यमिता तथा कृषि-उद्योग को बढ़ावा देने, तकनीकी केन्द्र नेटवर्क की स्थापना के लिए वित्तीय उपबंध किए गए है। तदनुसार नवीनीकरण, उद्यमिता व कृषि-उद्योग को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी केन्द्र के लिए योजना बनाने हेतु तैयार की जा रही है, जिसमें बिजनेस एक्सलरेटर, स्टार्ट अप कार्यक्रम भी शामिल है,उप-योजना के रुप में वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रतियोगी भारतीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमी की भूमिका की पहचान, समर्थन व विस्तार कार्य की देखरेख मुहैय्या करना है।
210	ग्रामीण औद्योगीकरण	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड़	केन्द्रीय	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों के लिए ॠण की सुविधा।
211	ग्रामीण औद्योगीकरण	प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	केन्द्रीय	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	नए स्व-रोजगार के उपक्रम / परियोजनाएँ / सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता।

क्रम सं.	गतिविधि	योजना / संस्थायें	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य नोडल विभाग	संबंधित घटक / विवरण
212	ग्रामीण औद्योगीकरण	खादी सुधार व विकास कार्यक्रम (एडीबी सहायता)	केन्द्रीय	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	खादी उद्योग में स्थिरता बढ़ाते हुए, हथकरघाओं व बुनकरों के लिए आय के साधन में वृद्धि कारीगरों के कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा, ग्रामोद्योग के साथ तालमेल द्वारा खादी क्षेत्र को पुनर्जीवित करना है।
213	ग्रामीण औद्योगीकरण	आहार भंडारण व गोदाम	केन्द्रीय	आहार प्रसंस्करण उद्योग	आहार, भंडारण व गोदाम के लिए सहायता।
214	ग्रामीण औद्योगीकरण	परम्परागत उद्योगो के उत्थान हेतु कोष	केन्द्रीय	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	कारीगरों के समूहों को सक्षम उपकरणों, सामान्य सुविधाएँ केन्द्र व्यापार विकास सेवाएँ, प्रशिक्षण क्षमता निर्माण तथा डिज़ाइन व विपणन आदि के साथ उनकी सहायता करना है।
215	ग्रामीण औद्योगीकरण	खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड योजना	केन्द्रीय	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी से संबंधित खादी संस्थानों से जुडे कारीगरों के लिए खादी संस्थानों के माध्यम से वर्कशेड़ के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
216	ग्रामीण औद्योगीकरण	प्रोत्साहन सेवाएँ संस्थान तथा कार्यक्रम - महिलाओं के लिए व्यापार युक्त उद्यमिता सहायता व विकास	केन्द्रीय	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण के लिए खेती से इतर गतिविधियों से युक्त उद्यमी कौशल के विकास के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है।
217	ग्रामीण औद्योगीकरण	परम्परागत कला व शिल्प के विकास के लिए कौशल व प्रशिक्षण को अद्यतन करना	केन्द्रीय	अल्पसंख्यक मामला मंत्रालय	अपने देश की परम्परागत कला/शिल्प के संरक्षण के लिए तथा अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े परम्परागत कारीगरों व शिल्पकारो की क्षमता निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना

क्रम सं.	गतिविधि	योजना / संस्थायें	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य नोडल विभाग	संबंधित घटक / विवरण
218	ग्रामीण औद्योगीकरण	बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	केन्द्रीय	अल्पसंख्यक मामला मंत्रालय	बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के माध्यम से आजीविका वर्कशेड के निर्माण हेतु सहायता।
219	सभी योग्य युवाओं के स्व-रोज़गार व नौकरियों के लिए कौशल विकास तथा बड़े शहरों में कार्यरत ग्रामीण लोगों को सहायता	कार्यशील महिलाओं के लिए छात्रावास	केन्द्रीय	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	कार्यशील अकेली, तलाकशुदा, आश्रयहीन महिलाओं को छात्रावास की सुविधा दी जाती है । विशेषकर उन महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है जो समाज के वंचित वर्ग से है । साथ ही किसी कौशल विकास कार्यक्रम के प्रशिक्षण से जुड़ी महिला को भी यह सुविधा प्रदान की जाती है।
220	सभी योग्य युवाओं के स्व-रोज़गार व नौकरियों के लिए कौशल विकास तथा बड़े शहरों में कार्यरत ग्रामीण लोगों को सहायता	डिजिटल इंडिया कार्यक्रम व सूचना प्रौद्योगिकी में श्रमशक्ति कौशल विकास व जनसमूह के लिए सूचना प्रौद्योगिकी	केन्द्रीय	इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के भाग के रुप में ई-पंचायतों के लिए उपबंध।
221	सभी योग्य युवाओं के स्व-रोज़गार व नौकरियों के लिए कौशल विकास तथा बड़े शहरों में कार्यरत ग्रामीण लोगों को सहायता	इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रोद्योगिकी विभाग	केन्द्रीय	इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	यह विभाग की पंजीकृत वैज्ञानिक सोसायटी है जो सूचना प्रौद्योगिकी व प्रशिक्षण के विशेष रुप से अनौपचारिक क्षेत्र में पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए संस्थानों / संगठनों को प्राधिकृत करती है। यह आईसीटी क्षेत्र में परीक्षा व प्रमाणन के लिए देश की प्रधान संस्था के रुप में अत्याधुनिक क्षेत्रों, मानकीकरण की स्थापना उद्योग आमुखी गुणवत्ता शिक्षा व प्रशिक्षण के विकास से भी जुड़ी हुई है।
222	सभी योग्य युवाओं के स्व-रोज़गार व नौकरियों के लिए कौशल विकास तथा बड़े शहरों में कार्यरत ग्रामीण लोगों को सहायता	रोजगार	केन्द्रीय	श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय	यह रोज़गार विपणन सूचना कार्यक्रम, व्यावसायिक दिशा-निर्देश व रोज़गार काउंसलिंग, रोज़गार सहायता कुछ निश्चित चुनिंदा श्रेणियों के लिए कोचिंग व दिशा-निर्देश केन्द्रों के माध्यम से विकलांगों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों तथा रोज़गार सेवाओं में अनुसंधान व प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान करना है
223	सभी योग्य युवाओं के स्व-रोज़गार व नौकरियों के लिए कौशल विकास तथा बड़े शहरों में कार्यरत ग्रामीण लोगों को सहायता	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम कौशल योजना	केन्द्रीय	ग्रामीण विकास मंत्रालय	गरीब तथा सीमान्त रहने वालों ग्रामीण लोंगों को मुफ्त में नेतृत्व कौशल प्रशिक्षण तक पहुँचने का लाभ लेने के हेतु सक्षम बनाना, जिसमें सामाजिक रुप से असुविधायुक्त समूहों (अ.जा./अ.ज.जा. 50% अल्पसंख्यक 15%, महिलाएँ 33%) के लिए आदेशात्मक कवरेज भी शामिल है।

क्रम सं.	गतिविधि	योजना / संस्थायें	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य नोडल विभाग	संबंधित घटक / विवरण
224	सभी योग्य युवाओं के स्व-रोज़गार व नौकरियों के लिए कौशल विकास तथा बड़े शहरों में कार्यरत ग्रामीण लोगों को सहायता	वास्तविक कक्षागृह व बड़े पैमाने पर खुला ऑन लाइन पाठ्यक्रम	केन्द्रीय	मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्च शिक्षा विभाग	उच्चतर व व्यावसायिक शिक्षा के लिए वास्तविक कक्षागृह व बडे पैमाने पर खुला ऑन लाईन पाठ्यक्रम।
225	सभी योग्य युवाओं के स्व-रोज़गार व नौकरियों के लिए कौशल विकास तथा बड़े शहरों में कार्यरत ग्रामीण लोगों को सहायता	स्वर्ण प्रवास योजना	केन्द्रीय	प्रवासी भारतीय मामले संबंधी मंत्रालय	विदेश में कार्यशील रोज़गार योग्य युवाओं के लिए प्रशिक्षण व प्रमाणन मुहैय्या कराना।
226	सभी योग्य युवाओं के स्व-रोज़गार व नौकरियों के लिए कौशल विकास तथा बड़े शहरों में कार्यरत ग्रामीण लोगों को सहायता	एप्रैन्टिसशिप प्रशिक्षण	केन्द्रीय	मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्च शिक्षा विभाग	स्नातकों, इंजीनियरों, डिप्लोमा धारकों (टेक्निशियन्स) व औद्योगिक संस्थापनों / संगठनों में 10+2 व्यावसायिक पासआउट के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण के अवसर मुहैय्या करवाए जाते है।
227	सभी योग्य युवाओं के स्व-रोज़गार व नौकरियों के लिए कौशल विकास तथा बड़े शहरों में कार्यरत ग्रामीण लोगों को सहायता	राष्ट्रीय एप्रैन्टिसशिप प्रशिक्षण योजना	केन्द्रीय	मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्च शिक्षा विभाग	चेन्नै, कानपुर, कोलकता व मुम्बई स्थित एप्रैन्टिसशिप / व्यावहारिक प्रशिक्षण के 4 क्षेत्रीय बोर्ड के माध्यम से एप्रैन्टिसशिप के अवसर मुहैय्या करवाए जाते है।
228	सभी योग्य युवाओं के स्व-रोज़गार व नौकरियों के लिए कौशल विकास तथा बड़े शहरों में कार्यरत ग्रामीण लोगों को सहायता	सामुदायिक महाविद्यालय सहित कौशल आधारित उच्च शिक्षा का समर्थन	केन्द्रीय	मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्च शिक्षा विभाग	सामुदायिक महाविद्यालय के माध्यम से जो बहु आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, वंचित विद्यार्थियों के सामुदायिक महाविद्यालय तक आसानी से पहँच स्थापित करने के लिए प्रयास किए जाएँगे, सामुदायिक महाविद्यालय स्थापित किए जाएँगे, उच्च शिक्षा के कार्यक्रमों में शामिल है।
229	सभी योग्य युवाओं के स्व-रोज़गार व नौकरियों के लिए कौशल विकास तथा बड़े शहरों में कार्यरत ग्रामीण लोगों को सहायता	प्रशिक्षण, अद्यतन व समर्थन	केन्द्रीय	श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय	(i) डीजीईटी प्रशिक्षण संस्थान अद्यतन (क) ट्रेनर द्वारा प्रदत औद्योगिक कार्यबल के प्रशिक्षण के लिए नए टेक्नोलॉजी व प्रशिक्षण मुहैय्या। (ख) महिलाओं के लिए केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों को विस्तार देने व बल प्रदान करने के घटक। (ii) एप्रैन्टिस प्रोत्साहन योजना, एप्रैन्टिसों को काम पर लगाने (इंगेज) करने / के लिए उद्यमियों को समर्थन। (iii) असंगठित कार्यबल व विद्यालय से बाहर के युवाओं आदि के लिए रोज़गार में सुधार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम मुहैय्या।

क्रम सं.	गतिविधि	योजना / संस्थायें	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य नोडल विभाग	संबंधित घटक / विवरण
230	सभी योग्य युवाओं के स्व-रोज़गार व नौकरियों के लिए कौशल विकास तथा बड़े शहरों में कार्यरत ग्रामीण लोगों को सहायता	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति कल्याण	केन्द्रीय	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	इस योजना में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए कोचिंग व दिशा निर्देश केन्द्र, आत्मविश्वास निर्माण के लिए कार्यक्रम व इस श्रेणी से संबंधित प्रत्याशियों को व्यावसायिक दिशा-निर्देश। ये कोचिंग व दिशा-निर्देश केन्द्र विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों व एजेंसियों के भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में शामिल किए गए है।
231	सभी योग्य युवाओं के स्व-रोज़गार व नौकरियों के लिए कौशल विकास तथा बड़े शहरों में कार्यरत ग्रामीण लोगों को सहायता	मैला ढ़ोने वाले का पुनर्वास व स्व-रोज़गार योजना	केन्द्रीय	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	इस योजना के तहत मैला ढ़ोने के काम से बाहर आने वाले लोगों व उनके आश्रितों का समयबद्ध तरीके से पुनर्वास किया जाएगा, फायदेमंद स्व-रोजगार / स्व-कमाई के लिए लाभार्थियों को ऋण, सब्सिडी व प्रशिक्षण मुहैया करवाये जाएँगे। इस योजना में मैला ढ़ोने वाले की एक समय पर ₹ 40,000/- राशि की सहायता का उपबंध है।
232	सभी योग्य युवाओं के स्व-रोज़गार व नौकरियों के लिए कौशल विकास तथा बड़े शहरों में कार्यरत ग्रामीण लोगों को सहायता	अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	केन्द्रीय	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के सामाजिक आर्थिक विकास की ओर सक्षम व विश्वसनीय स्वैच्छिक संगठनों की सेवाओं का उपयोग करना है। इन संगठनों को भारत सरकार द्वारा प्रति परियोजना लागत का 90% तक जैसे सामान्य / तकनीकी / व्यावसायिक शिक्षा / आय उत्पन्न जैसे वाणिज्यिक व्यापार प्रकार की गतिविधियाँ चलाने के लिए अनुदान सहायता दी जाती है।
233	सभी योग्य युवाओं के स्व-रोज़गार व नौकरियों के लिए कौशल विकास तथा बड़े शहरों में कार्यरत ग्रामीण लोगों को सहायता	कौशल विकास पहल योजना	केन्द्रीय	अल्पसंख्यक मामला मंत्रालय	अल्पसंख्यक समुदाय के उन लोगों के लिए जो विकास से वंचित है, शहरी व ग्रामीण आजीविका में सुधार के लिए कौशल के अवसर मुहैय्या कराते हुए उनको विकास से जोड़ना है। जो कौशलयुक्त है उन्हें उनके कौशल के अद्यतन के लिए मार्ग प्रशस्त करना, रोज़गार के अवसर बढ़ाने तथा उनके उद्यम विस्तार में ऋण तक पहुँच प्राप्त करने में उनकी सहायता हेतु साख की अनुमति प्रदान करना।
234	सभी योग्य युवाओं के स्व-रोज़गार व नौकरियों के लिए कौशल विकास तथा बड़े शहरों में कार्यरत ग्रामीण लोगों को सहायता	कमजोर वर्गों के लिए राष्ट्रीय वित्त व विकास निगम	केन्द्रीय	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	युवाओं के लिए प्रशिक्षण व एस एच जी की क्षमता निर्माण के लिए अनुदान की सहायता का उपबंध।
235	सभी योग्य युवाओं के स्व-रोज़गार व नौकरियों के लिए कौशल विकास तथा बड़े शहरों में कार्यरत ग्रामीण लोगों को सहायता	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त व विकास निगम	केन्द्रीय	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	सफाई कर्मचारियों के विकास के लिए कौशल प्रशिक्षण, सूक्ष्म उद्यम लगाने हेतु ऋण आदि के लिए अनुदान सहायता।

क्रम सं.	गतिविधि	योजना / संस्थायें	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य नोडल विभाग	संबंधित घटक / विवरण
236	सभी योग्य युवाओं के स्व-रोज़गार व नौकरियों के लिए कौशल विकास तथा बड़े शहरों में कार्यरत ग्रामीण लोगों को सहायता	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त व विकास निगम	केन्द्रीय	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	अन्य पिछड़ा वर्ग के विकास के लिए कौशल प्रशिक्षण, सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए ऋण व उच्च शिक्षा के लिए समर्थन आदि हेतु अनुदान सहायता।
237	सभी योग्य युवाओं के स्व-रोज़गार व नौकरियों के लिए कौशल विकास तथा बड़े शहरों में कार्यरत ग्रामीण लोगों को सहायता	प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना	केन्द्रीय	कौशल विकास एवं उद्यमी मंत्रालय	युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण।
238	सभी योग्य युवाओं के स्व-रोज़गार व नौकरियों के लिए कौशल विकास तथा बड़े शहरों में कार्यरत ग्रामीण लोगों को सहायता	राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम	केन्द्रीय	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	अनुसूचित जाति के विकास के लिए, कौशल प्रशिक्षण, सूक्ष्म- उद्यमों की स्थापना के लिए ऋण, शहरों में कार्यशील पुरुषों व महिलाओं के लिए छात्रावास आदि हेतु अनुदान सहायता।
239	सभी योग्य युवाओं के स्व-रोज़गार व नौकरियों के लिए कौशल विकास तथा बड़े शहरों में कार्यरत ग्रामीण लोगों को सहायता	राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त व विकास निगम	केन्द्रीय	आदिवासी मामला मंत्रालय	अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए, कौशल प्रशिक्षण, सूक्ष्म-उद्यमों की स्थापना के लिए ऋण आदि हेतु अनुदान सहायता।
240	सभी योग्य युवाओं के स्व-रोज़गार व नौकरियों के लिए कौशल विकास तथा बड़े शहरों में कार्यरत ग्रामीण लोगों को सहायता	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास व वित्त निगम	केन्द्रीय	अल्पसंख्यक मामला मंत्रालय	अल्पसंख्यकों की उद्यमिता के लिए प्रशिक्षण / सब्सिडी / ऋण / ईक्विटी।
241	सभी योग्य युवाओं के स्व-रोज़गार व नौकरियों के लिए कौशल विकास तथा बड़े शहरों में कार्यरत ग्रामीण लोगों को सहायता	तस्करी से मुकाबले के लिए बृहत् योजना (उज्ज्वल)	केन्द्रीय	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	तस्करी से पीड़ितों के लिए संरक्षित व पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना, आधारभूत सुविधाएँ, मेडिकल देखभाल, न्यायिक सहायता व शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि मुहैय्या करवाना।

क्रम सं.	गतिविधि	योजना / संस्थायें	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य नोडल विभाग	संबंधित घटक / विवरण
242	सभी योग्य युवाओं के स्व-रोज़गार व नौकरियों के लिए कौशल विकास तथा बड़े शहरों में कार्यरत ग्रामीण लोगों को सहायता	प्रशिक्षण व रोज़गार के लिए समर्थन	केन्द्रीय	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	इस योजना में निम्नलिखित उपबंध है: क) महिलाओं के लिए रोज़गार योग्य कौशल मुहैय्या करना। ख) महिलाओं के स्व-रोजगारयुक्त/उद्यमी बनने के लिए सक्षमता व कौशल मुहैय्या करना। एसटीईपी योजना के अन्तर्गत किसी भी क्षेत्र में रोजगार व उद्यमिता से संबंधित कौशल हेतु शुरु की जाएगी जो सीमित नहीं है, निम्न प्रकार से है - कृषि, बागवानी, आहार प्रसंस्करण हथकरघा, मशीन सिलाई हाथ-सिलाई व कढ़ाई, हस्तशिल्प, कंप्यूटर व सूचना प्रौद्योगिकी, समर्थित सेवाएँ जिनमें मृदु कौशल व कार्यस्थल कौशल जैसे अँग्रेजी बोलचाल, मणियों व आभूषण, यात्रा व पर्यटन, आतिथ्य-प्रशिक्षण शामिल हैं, भोजन व यात्रा की लागत प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुहैय्या की जाएगी।
243	सभी योग्य युवाओं के स्व-रोज़गार व नौकरियों के लिए कौशल विकास तथा बड़े शहरों में कार्यरत ग्रामीण लोगों को सहायता	विदेश में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी	केन्द्रीय	अल्पसंख्यक मामला मंत्रालय	उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले चयनित अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को शैक्षिक ऋण पर ब्याज में सब्सिडी मुहैय्या करवाई जाती हैं।
244	सभी योग्य युवाओं के स्व-रोजगार व नौकरियों के लिए कौशल विकास तथा बडे शहरों में कार्यरत ग्रामीण लोगों को सहायता	ई-एम पॉवर (इलेक्ट्रॉनिक कार्य बल)	राज्य	श्रम तथा नियोजन	युवाओं के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण के संबंध में कौशल विकास और प्रसार वृध्दि ।
245	सभी योग्य युवाओं के स्व-रोजगार व नौकरियों के लिए कौशल विकास तथा बडे शहरों में कार्यरत ग्रामीण लोगों को सहायता	श्री वाजपेयी बैंक - बैंक समय योजना	राज्य	उद्योग और खनन विभाग	यह योजना 18 से 55 वर्षों के बीच की आयु सीमा के भीतर, शिक्षित बेरोजगार और कारीगरों को स्व-रोजगार अवसर प्रदान करती है ।
246	सभी योग्य युवाओं के स्व-रोजगार व नौकरियों के लिए कौशल विकास तथा बडे शहरों में कार्यरत ग्रामीण लोगों को सहायता	कौशल वर्धन केन्द्र	राज्य	श्रम तथा नियोजन विभाग	5,000 से अधिक जनसंख्या होनेवाले ग्राम में हस्तक्षेप व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करता है । पाठ्यक्रमों को डब्लू - महिला अभिमुख पाठ्यक्रम, आई - उद्योग अभिमुख, सॉफ्ट कौशल और सेवा क्षेत्र से संबंधित पाठ्यक्रम, एच - दृढ पारंपरिक पाठ्यक्रम । नाममात्र शुल्क ₹ 50,000 सामान्य प्रवर्ग के छात्रों से लिया जा रहा है । एस टी, एस सी, बी पी एल, शारीरिक रुप से विकलांग व्यक्ति और महिला उम्मीदवार को शुल्क से छूट दी जाती है ।

पर्यावरणात्मक विकास

क्रम सं.	गतिविधि	योजना / संस्थायें	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य नोडल विभाग	संबंधित घटक / विवरण
247	स्वच्छ व हरा-भरा ग्राम क्रियाकलाप जिसमें शामिल है: क) हर घर में, सभी सार्वजनिक संस्थाओं में शौचालय व उनका सही उपयोग सुनिश्चित करना। ख) उचित, ठोस व तरल जल प्रबंध युक्त गतिविधियाँ	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम	केन्द्रीय	ग्रामीण विकास मंत्रालय	इस योजना के तहत व्यक्तिगत शौचालय, सामुदायिक शौचालय निर्मित किए जा सकते है। आईएचएचएल योजना का कार्यान्वयन / प्रबंधन इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला स्तर पर जिलाधीश / मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा जिला अधिकारी के परामर्श से इस कार्यक्रम व एसबीएम की देखरेख में होगा।
248	स्वच्छ व हरा-भरा ग्राम क्रियाकलाप जिसमें शामिल है: क) हर घर में, सभी सार्वजनिक संस्थाओं में शौचालय व उनका सही उपयोग सुनिश्चित करना। ख) उचित, ठोस व तरल जल प्रबंध युक्त गतिविधियाँ	स्वच्छ प्रौद्योगिकी व जल न्यूनीकरण रणनीति	केन्द्रीय	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	प्राथमिकता क्षेत्र की पहचान व समुचित आर्थिक व्यवहार्य स्वच्छ प्रौद्योगिकी के साथ-साथ लघु व मध्यम पैमाने के उद्योगों के लिए व्यर्थ पदार्थ न्यूनीकरण रणनीति अंतरापृष्ठ व अनुसंधान तथा विकास (आरएण्डडी) व अकादमिक संस्थानों की स्थापना के माध्यम से बनाई जा सकती है। स्वच्छ प्रौद्योगिकी व व्यर्थ पदार्थ न्यूनीकरण रणनीति को प्रोत्साहित करने व अपनाने के लिए नमूना विकास पर औद्योगिक समूहो के जरिए प्रायोगिक / डेमों परियोजनाएँ बनाई जा सकती है।
249	स्वच्छ व हरा-भरा ग्राम क्रियाकलाप जिसमें शामिल है: क) हर घर में, सभी सार्वजनिक संस्थाओं में शौचालय व उनका सही उपयोग सुनिश्चित करना। ख) उचित, ठोस व तरल जल प्रबंध युक्त गतिविधियाँ	स्वच्छ भारत मिशन	केन्द्रीय	पेजयल एवं सफ़ाई मंत्रालय	व्यक्तिगत शौचालय निर्माण, सामुदायिक शौचालय निर्माण तथा ठोस, तरल व्यर्थ पदार्थ प्रबंधन कार्य किए जा सकते है।
250	स्वच्छ व हरा-भरा ग्राम क्रियाकलाप जिसमें शामिल है: क) हर घर में, सभी सार्वजनिक संस्थाओं में शौचालय व उनका सही उपयोग सुनिश्चित करना। ख) उचित, ठोस व तरल जल प्रबंध युक्त गतिविधियाँ	बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	केन्द्रीय	अल्पसंख्यक मामला मंत्रालय	विभिन्न श्रेणियों के विद्यालयों में शौचालय खंडी का निर्माण किया जा सकता है।

क्रम सं.	गतिविधि	योजना / संस्थायें	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य नोडल विभाग	संबंधित घटक / विवरण
251	स्वच्छ व हरा-भरा ग्राम क्रियाकलाप जिसमें शामिल है: क) हर घर में, सभी सार्वजनिक संस्थाओं में शौचालय व उनका सही उपयोग सुनिश्चित करना। ख) उचित, ठोस व तरल जल प्रबंध युक्त गतिविधियाँ	निर्मल गुजरात शौचालय योजना	राज्य	पंचायत एवं ग्रामीण आवास एवं ग्रामीण विकास	वे परिवार जिनके घरों में शौचालय नहीं हैं उन्हें आई एच एच एल प्रदान किया जाता है ।
252	स्वच्छ व हरा-भरा ग्राम क्रियाकलाप जिसमें शामिल है: क) हर घर में, सभी सार्वजनिक संस्थाओं में शौचालय व उनका सही उपयोग सुनिश्चित करना। ख) उचित, ठोस व तरल जल प्रबंध युक्त गतिविधियाँ	अपनो तालुका वाईब्रन्ट तालुका	राज्य	राजस्व विभाग	ग्राम स्तर पर मूलभूत सुविधाओं का प्रावधान अर्थात् आंतरिक ग्राम सडक, मलजल निपटान व्यवस्था, पेयजल तथा ठोस कूडा-कचरा निपटान व्यवस्था ।
252	स्वच्छ व हरा-भरा ग्राम क्रियाकलाप जिसमें शामिल है: क) हर घर में, सभी सार्वजनिक संस्थाओं में शौचालय व उनका सही उपयोग सुनिश्चित करना। ख) उचित, ठोस व तरल जल प्रबंध युक्त गतिविधियाँ	पंचवटी योजना	राज्य	पंचायत एवं ग्रामीण आवास एवं ग्रामीण विकास	ग्राम के पददलित क्षेत्रों का विकास और पुर्नस्थापना के साथ-साथ उनके निवास में सहायता करना और सामान्य विरासत के भाग के रुप में वृक्षों की संख्या बढाना ।
254	आवासीय विद्यालयों व सार्वजनिक संस्थानों में स्थानीय वरीयता के अनुसार वृक्षारोपण	वन प्रबंधन की गहनता	केन्द्रीय	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	राज्य व वर्तमान वनों की गुणवता में सुधार किया जा सकता है तथा उन्हें विभिन्न प्रकार के खतरों व गिरावट के तत्वों से बचाया जा सकता है।
255	आवासीय विद्यालयों व सार्वजनिक संस्थानों में स्थानीय वरीयता के अनुसार वृक्षारोपण	राष्ट्रीय सेवा योजना	केन्द्रीय	युवा मामले एवं खेल मंत्रालय	वृक्षारोपण के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों से सहायता ली जा सकती है।
256	आवासीय विद्यालयों व सार्वजनिक संस्थानों में स्थानीय वरीयता के अनुसार वृक्षारोपण	जलवायु परिवर्तन व अनुकूलन मिशन	केन्द्रीय	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	इस योजना के तहत अनुकूलन कोष का उपबंध किया गया है जो उन राज्यों को वित्तीय सहायता मुहैय्या करेगा जहाँ वातावरण परिवर्तन के कारण विपरीत प्रभाव पर ध्यान देना पड़ता है।
257	आवासीय विद्यालयों व सार्वजनिक संस्थानों में स्थानीय वरीयता के अनुसार वृक्षारोपण	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम	केन्द्रीय	युवा मामले एवं खेल मंत्रालय	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम के तहत सामाजिक वानिकी कार्यक्रम शुरु किया जा सकता है।

क्रम सं.	गतिविधि	योजना / संस्थायें	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य नोडल विभाग	संबंधित घटक / विवरण
258	जलागम प्रबंधन विशेषकर नवीनीकरण एवं पारंपरिक जल निकायों की मरम्मत : सिंचाई सुविधाओं में सुधार, विकास, बाढ सुरक्षा आदि	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	केन्द्रीय	जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा कायाकल्प मंत्रालय	इस योजना में जल विभाजन प्रबंधन, छोटे व सूक्ष्म सिचाई, परम्परागत जल निकायों की कायाकल्प, "हर बूँद अधिक फसल" आदि पर विशेष पहल करना जैस कार्यों का समर्थन करना है।
259	जलागम प्रबंधन विशेषकर नवीनीकरण एवं पारंपरिक जल निकायों की मरम्मत : सिंचाई सुविधाओं में सुधार, विकास, बाढ सुरक्षा आदि	बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	केन्द्रीय	अल्पसंख्यक मामला मंत्रालय	इस योजना में जल विभाजन प्रबंधन, छोटे व सूक्ष्म सिचाई, परम्परागत जल निकायों की कायाकल्प जैसे कार्य का समर्थन करना है।
260	जलागम प्रबंधन विशेषकर नवीनीकरण एवं पारंपरिक जल निकायों की मरम्मत : सिंचाई सुविधाओं में सुधार, विकास, बाढ सुरक्षा आदि	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम	केन्द्रीय	ग्रामीण विकास मंत्रालय	भूमि विकास, जल निकायों का सृजन, जल संचयन ढाँचों का निर्माण आदि कार्य इस योजना के तहत किए जा सकते है।
261	जलागम प्रबंधन विशेषकर नवीनीकरण एवं पारंपरिक जल निकायों की मरम्मत : सिंचाई सुविधाओं में सुधार, विकास, बाढ सुरक्षा आदि	घाट व नदी वर्ती क्षेत्र की सुन्दरता के कार्य	केन्द्रीय	जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा कायाकल्प मंत्रालय	इस योजना के तहत नदी वर्ती क्षेत्र का विकास व घाटों की सुन्दरता के कार्य शुरु किए जाने के उपबंध किए गए है।
262	जलागम प्रबंधन विशेषकर नवीनीकरण एवं पारंपरिक जल निकायों की मरम्मत : सिंचाई सुविधाओं में सुधार, विकास, बाढ सुरक्षा आदि	सिंचाई लाभ में तेज़ी व बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम	केन्द्रीय	जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा कायाकल्प मंत्रालय	इस योजना में राज्यों की बडी मध्यम व छोटी सिंचाई परियोजनाओं को समर्थन व राष्ट्रीय परियोजनाओं, कमांड क्षेत्र विकास व प्रबंधन बाढ़ प्रबंधन मरम्मत, जल निकायों के नवीनीकरण तथा पुनर्बहाली की सुविधा मुहैय्या करना है।
263	जलागम प्रबंधन विशेषकर नवीनीकरण एवं पारंपरिक जल निकायों की मरम्मत : सिंचाई सुविधाओं में सुधार, विकास, बाढ सुरक्षा आदि	सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना	राज्य	नर्मदा जल संसाधन, जल आपूर्ति एवं कल्पसार विभाग	सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना सौराष्ट्र प्रदेश में स्थित नर्मदा के बाढ के पानी के छलकाव के अतिरेक को एक एम ए एफ की ओर मोडने के लिए शुरु की गई है । नर्मदा के बाढ के पानी के छलकाव के अतिरेक को कुल 1126 कि.मी. लंबी नहरों के जरिए सौराष्ट्र के ग्याहर जिलों के 115 जलाशयों के लिए वितरीत किया जाएगा ।

क्रम सं.	गतिविधि	योजना / संस्थायें	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य नोडल विभाग	संबंधित घटक / विवरण
264	जलागम प्रबंधन विशेषकर नवीनीकरण एवं पारंपरिक जल निकायों की मरम्मत : सिंचाई सुविधाओं में सुधार, विकास, बाढ सुरक्षा आदि	वर्षा जल संचयन पध्दति का निर्माण	राज्य	नर्मदा जल संसाधन, जल आपूर्ति एवं कल्पसार विभाग	वर्षा जल संचयन संरचनाओं का सन्निर्माण
265	आवासीय विद्यालयों व सार्वजनिक संस्थानों में स्थानीय वरीयता के अनुसार वृक्षारोपण	महात्मा गॉंधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम	केन्द्रीय	ग्रामीण विकास मंत्रालय	इस योजना के तहत जल विभाजन क्षेत्र में जल संचयन ढाँचों का निर्माण, जलाशयों का सृजन, जल निकाय आदि कार्य निष्पादित किए जा सकते है।
266	वायु, जल व भूमि का स्थानीय प्रदूषण में कमी	राष्ट्रीय गंगा योजना	केन्द्रीय	जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा कायाकल्प मंत्रालय	गंगा सफाई योजना
267	आपदा प्रबंधन की तैयारी	आपदा प्रबंधन	केन्द्रीय	गृह मंत्रालय	इसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रमों (प्राकृतिक आपदाएँ व मानव सृजित आपदाएँ) पर होने वाले व्यय, समुदायों व आपदा प्रबंधन स्टाफ को प्रशिक्षण मुहैय्या करवाया जा सकता है। इस योजना के तहत आपदा पीड़ितों को अनुग्रहपूर्वक (एक्सग्रेशिया) सहायता, भूकंप पीड़ितों को राहत दी जाती है।
268	आपदा प्रबंधन की तैयारी	आपातकालीन मेडिकल सहायता सहित स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तत्परता व प्रबंधन	केन्द्रीय	स्वास्थय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	आपातकालीन मेडिकल सहायता सहित स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तत्परता व प्रबंधन, प्राकृतिक आपदा की स्थिति में आपातकालीन मेडिकल सहायता दे सकता है।
269	आपदा प्रबंधन की तैयारी	राष्ट्रीय सेवा योजना	केन्द्रीय	युवा मामले एवं खेल मंत्रालय	आपदा तैयारियों में सामुदायिक प्रशिक्षण तथा आपदा के समय व बाद में लोगों को बाहर निकालने के कार्य में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत स्वयं सेवकों की सहायता ली जा सकती है।
270	आपदा प्रबंधन के लिए तैयारी	डी आर एम कार्यक्रम	राज्य	गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (जी एस डी एम ए)	आई सी टी रैली के जरिए जागरुकता निर्माण। आपदा तैयारियों पर ग्रामस्थों, सी बी ओ, सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के माध्यम से क्षमता निर्माण। राज्य / जिला / तालुका आपातकालीन आपरेशन केन्द्र की स्थापना। आपदा प्रतिपुष्टि, विभिन्न आपदाओं की व्यवस्था की दोषपूर्णता के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों के लिए मानक आपरेटिंग प्रक्रिया की तैयारी।

बुनियादी सुविधाएँ और सेवाएँ

क्रम सं.	गतिविधि	योजना / संस्थायें	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य नोडल विभाग	संबंधित घटक / विवरण
271	सभी बेघरों / कच्चे घरों में रहने वालों को पक्के घर, भूमि अधिकार, भूमि अभिलेख पारदर्शिता	वृद्धाश्रम निर्माण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	केन्द्रीय	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	इस योजना में दिवसीय देखरेख केन्द्र, वृद्धाश्रम, संचार औषधि इकाई आदि चलाने तथा इनके रखरखाव के लिए इन परियोजनाओं की लागत का 90% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा राहत देखभाल आश्रम, सतत देखभाल आश्रम, वृद्धों के लिए बहु उद्देशीय सेवा केन्द्र चलाने अल्जाइमर रोगियों / ड़ेमेनशिया रोगियों, वृद्धों तथा विकलांगों के फ़ीजियोथेरापी क्लीनिक, सुनने के उपकरण, हेल्पलाइन, काउंसलिंग केन्द्रों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता राशि में वृद्धि करने के साथ साथ कई नई परियोजनाओं को भी इसमें शामिल किया गया है।
272	सभी बेघरों / कच्चे घरों में रहने वालों को पक्के घर, भूमि अधिकार, भूमि अभिलेख पारदर्शिता	इन्दिरा आवास योजना	केन्द्रीय	ग्रामीण विकास मंत्रालय	इस योजना के तहत गृहों के निर्माण के लिए समतल भूमि क्षेत्र के लिए ₹ 70,000/- तथा अन्य विविध क्षेत्रों में (उच्च भूमि क्षेत्र) ₹ 75,000/- की आर्थिक सहायता दी जाती है। घरों का आबंटन महिला के नाम पर या संयुक्त रुप से पति व पत्नी के नाम पर किया जाता है। गृह निर्माण की पूरी जिम्मेदारी लाभार्थी की ही होगी तथा ठेकेदारों की भागीदारी की सख्त मनाही है। आईएवाईगृहों के लिए शौचालय, धुआँरहित चूल्हों का निर्माण अपेक्षित है। इन गृहों का आबंटन गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को किया जाता है।
273	सभी बेघरों / कच्चे घरों में रहने वालों को पक्के घर, भूमि अधिकार, भूमि अभिलेख पारदर्शिता	बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	केन्द्रीय	अल्पसंख्यक मामला मंत्रालय	इस योजना के तहत गृहों के निर्माण के लिए अल्पसंख्यक समुदाय को वित्तीय सहायता मुहैय्या करवाई जाती है।
274	सभी बेघरों / कच्चे घरों में रहनेवालों को पक्के घर; भूमि अधिकार; भूमि अभिलेख पारदर्शिता	पंडित दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना	राज्य	पंचायत एवं ग्रामीण आवास एवं ग्रामीण विकास	एस ई बी सी और ई बी सी के परिवारों घर प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। **पात्रता मानदंड** • ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय ₹ 47,000 • शहरी क्षेत्र में वार्षिक आय ₹ 68,000 • गरीबी की रेखा के नीचे के लाभार्थियों को प्राधान्य देना **सहायता मानदंड** • ₹ 70,000 सब्सिडी (ग्रामीण क्षेत्र के लिए ₹ 70,000 और शहरी विकास विभाग की स्कीम की योजना के तहत रुपांतरण पर ₹ 45,000) • ₹ 7,000 लाभार्थियों के परिश्रम का योगदान।
275	सभी बेघरों / कच्चे घरों में रहनेवालों को पक्के घर; भूमि अधिकार; भूमि अभिलेख पारदर्शिता	सरदार पटेल आवास योजना	राज्य	पंचायत एवं ग्रामीण आवास एवं ग्रामीण विकास	गुजरात के ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी की रेखा के नीचे के अंतर्गत रहनेवाले बेघर कृषि श्रमिकों, ग्रामीण कारीगरों को इस योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाती है। सरदार पटेल आवास योजना के लिए सरकारी सहायता ₹ 36,000 है और लाभार्थी का श्रम योगदान ₹ 7,000 होगा।

क्रम सं.	गतिविधि	योजना / संस्थायें	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य नोडल विभाग	संबंधित घटक / विवरण
276	सभी बेघरों / कच्चे घरों में रहनेवालों को पक्के घर; भूमि अधिकार; भूमि अभिलेख पारदर्शिता	डॉ. आंबेडकर सफाई कामगार आवास योजना	राज्य	गुजरात सफाई कामगार विकास निगम	राज्य सरकार ने सफाई कामगार और उनके आश्रितों को आवास के लिए डॉ. आंबेडकर सफाई कामगार आवास योजना नाम से विशेष योजना को कार्यान्वित किया है । इस योजना के अंतर्गत, प्रत्येक लाभार्थी को जो स्थानीय निकाय को कर्मचारी है के आवास के निर्माण के लिए रु 43,500 की सब्सिडी और रु 60,000 (शहरी क्षेत्र) और रु 30,000 (ग्रामीण क्षेत्र) का प्रावधान है ।
277	पेयजल, पाइपलाइन से जुडे घरेलू नल को वरीयता देना	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	केन्द्रीय	पेयजल एवं सफाई मंत्रालय	इस योजना के तहत असेवित, आंशिक सेवित, उपेक्षित ग्रामों सार्वजनिक जगहों जिनमें पाठशाला, आँगनवाडी, सार्वजनिक इमारत, पीआरआई कार्यालय सामुदायिक केन्द्र, बाजार, मंदिर, धार्मिक संस्थाओं, बाजार जगहों मेला मैदानों को पेयजल की सुविधा दी जाती है।
278	पेयजल, पाइपलाइन से जुडे घरेलू नल को वरीयता देना	बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	केन्द्रीय	अल्पसंख्यक मामला मंत्रालय	हैंडपम्प, पेयजल आपूर्ति योजना, पेयजल के लिए रिंगवेल्स।
279	बंद ड्रेन सहित सभी मौसम उपयुक्त आंतरिक सड़के	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना	केन्द्रीय	ग्रामीण विकास मंत्रालय	इस योजना के तहत सभी मौसम उपयुक्त सडकें ग्रामीण निवासों के साथ जोडी जाएँगी ताकि उनकी पहुँच निकटतम बाजारों तक स्थापित हो सके। जिन निवासों की जनसंख्या 250 या इससे अधिक है, इस योजना की सहायता के लिए पात्र होंगे। इसमें यह भी उपबंध है कि वर्तमान ग्रामीण सडकों को निर्धारित मानकता के साथ अद्यतन करते हुए उन जिलों में जहाँ निवासों की जनसंख्या आकार निर्दिष्ट है, सभी मौसमी उपयुक्त मार्ग से जोड़ें।
280	बंद ड्रेन सहित सभी मौसम उपयुक्त आंतरिक सड़के	उत्तर-पूर्वी सड़क निगम	केन्द्रीय	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	इस योजना में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के सड़क विकास के लिए उत्तर-पूर्वी सड़क परिवहन निगम की व्यय पूरा करने के लिए उपबंध किया गया है।
281	बंद ड्रेन सहित सभी मौसम उपयुक्त आंतरिक सड़के	आर्थिक विकास हेतु सड़कों का निर्माण / सुधार	केन्द्रीय	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	सीमा सड़क संगठन के माध्यम से जो कि वर्तमान में चल रहे सड़क निर्माण योजनाओं के पूरा करने तथा ध्यान केन्द्रित करने के लिए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में कार्य आरंभ किए गए है।
282	बंद ड्रेन सहित सभी मौसम उपयुक्त आंतरिक सड़के	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम	केन्द्रीय	ग्रामीण विकास मंत्रालय	इस योजना के उपबंधों के तहत सड़कों के निर्माण व रखरखाव के कार्य किए जा सकते हैं।

क्रम सं.	गतिविधि	योजना / संस्थायें	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य नोडल विभाग	संबंधित घटक / विवरण
283	बंद ड्रेन सहित बारहमासी उपयुक्त आंतरिक सड़के	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना	केन्द्रीय	ग्रामीण विकास मंत्रालय	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बारहमासी उपयुक्त सड़कें ग्रामीण निवासों के साथ जोड़ी जाएँगी ताकि उनकी पहुँच निकटतम बाजारों तक स्थापित हो सके। जिन निवासों की जनसंख्या 250 या इससे अधिक है, इस योजना की सहायता के लिए पात्र होंगे। इसमें यह भी उपबंध है कि वर्तमान ग्रामीण सड़कों को निर्धारित मानकता के साथ अद्यतन करते हुए उन जिलों में जहाँ निवासों की जनसंख्या आकार निर्दिष्ट है, सभी मौसमों में उपयुक्त मार्ग से जोडें। ग्रामीण सड़क नेटवर्क के लिए भी सहायता विस्तारित है।
284	पेयजल, पाइपलाइन से जुड़े घरेलू नल को वरीयता देना	उत्तर-पूर्वी सड़क निगम	केन्द्रीय	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	इस योजना में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के सड़क विकास के लिए उत्तर-पूर्वी सड़क परिवहन निगम की व्यय पूरा करने के लिए उपबंध किया गया है।
285	बंद ड्रेन सहित बारहमासी उपयुक्त आंतरिक सड़के	आर्थिक विकास हेतु सड़कों का निर्माण / सुधार	केन्द्रीय	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	सीमा सड़क संगठन के माध्यम से जो कि वर्तमान में चल रहे सड़क निर्माण योजनाओं के पूरा करने तथा ध्यान केन्द्रित करने के लिए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में कार्य आरंभ किए गए है।
286	बंद ड्रेन सहित सभी मौसम उपयुक्त आंतरिक सड़के	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम	केन्द्रीय	ग्रामीण विकास मंत्रालय	इस योजना के उपबंधों के तहत सड़कों के निर्माण व रखरखाव के कार्य किए जा सकते है।
287	सभी निवासों के लिए बिजली कनेक्शन व स्ट्रीट लाइट्स, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत विशेषत: सौर ऊर्जा	ग्रिड-इंटरैक्टिव व वितरित नवीकरणीय ऊर्जा	केन्द्रीय	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	इस में नवीकरणीय -विंड, छोटे हाइडेल, बायोमास, शहरी व औद्योगिक व्यर्थ पदार्थ तथा सौर व ऑफ-ग्रिड वितरित ऊर्जा सिस्टम के आलावा ग्रिड इंटरैक्टिव ऊर्जा क्षमता के लिए सहायता का प्रावधान है।
288	सभी निवासों के लिए बिजली कनेक्शन व स्ट्रीट लाइट्स, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत विशेषत: सौर ऊर्जा	ग्रिड-इंटरैक्टिव व वितरित नवीकरणीय ऊर्जा	केन्द्रीय	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	सूक्ष्म, छोटे व बड़े ऑफ-ग्रिड़ सौर आधारित ऊर्जा उत्पन्न सिस्टम का इंस्टालेशन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को सहायता।
289	सभी निवासों के लिए बिजली कनेक्शन व स्ट्रीट लाइट्स, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत विशेषत: सौर ऊर्जा	अरुणाचल प्रदेश व सिक्किम में ट्रांसमिशन सिस्टम को बल प्रदान करना	केन्द्रीय	बिजली मंत्रालय	इस योजना के तहत सिक्किम सहित सम्पूर्ण उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में ट्रांसमिशन, सब-ट्रांसमिशन व वितरण प्रणाली को बल प्रदान करना है।

क्रम सं.	गतिविधि	योजना / संस्थायें	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य नोडल विभाग	संबंधित घटक / विवरण
290	सभी निवासों के लिए बिजली कनेक्शन व स्ट्रीट लाइट्स, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत विशेषत: सौर ऊर्जा	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयुजीजेवाई)	केन्द्रीय	बिजली मंत्रालय	इस योजना के तहत निम्नलिखित गतिविधियों को प्रांरभ किया गया है- ग्रामीण बिजली वितरण बैकबोन: ग्रामीण बिजली वितरण बैकबोन का सृजन, प्रति ब्लॉक में कम से कम एक 33/11 कि. वा. (या 66/11 कि.वा.) सब-स्टेशन। ग्राम विद्युतीकरण बुनियादी ढ़ाँचा: प्रति ग्राम/निवास में कम से कम एक ग्राम विद्युतीकरण बुनियादी ढाँचे का सृजन। जिसमें एल.टी लाइने / एल टी ए बी केबुल्स घरेलू कनेक्शन सभी गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के लिए मुफ्त सेवा, कनेक्शन विकेन्द्रीकृत वितरित-उत्पन्न: ग्रामों में जहाँ ग्रिड वितरण संभव नहीं है, परम्परागत या नवीकरणीय स्रोत लागत प्रभावी नहीं है, वहाँ विकेन्द्रीकृत वितरित-उत्पन्न सिस्टम का सृजन किया जाएगा।
291	सभी निवासों के लिए बिजली कनेक्शन व स्ट्रीट लाइट्स, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत विशेषत: सौर ऊर्जा	एकीकृत ऊर्जा विकास योजना	केन्द्रीय	बिजली मंत्रालय	इस योजना के तहत उपभोक्ताओं के लिए 24 X 7 बिजली का वितरण, ए टी एवं सी हानि में कमी तथा सभी निवासों तक पहुँच, मीटर लगाना व बिजली वितरण आदि में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को समर्थ करने की सुविधाएँ शामिल है।
292	सभी निवासों के लिए बिजली कनेक्शन व स्ट्रीट लाइट्स, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत विशेषत: सौर ऊर्जा	ग्रामीण आवेदनों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा	केन्द्रीय	नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	इस योजना के तहत परिवार टाइप के बायोगैस संयंत्री को बढ़ावा देना, बेहतर पकाने के स्टोव, सौर ऊर्जा कूकर, के उपबंध किए गए है।
293	सभी निवासों के लिए बिजली कनेक्शन व स्ट्रीट लाइट्स, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत विशेषत: सौर ऊर्जा	बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	केन्द्रीय	अल्पसंख्यक मामला मंत्रालय	गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों की हाई स्कूल में पढ़ रही छात्राओं के लिए सौर लालटेन, सोलार स्ट्रीट लाइट्स का इंस्टालेशन।
294	सभी निवासों के लिए बिजली कनेक्शन व स्ट्रीट लाइट्स, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत विशेषत: सौर ऊर्जा	संविधान की धारा 275 (1) के तहत अनुदान	केन्द्रीय	आदिवासी मामला मंत्रालय	इस अनुदान के तहत ग्राम विद्युतीकरण, सोलार स्ट्रीट लाइटिंग, विद्यालयों व छात्रावासों में सौर लाइटिंग आदि कार्य किए जाएँगे।
295	सभी निवासों के लिए बिजली कनेक्शन व स्ट्रीट लाइट्स, ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोत विशेषत: सौर ऊर्जा	ज्योतिग्राम योजना	राज्य	ऊर्जा और रसायन विभाग	ग्रामीण क्षेत्रों को 24 घंटों थ्री फेज क्वालिटी बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए योजना।

क्रम सं.	गतिविधि	योजना / संस्थायें	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य नोडल विभाग	संबंधित घटक / विवरण
296	सार्वजनिक संस्थाओं आँगनवाड़ी विद्यालयों, स्वास्थ्य संस्थाओं, ग्राम पंचायत कार्यालय व पुस्तकालयों के लिए पक्का बुनियादी ढ़ाँचा।	अन्य पिछड़ा वर्ग के बालको व बालिकाओं के लिए छात्रावास	केन्द्रीय	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	इस योजना में अन्य पिछड़ा वर्ग के महाविद्यालयों व उच्च माध्यमिक संस्थाओं में अध्ययन कर रहे छात्रों के लिए छात्रावासों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता का उपबंध किया गया है।
297	सार्वजनिक संस्थाओं आँगनवाड़ी विद्यालयों, स्वास्थ्य संस्थाओं, ग्राम पंचायत कार्यालय व पुस्तकालयों के लिए पक्का बुनियादी ढ़ाँचा।	अनुसूचित जनजाति के बालकों व बालिकाओं के लिए छात्रावासों की स्थापना	केन्द्रीय	आदिवासी मामला मंत्रालय	इस योजना में अनुसूचित जनजाति के विद्यालयों महविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रहे छात्रों के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का उपबंध है।
298	सार्वजनिक संस्थाओं आँगनवाड़ी विद्यालयों, स्वास्थ्य संस्थाओं, ग्राम पंचायत कार्यालय व पुस्तकालयों के लिए पक्का बुनियादी ढ़ाँचा।	बालकों के छात्रावास (अनुसूचित जाति)	केन्द्रीय	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	अनुसूचित जाति के बालकों के छात्रावासों के निर्माण के लिए केन्द्रशासित प्रदेशों को 100% केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 90% तथा अन्य विश्वविद्यालयों को 45% जो इन संस्थाओं में अध्ययन कर रहे है वित्तीय सहायता दी जाती है।
299	सार्वजनिक संस्थाओं आँगनवाड़ी विद्यालयों, स्वास्थ्य संस्थाओं, ग्राम पंचायत कार्यालय व पुस्तकालयों के लिए पक्का बुनियादी ढाँचा।	बालिकाओं के छात्रावास (अनुसूचित जाति)	केन्द्रीय	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	नए छात्रावासों के निर्माण व वर्तमान छात्रावास भवनों के विस्तार के लिए केन्द्रशासित प्रदेशों को तथा केन्द्रीय व राज्य विश्वविद्यालयों / संस्थानों को 100% केन्द्रीय सहायता दी जाती है, गैर-सरकारी संगठनों व निजी क्षेत्र के डीम्ड विश्वविद्यालयों को वर्तमान छात्रावास भवनों के विस्तार के लिए अनुमानित लागत का 90% तक केन्द्रीय सहायता दी जाती है।
300	सार्वजनिक संस्थाओं आँगनवाड़ी विद्यालयों, स्वास्थ्य संस्थाओं, ग्राम पंचायत कार्यालय व पुस्तकालयों के लिए पक्का बुनियादी ढाँचा।	बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	केन्द्रीय	अल्पसंख्यक मामला मंत्रालय	इस योजना के तहत अल्पसंख्यक एकत्रित समूह निवासों में विद्यालयों / कक्षाओं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, छात्रावासों आँगनवाडियों, सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों व अन्य सार्वजनिक बुनियादी ढाँचों के निर्माण के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है।
301	नागरिक बुनियादी ढ़ाँचा जिसमें सामुदायिक हॉल, एस एच जी संघ के भवन व अन्य मैदान शामिल है।	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम	केन्द्रीय	ग्रामीण विकास मंत्रालय	विभिन्न नागरिक बुनियादी ढ़ाँचों का निर्माण व रखरखाव, उदाहरणार्थ ग्रामीण बाज़ार, खेल मैदान पंचायती बुनियादी ढ़ाँचों आदि निर्मित किए जा सकते है।
302	सामुदायिक भवन सहित नागरिक आधारभूत संरचना, एस एच जी संघों के लिए भवन, खेलकूद मैदान एवं स्मशान भूमि / स्मशान वाटिका	ई-ग्राम विश्व ग्राम योजना	राज्य	पंचायत एवं ग्रामीण आवास एवं ग्रामीण विकास	योजना का उद्देश्य पंचायत स्तर पर आवश्यक मूलभूत संरचना प्रदान करके ग्राम पंचायत का विकास करना है जिससे वह विभिन्न सरकारी योजनाओं / कार्यक्रमों और सेवाओं के लिए एक बिंदु सेवा वितरण के रुप में कार्य करेगी ।

क्रम सं.	गतिविधि	योजना / संस्थायें	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य नोडल विभाग	संबंधित घटक / विवरण
303	सामुदायिक भवन सहित नागरिक आधारभूत संरचना, एस एच जी संघों के लिए भवन, खेलकूद मैदान एवं स्मशान भूमि / स्मशान वाटिका	जन सेवा केन्द्र	राज्य	राजस्व विभाग	नागरिक विशेष अधिकार के अंतर्गत, जनसेवा केन्द्र को उन कार्यालयों में स्थापित किया गया है जहाँ लोगों का आना जाना होता है । सभी पहलुओं में आवेदन पूर्ण है यह सुनिश्चित करने के बाद ही जनसेवा केन्द्र आवेदनों को स्वीकार करता है । आवेदन के समापन की सीमा रसीद में दी जाती है । विहित आवेदन का प्रारुप इन केन्द्रों पर उपलब्ध किया जाता है । प्रस्तुत किए जानेवाले आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में मार्गदर्शन भी दिया जाएगा । आवश्यक सुविधाएँ केन्द्र में प्रदान किए जाते हैं ।
304	सामुदायिक भवन सहित नागरिक आधारभूत संरचना, एस एच जी संघों के लिए भवन, खेलकूद मैदान एवं स्मशान भूमि / स्मशान वाटिका	किसान हित ऊर्जा शक्ति योजना	राज्य	ऊर्जा और रसायन विभाग	एच टी लाइन के जरिए और एल टी लाइन को घटाकर बिजली वितरण
305	सामुदायिक भवन सहित नागरिक आधारभूत संरचना, एस एच जी संघों के लिए भवन, खेलकूद मैदान एवं स्मशान भूमि / स्मशान वाटिका	स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री सहेरी विकास योजना	राज्य	शहरी विकास	नगर निगमों, नगरपालिकाओं और शहरी विकास प्राधिकरणों में भौतिक संरचना के साथ-साथ सामाजिक संरचना प्रदान करना है । जल आपूर्ति, भूमिगत नाली, बाढ के पानी का नाला बनाना, अग्नि सुरक्षा उपकरण, सडक, उडान पुल, पुल बांधना, शहरी परिवहन, आंगनवाडी, ई-शासन, क्रीडा संकुल, पुस्तकालय आदि जैसे कार्य इस कार्यक्रम में किए जाते हैं ।
306	ग्राम बाजार	महात्मा गॉंधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम	केन्द्रीय	आहार एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	ग्रामीण बाजारों का निर्माण व रखरखाव।
307	सार्वजनिक वितरण प्रणाली आउटलेट के लिए बुनियादी ढाँचा	निजी उद्यमी गारंटी योजना	केन्द्रीय	ग्रामीण विकास मंत्रालय	इस योजना के तहत निजी पार्टियों साथ ही साथ सार्वजनिक क्षेत्रों के विभिन्न एजेंसियों, भारतीय खाद्य निगम द्वारा गारंटी हायरिंग के रुप में पी पी पी पद्धति में गोदामों का निर्माण किया जाता है।
308	सार्वजनिक वितरण प्रणाली आउटलेट के लिए बुनियादी ढ़ाँचा	महात्मा गॉंधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम	केन्द्रीय	ग्रामीण विकास निगम	इस योजना के तहत आधुनिक व वैज्ञानिक खाद्यान्न भंडारण निर्माण व रखरखाव की सुविधा दी जा सकती है।
309	सूक्ष्म छोटे बैंक / डाकघर / एटीएम व बैंक खाता खोलना	निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	केन्द्रीय	निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र	नये ए टी एम केन्द्र / नई बैंक शाखाएँ आदि खोलने के लिए बैंक की शाखाएँ सम्पर्क कर सकते है।
310	ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटि व सामान्य सेवा केन्द्र	राष्ट्रीय ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क	केन्द्रीय	इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	इस परियोंजना में वर्तमान ऑप्टिकल फायबर का प्रयोग करते हुए इंटरनेट ऐक्सेस स्थपित किया जाता हैं तथा इसे ग्राम पंचायतों तक विस्तार दिया जाता है।
311	टेलिकॉम कनेक्टिविटी	वैश्विक सेवा ऑब्लिगेशन फंड	केन्द्रीय	दूरसंचार विभाग	देश के सभी भागों में दूर संचार कनेक्टिविटि की सुविधा जिसमें दूरस्थ क्षेत्र / ग्राम शामिल है।

सामाजिक सुरक्षा

क्रम सं.	गतिविधि	योजना / संस्थायें	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य नोडल विभाग	संबंधित घटक / विवरण
312	सभी योग्य परिवार वृद्धों, विकलांगों व निराश्रित महिलाओं के लिए पेन्शन	स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन व अन्य लाभ	केन्द्रीय	गृह मंत्रालय	स्वतन्त्रता सेनानियों का पेंशन व अन्य लाभ
313	सभी योग्य परिवार वृद्धों, विकलांगों व निराश्रित महिलाओं के लिए पेन्शन	अटल पेंशन योजना	केन्द्रीय	वित्त मंत्रालय	युवावस्था में पेंशन योजना वृद्धावस्था में लाभ।
314	सभी योग्य परिवार वृद्धों, विकलांगों व निराश्रित महिलाओं के लिए पेन्शन	स्वावलंबन योजना- असंगठित क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना	केन्द्रीय	वित्त मंत्रालय	इस योजना में असंगठित क्षेत्र के लोगों को राष्ट्रीय पेंशन योजना में शमिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के लोंगों को स्वैच्छिक रुप सेवानिवृति के बचत हेतु राष्ट्रीय पेंशन योजना में नामित होने के लिए प्रोत्साहित करना है।
315	सभी योग्य परिवार वृद्धों, विकलांगों व निराश्रित महिलाओं के लिए पेन्शन	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	केन्द्रीय	ग्रामीण विकास मंत्रालय	विभिन्न पेंशन वृद्धावस्था पेंशन योजना निराश्रित महिला पेंशन योजना विकलांग पेंशन योजना राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना व अन्नपूर्णा शामिल है।
316	सभी योग्य परिवार वृद्धों, विकलांगों व निराश्रित महिलाओं के लिए पेन्शन	श्रम एवं रोज़गार योजनाएँ	केन्द्रीय	श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय	बीडी श्रमिकों के कल्याण अभ्रक खदानों के श्रमिक, लोह, क्रोम, मैंगनीज़ अयस्क खदान,(कोयला खदानों के श्रमिक को छोड़कर) चूनापत्थर व डोलोपेमाइट खदान श्रमिक तथा सिनेमा श्रमिको का कल्याण।
317	सभी पात्र परिवारों के वृध्दजन, विकलांग और विधवा के लिए पेंशन	विकलांग व्यक्ति पारिवारिक बीमा योजना	राज्य	सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग (सामाजिक सुरक्षा निदेशालय)	यह योजना गुजरात सामाजिक समूह (सार्वजनिक) दुर्घटना बीमा योजना के रुप में भी जानी जाती है । बीमा रकम की अधिकतम सीमा ₹ 1,00,000 है । इस नीति में सम्मिलित विकलांग व्यक्तियों को इस योजना के अंतर्गत क्षतिपूर्ति देय है ।
318	सभी पात्र परिवारों के वृध्दजन, विकलांग और विधवा के लिए पेंशन	निस्सहाय और वृध्द व्यक्तियों को आर्थिक सहायता	राज्य	सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग (सामाजिक सुरक्षा निदेशालय)	हर महीने ₹ 200 रुपयों की आर्थिक सहायता
319	आम आदमी बीमा योजना जैसी बीमा योजनाएँ	असंगठित क्षेत्र श्रमिको के लिए सामाजिक सुरक्षा- आर एसबीवाई (राष्ट्रीय स्वास्थय बीमा योजना)	केन्द्रीय	श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय	इस योजना में लाभार्थियों को ₹ 30,000/- तक अस्पताल कवरेज दिया जाता है। जहाँ अधिकांश रोगों में अस्पताल की जरुरत पड़ती है।

क्रम सं.	गतिविधि	योजना / संस्थायें	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य नोडल विभाग	संबंधित घटक / विवरण
320	आम आदमी बीमा योजना जैसी बीमा योजनाएँ	आम आदमी बीमा योजना - सामाजिक सुरक्षा निधि व छात्रवृत्ति निधि	केन्द्रीय	वित्त मंत्रालय	इस में आम आदमी बीमा योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा कोष व छात्रवृति कोष के लिए सरकार द्वारा अंशदान मुहैय्या करवाया जाता है। इस योजना में परिवार के मुखिया या निवासों के किसी एक कमाईदार सदस्य को कवरेज दी जाती है। वार्षिक ₹ 200/- प्रिमियम प्रति व्यक्ति है जिसके समान रुप से केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकार अपना अंशदान देती है। कवरेज दिए जाने वाले सदस्य की आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष होनी चाहिए।
321	आम आदमी बीमा योजना जैसी बीमा योजनाएँ	दुर्घटना बीमा, रुपै डेबिट कार्ड धारक को कवरेज	केन्द्रीय	वित्त मंत्रालय	प्रधान मंत्री जन-धन योजना के तहत रुपै डेबिट कार्ड धारकों को दुर्घटना बीमा कवरेज दी जाती है ताकि जो आर्थिक रुप से कमज़ोर वर्ग के लोग प्रत्यक्ष रुप से बीमा नहीं ले पाते उन परिवारों को सुरक्षा मुहैय्या करवाना है।
322	सार्वजनिक वितरण प्रणाली- सभी योग्य परिवारों तक सार्वजनिक पहुँच	राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम	केन्द्रीय	आहार एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	परिवारों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली

सुशासन

क्रम सं.	गतिविधि	योजना / संस्थायें	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य नोडल विभाग	संबंधित घटक / विवरण
323	मजबूत व उत्तरदायी पंचायतें तथा क्रियाशील ग्राम सभाओं के माध्यम से स्थानीय लोकतंत्र को बल प्रदान करना	राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन	केन्द्रीय	खाद्यान्न प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	सेवाओं की निगरानी के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली समिति का गठन किया जाएगा।
324	मजबूत व उत्तरदायी पंचायतें तथा क्रियाशील ग्राम सभाओं के माध्यम से स्थानीय लोकतंत्र को बल प्रदान करना	आई सी डी एस	केन्द्रीय	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	सेवाओं की निगरानी के लिए आँगनवाडी समिति व ग्राम स्वास्थ्य सफाई व पोषण समिति का गठन किया जा सकता है।
325	मजबूत व उत्तरदायी पंचायतें तथा क्रियाशील ग्राम सभाओं के माध्यम से स्थानीय लोकतंत्र को बल प्रदान करना	एस एस ए	केन्द्रीय	मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता	स्कूल प्रबंधन समिति का गठन स्कूल शिक्षा में गुणवत्ता लाने तथा पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अभिभावकों व अध्यापकों के बीच सामंजस्य।
326	मजबूत व उत्तरदायी पंचायतें तथा क्रियाशील ग्राम सभाओं के माध्यम से स्थानीय लोकतंत्र को बल प्रदान करना	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	केन्द्रीय	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	रोगी कल्याण समिति इस उपबंध के तहत रोगी कल्याण समिति / अस्पताल प्रबंधन समिति का गठन किया जा सकता है जो विकास गतिविधियों को इस उद्देश्य के साथ कि उपलब्ध कराए गए कोष का पूर्णत: पारदर्शिता के साथ उपयोग हो व सतत गुणवत्ता सहित देखरेख तथा जवाबदेही सहित लोगों को इसमें शामिल किया जा सके व इसे कारगर बनाया जाए।
327	मजबूत व उत्तरदायी पंचायतें तथा क्रियाशील ग्राम सभाओं के माध्यम से स्थानीय लोकतंत्र को बल प्रदान करना	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम	केन्द्रीय	ग्रामीण विकास मंत्रालय	महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम व देखरेख समिति, श्रमिक समूह का गठन कर सकती है, जो कामगारों को प्लाटफॉर्म मुहैय्या करवाए जिससे मजदूरों की माँगों की सामूहिक आवाज को बुलंदी मिले।
328	मजबूत व उत्तरदायी पंचायतें तथा क्रियाशील ग्राम सभाओं के माध्यम से स्थानीय लोकतंत्र को बल प्रदान करना	आजीविका - राष्ट्रीय आजीविका मिशन	केन्द्रीय	खाद्यान्न प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	इस योजना के तहत ग्राम संगठन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन समूह स्तर संगठन बनाए जा सकते है। इसके बृहत कार्य निम्न प्रकार से है: • सामूहिक समस्याओं का निवारण। • कुछ निश्चित सामुदायिक सेवाओं के लिए सामूहिक प्रबंधन। कार्यक्रम कोष तक पहुँच स्थापित करने के लिए सामूहिक लॉबिंग (पक्ष जुटाना) । एक दूसरे के अनुभवों को समझते हुए समूह प्रतिनिधियों के सामूहिक स्तर पर सामूहिक रुप से कार्य करते हुए वसूलियें, ऋणो व स्थिर रखे हुए कोष आदि के संबंध में तुलनात्मक नोट्स तैयार करना मासिक या तिमाही बैठकें आयोजित करने के लिए प्लाटफॉर्म तैयार करना। • सामूहिक जानकारी का निर्माण। • सामूहिक व्यापार गतिविधियों, उदारहणार्थ कृषिकीय निवेश (इनपुट) की खरीदारी आदि । • सामाजिक सुरक्षा योजना का उपबंध, उदाहणार्थ-जीवन बीमा, पशु बीमा, स्वास्थ्य देखभाल योजना, महिलाओं के लिए आर्थिक सुरक्षा योजना। • अन्तर समूह सहायता (वित्तीय व अन्य समर्थन विशेषकर कमजोर वर्गो की पहचान व उन्हें बल प्रदान करने के लिए)।

क्रम सं.	गतिविधि	योजना / संस्थायें	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य नोडल विभाग	संबंधित घटक / विवरण
329	मजबूत व उत्तरदायी पंचायतें तथा क्रियाशील ग्राम सभाओं के माध्यम से स्थानीय लोकतंत्र को बल प्रदान करना	पी ए सी एस	केन्द्रीय	कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय	यह पीए सी एस/एल ए एम पी एस/एफ ए सी एस योजना जो कि लघु अवधि सहकारिता ऋण संरचना है, जमीनी स्तर (ग्राम पंचायत) पर इस उपबंध के तहत गठित की जा सकती है। ये प्राथमिक सोसायटियाँ किसानों, ग्रामीण कलाकारों आदि के स्वामित्व में चलाई जाती है तथा इसका इरादा किफायत व सदस्यों के बीच आपसी सहायता को बढ़ावा देना, उनके ऋण जरुरतों को पूरा करना व ऋण से जुडी हुई सेवाएँ जैसे निवेश (इंपुट) आपूर्ति कृषिकीय उत्पादनों का भंडारण व विपणन, आदि ये सहकारिता ऋण संस्थाएँ अपनी ग्रामीण क्षेत्रों तक पूरी पहुँच व छोटे तथा हाशिए के किसान तक व अन्य हाशिए तक की जनसंख्या जो कृषिकीय ऋण की व्यवस्था में बहुत बडी भूमिका निभा सकती है, सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।
330	मजबूत व उत्तरदायी पंचायतें तथा क्रियाशील ग्राम सभाओं के माध्यम से स्थानीय लोकतंत्र को बल प्रदान करना	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	केन्द्रीय	पेयजल एवं सफाई मंत्रालय	इस उपबंध के अधीन ग्राम जल व सफाई समिति बनाई जाएगी जिसमें जिलें के सभी ग्रामों में योजना बनाने तथा इसके कार्यान्वयन के लिए ग्राम पंचायत के सफाई समिति में 50% तक महिलाओं व अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जनजाति व अल्पसंख्यकों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व होगा।
331	मजबूत व उत्तरदायी पंचायतें तथा क्रियाशील ग्राम सभाओं के माध्यम से स्थानीय लोकतंत्र को बल प्रदान करना	संयुक्त वन प्रबंधन	केन्द्रीय	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	संयुक्त वन प्रबंधन समिति जिसे अक्सर भागीदारी के रुप में टाल दिया गया, सफलता व क्रांतिकारी योजना जो भारत का विकेन्द्रीकृत वन प्रबंधन है, उपबंध के अधीन सहायतार्थ गठित किया जा सकता है: (i) सूक्ष्म योजनाओं की तैयारी करना (ii) पौधा जाति विकल्प। (iii) भौतिकीय व वित्तीय लक्ष्य सुझाव। (iv) प्रवेश गतिविधियों की तैयारी। (v) जागरुक कार्यक्रम व परिणाम साझा करने के लिए तंत्र (मेकानिज्म) (vi) कोष निर्माण गतिविधियाँ
332	मजबूत व उत्तरदायी पंचायतें तथा क्रियाशील ग्राम सभाओं के माध्यम से स्थानीय लोकतंत्र को बल प्रदान करना	वन अधिकार अधिनियम	केन्द्रीय	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	इस उपबंध के तहत वन अधिकार ग्राम स्तर समिति गठित की जा सकती है जहाँ हर ग्राम समितियाँ बनाने के लिए अपनी इच्छा से अपने निवासों से "वन अधिकार" समिति के रुप में 10 से 15 लोगों का चयन कर सकता है जो अधिकारों की पहल का सत्यापन करेगा और ग्राम सभा के समक्ष अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।
333	मजबूत व उत्तरदायी पंचायतें तथा क्रियाशील ग्राम सभाओं के माध्यम से स्थानीय लोकतंत्र को बल प्रदान करना	नेहरु युवा केन्द्र	केन्द्रीय	युवा मामले एवं खेल मंत्रालय	इस उपबंध के अधीन नेहरु युवा केन्द्र समिति का गठन किया जा सकता है जो युवा शक्ति के क्षमता क्षेत्रों की पहचान करने में सहायक होगा, ग्राम स्तर पर विकास के लिए युवा क्लब के गठन, जमीनी स्तर पर स्वैच्छिक कार्यवाही युवा समूह राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में उन्हें शामिल करेगा।

क्रम सं.	गतिविधि	योजना / संस्थायें	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य नोडल विभाग	संबंधित घटक / विवरण
334	मजबूत व उत्तरदायी पंचायतें तथा क्रियाशील ग्राम सभाओं के माध्यम से स्थानीय लोकतंत्र को बल प्रदान करना	एससीए - टीएसपी एवं संविधान का अनुच्छेद 275 (1)	केन्द्रीय	आदिवासी मामला मंत्रालय	टीएसपी के अधीन इस उपबंध में परियोजना स्तर समिति गठित की जा सकती है, समय समय पर होने वाले कार्यक्रमों की समीक्षा करेगी।
335	मजबूत व उत्तरदायी पंचायतें तथा क्रियाशील ग्राम सभाओं के माध्यम से स्थानीय लोकतंत्र को बल प्रदान करना	एस एस ए	केन्द्रीय	मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	अभिभावकों अध्यापकों की एसोसियेशन जो कि विदयालयों के सुधार के लिए तथा विद्यार्थियों के लाभ के लिए कार्य करती है, उपबंध के तहत प्रभावी अध्यापन पद्धति को सुनिश्चित करने के लिए समिति गठित की जा सकती है।
336	मजबूत व उत्तरदायी पंचायतें तथा क्रियाशील ग्राम सभाओं के माध्यम से स्थानीय लोकतंत्र को बल प्रदान करना	डेयरी सोसायटी	केन्द्रीय	कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय	इस उपबंध के तहत डेयरी सोसायटी, डेयरी सहकारिता गठित की जा सकती है जो कि मुफ्त या उचित लागत पर उपने सदस्यों को सेवाएँ मुहैय्या करवाती है, इसके अतिरिक्त सहकारिता स्वामित्व उत्पादक सदस्य द्वारा भागीदारी व नियंत्रण पर बल देता है।
337	मजबूत व उत्तरदायी पंचायतें तथा क्रियाशील ग्राम सभाओं के माध्यम से स्थानीय लोकतंत्र को बल प्रदान करना	राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तकनीकी मिशन	केन्द्रीय	कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय	एटीएमए गवर्निंग बोर्ड / एटीएमए प्रबंधन समिति, किसान सलाहकार समिति।
338	मजबूत व उत्तरदायी पंचायतें तथा क्रियाशील ग्राम सभाओं के माध्यम से स्थानीय लोकतंत्र को बल प्रदान करना	एकीकृत शिशु संरक्षण योजना (आईसीपीएस)	केन्द्रीय	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	ग्राम / पंचायत शिशु संरक्षण समिति।
339	मजबूत व उत्तरदायी पंचायतें तथा क्रियाशील ग्राम सभाओं के माध्यम से स्थानीय लोकतंत्र को बल प्रदान करना	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम	केन्द्रीय	ग्रामीण विकास मंत्रालय	इस योजना के तहत योजना के प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित बैठक आयोजित किए जा सकते हैं: • हर ग्राम सभा से पहले महिला ग्राम सभाएँ आयोजित किए जा सकते है। • वर्ष में कम से कम 4 बैठकें आयोजित की जा सकती है। • प्रति तिमाही बाल सभा आयोजित की जा सकती है। • ग्राम सभा द्वारा कार्यक्रम कार्यान्वयन का अर्ध वार्षिक सामाजिक लेखा परीक्षा इस योजना के तहत स्थापित इकाईयों दवारा सामाजिक लेखा परीक्षा। • सरकारी व पंचायत कर्मचारियों की नियमित व समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करना।
340	मजबूत व उत्तरदायी पंचायतें और क्रियाशील ग्राम सभाओं के माध्यम से स्थानीय लोकतंत्र को बल प्रदान करना	ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण समिति	राज्य	स्वास्थ्य विभाग	समिति जागरुकता निर्माण के क्रियाकलाप करती है, स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचने के लिए सुविधा करती है, विशिष्ट स्थानीय जरुरतों को पूरा करती है और नियोजन तथा प्रबंधन पर आधारित समुदाय के लिए तंत्र के रुप में कार्य करती है।

क्रम सं.	गतिविधि	योजना / संस्थायें	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य नोडल विभाग	संबंधित घटक / विवरण
341	मजबूत व उत्तरदायी पंचायतें और क्रियाशील ग्राम सभाओं के माध्यम से स्थानीय लोकतंत्र को बल प्रदान करना	ई-ममता	राज्य	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (एन आर एच एम और एन आई सी के सहयोग से)	ऑनलाइन प्रणाली के जरिए माता और शिशु खोज निकालना । इस प्रणाली का उद्देश्य प्रसवपूर्ण देखभाल, शिशु जन्म, प्रसवोत्तर देखभाल, असंक्रमीकरण, पोषण का संपूर्ण सेवा परिदाय और नवयुवक / नवयुवती के लिए सेवाएँ सुनिश्चित करने के लिए और इन सेवाओं के कार्यों को खोजने के लिए गर्भवती महिला, 0-6 वर्षो की आयु के समूह के बच्चे और किशोरों की उनकी पूर्ण जानकारी के साथ वैयक्तिक रुप से पंजीकरण करना है ।
342	मजबूत व उत्तरदायी पंचायतें और क्रियाशील ग्राम सभाओं के माध्यम से स्थानीय लोकतंत्र को बल प्रदान करना	बी ए डी ई ए (जन्म तथा मृत्यु नामांकन आवेदन) रिपोर्टिंग प्रणाली	राज्य	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग और एन आई सी	ऑनलाइन जन्म और मृत्यु की रिपोर्टिंग प्रणाली । शिशु के जन्म और व्यक्ति के निधन पर यह रिपोर्टिंग कर सकते हैं ।
343	मजबूत व उत्तरदायी पंचायतें और क्रियाशील ग्राम सभाओं के माध्यम से स्थानीय लोकतंत्र को बल प्रदान करना	ई-धारा	राज्य	राजस्व	अधिकार अभिलेखों के परिवर्तन और मामले जैसे भूमि अभिलेखो की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियाँ करने के लिए तालुका मामलतदार कार्यालयों में सभी भूमि अभिलेखों के अंकन, ई-धारा केन्दों को स्थापित किया गया है । कार्यप्रवाह आधारित सॉफ्टवेयर (भूलेख सॉफ्ट) 2004-05 से कार्यान्वित किया गया है । भूलेख सॉफ्ट के साथ ई ग्राम विश्व ग्राम परियोजना को एकीकृत करके ग्राम पंचायतों व्ही एस ए टी के जरिए व्यापक कनेक्टिविटी प्रदान करता है, किसान उनके ग्राम पंचायत से अधिकार अभिलेख की प्रतियाँ प्राप्त कर सकते हैं । जब कभी तलाठी / ग्राम कंप्यूटर उद्यमकर्ता अधिकार अभिलेख के पोर्टल पर अनुरोध भेजते हैं, उप-मामलतदार (ई डी के) अधिकारों के अभिलेख की प्रक्रिया करेंगे और उसे सेंट्रल सर्वर पर अपलोड करेंगे ताकि उसकी एक प्रतिलिपि गॉव में प्राप्त कर सकें ।
344	मजबूत व उत्तरदायी पंचायतें और क्रियाशील ग्राम सभाओं के माध्यम से स्थानीय लोकतंत्र को बल प्रदान करना	ई-जी आर ए एम (ग्राम गामीण अकाऊंटिंग प्रबंधन सॉफ्टवेयर) विश्व ग्राम योजना	राज्य	जी एस डब्लू ए एन	इन ई-जी आर ए एम केन्द्रों को ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित किया जाता है और पी पी पी मॉडल पर ग्राम कंप्यूटर उद्यमकर्ता (व्ही सी ई) द्वारा प्रबंध किया जाता है और तकनीकी सहायता दी जाती है ।
345	सरकारी और पंचायत के कर्मचारियों की नियमित और समयनिष्ठ उपस्थिति सुनिश्चित करना	गुजरात अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (जी एच एम आई सी)	राज्य	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग एवं गुजरात इनफॉर्मेटिक्स लिमिटेड	चिकित्सा महाविद्यालयों, अस्पताल / जिला अस्पताल / उप-जिला अस्पताल के जरिए नागरिकों को कार्यक्षम और गुणता स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की गुणता सुनिश्चित करना । ऑनलाइन पुनर्विलोकन एवं मॉनिटरिंग ऑनलाइन किया जाता है ।
346	सरकारी और पंचायत के कर्मचारियों की नियमित और समयनिष्ठ उपस्थिति सुनिश्चित करना	चिंतन शिविर	राज्य	सामान्य प्रशासन एवं नियोजन विभाग	जैसा कि राज्य सरकार योजनाएँ आरंभ करती है उनके विकास, नितियों, कार्यसूची के महत्वपूर्ण मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए मंत्रिपरिषद् के सदस्यों, सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों, जिला कलेक्टरों, डी डी ओ की वार्षिक बैठक ।
347	सभी के लिए विशिष्ट पहचान पत्र का प्रावधान	विशिष्ट पहचान पत्र भारतीय प्राधिकरण	केन्द्रीय	योजना मंत्रालय	इस प्राधिकरण की भूमिका सुदृढता के साथ विशिष्ट पहचान संख्या (युआईडीएआई) जारी करना है ताकि जिसका ऑन लाइन सत्यापन व प्रमाणीकरण हो जो लागत प्रभावी ढंग से है, जिससे नकली व जाली पहचान को मजबूती के साथ हटाया जा सके।

क्रम सं.	गतिविधि	योजना / संस्थायें	केन्द्रीय / राज्य	केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य नोडल विभाग	संबंधित घटक / विवरण
348	सभी के लिए विशिष्ट पहचान पत्र का प्रावधान	मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना	केन्द्रीय	विधि एवं न्याय मंत्रालय	इसमें उपबंध है कि मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करने के लिए राज्यों / केन्द्रशासित प्रदेशों को केन्द्र सरकार के वित्तीय हिस्से की प्रतिपूर्ति की जाती है
349	जनता द्वारा प्रस्तुत की गई शिकायतों का समय पर निवारण जैसे कि: 1. सभी प्रकार की शिकायतों को ग्राम पचांयत / प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत करना, तारीख रसीद देना। 2. शिकायते तीन सप्ताह में निपटाने के लिए लिखित रुप से उत्तर देना। 3. शिकायतों व उनके निवारण के लिए ग्राम पंचायत द्वारा समन्वित प्रसारण हेतु नियमित रुप से खुले मंच का संस्थानीकरण	राष्ट्रीय न्याय सुपुर्दगी एवं न्यायिक सुधार मिशन	केन्द्रीय	विधि एवं न्याय मंत्रालय	राष्ट्रीय न्याय सुपुर्दगी एवं न्यायिक सुधार मिशन ने जून 2011 में यह निर्णय किया कि देश में न्याय की डिलिवरी को तेज करने के लिए कार्यपालिका और न्यायपालिका की एक सशक्त समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने और अदालतों द्वारा मामलों के निपटान में देरी को कम करने के लिए एक ही जैसी पद्धति परिचालित हो।

ग्रामीण विकास विभाग
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार, कृषि भवन
नई दिल्ली - 110 001. भारत
www.rural.nic.in, www.saanjhi.gov.in
Email: pmusaanjhi@gov.in
एवं
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
हैदराबाद
एमओआरडी, अक्तूबर 2015

आईएसबीएन : 978-93-84503-42-0